

उत्तर प्रदेश शासन

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2

२२/२०१६

संख्या-५३६/६४-२-२०१६-१ (छात्रवृत्ति)/२०१३

लखनऊ: दिनांक: १९ अगस्त, २०१६

कार्यालय-ज्ञाप

शिक्षीय पुष्टि पाठ्य उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्र/छात्राओं

के लिए छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग  
पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्र/शुल्क प्रतिपूर्ति

नियमावली-२०१२, कार्यालय ज्ञाप संख्या-११-१(छात्रवृत्ति)/२०१३/६४-२-२०१३,

दिनांक ०८ जनवरी, २०१३ द्वारा जारी की गयी है, जो शैक्षिक सत्र-२०१२-१३ से

प्रभावी है। उक्त नियमावली के संगत प्राविधानों में प्रथम संशोधन शासनादेश संख्या-६१-१(छात्रवृत्ति)/२०१३/६४-२-२०१३, दिनांक १४ फरवरी, २०१३, द्वितीय

संशोधन कार्यालय ज्ञाप संख्या-६३७/६४-२-२०१३-१(छात्रवृत्ति)/२०१३, दिनांक  
२० नवम्बर, २०१३ तथा तृतीय संशोधन कार्यालय ज्ञाप संख्या-४९२/६४-२-२०१४-

१(छात्रवृत्ति)/२०१३, दिनांक २३ सितम्बर, २०१४ द्वारा किया गया है।

निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण के पत्र संख्या-१२६/व०क०/२०१६-१७,  
दिनांक ०२ मई, २०१६ द्वारा योजनान्तर्गत नियमावली के संगत प्राविधानों में  
कठिपय अन्य आवश्यक संशोधन किये जाने सम्बन्धी उपलब्ध करायी गयी  
आख्या/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक  
०८ जनवरी, २०१३, शासनादेश दिनांक १४ फरवरी, २०१३, कार्यालय ज्ञाप दिनांक  
२० नवम्बर, २०१३ एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक २३ सितम्बर, २०१४ के संगत

प्राविधानों को तात्कालिक प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-  
उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति

(चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2016

वर्तमान नियम		प्रतिस्थापित नियम																												
1 नाम	यह नियमावली उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2014 कहलायेगी।	नाम	यह नियमावली उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2016 कहलायेगी।																											
2 उद्देश्य	इस योजना का मुख्य उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या सेकेन्ड्री के बाद की कक्षाओं में विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब माता-पिता/अभिभावकों के आश्रित छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करना है।	उद्देश्य	यथावत।																											
3 प्रसार/विस्तार	इस नियमावली से सम्पूर्ण भारत वर्ष में पढ़ने वाले वे छात्र/छात्राएं आच्छादित होंगे, जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी/मूल निवासी हों।	प्रसार/विस्तार	इस नियमावली से उत्तर प्रदेश राज्य में पढ़ने वाले वे छात्र/छात्राएं आच्छादित होंगे, जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी/मूल निवासी हों।																											
4 प्रारम्भ होने की तिथि	इस नियमावली के प्राविधान माह जुलाई, 2014 से प्रारम्भ होने वाले शिक्षण सत्र से लागू होंगे।	प्रारम्भ होने की तिथि	इस नियमावली के प्राविधान 2016-17 के शिक्षण सत्र से लागू होंगे।																											
5 परिभाषा	<table border="1"> <tr> <td>केन्द्र सरकार</td> <td>(i)</td> <td>"केन्द्र सरकार" का तात्पर्य भारत सरकार से है।</td> </tr> <tr> <td>राज्य सरकार</td> <td>(ii)</td> <td>"राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।</td> </tr> <tr> <td>निदेशालय</td> <td>(iii)</td> <td>'निदेशालय' का तात्पर्य पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश से है।</td> </tr> <tr> <td>निदेशक</td> <td>(iv)</td> <td>'निदेशक' का तात्पर्य निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय से है।</td> </tr> </table>	केन्द्र सरकार	(i)	"केन्द्र सरकार" का तात्पर्य भारत सरकार से है।	राज्य सरकार	(ii)	"राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।	निदेशालय	(iii)	'निदेशालय' का तात्पर्य पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश से है।	निदेशक	(iv)	'निदेशक' का तात्पर्य निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय से है।	<table border="1"> <tr> <td>परिभाषा</td> <td>केन्द्र सरकार</td> <td>राज्य सरकार</td> </tr> <tr> <td>राज्य सरकार</td> <td>(ii) क- राज्य एन० आई०सी०</td> <td>(ii) ख- पी०एफ०एम० एस०</td> </tr> <tr> <td>निदेशालय</td> <td>(iii)</td> <td>निदेशक</td> </tr> </table>	परिभाषा	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	राज्य सरकार	(ii) क- राज्य एन० आई०सी०	(ii) ख- पी०एफ०एम० एस०	निदेशालय	(iii)	निदेशक	<table border="1"> <tr> <td>यथावत।</td> <td>यथावत</td> <td>यथावत</td> </tr> <tr> <td>"राज्य एन०आई०सी०" का तात्पर्य ग्रामीण सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ से है।</td> <td>"पी०एफ०एम०एस०" का तात्पर्य Public Financial Management System से है।</td> <td>"निदेशक" का तात्पर्य निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश से है।</td> </tr> </table>	यथावत।	यथावत	यथावत	"राज्य एन०आई०सी०" का तात्पर्य ग्रामीण सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ से है।	"पी०एफ०एम०एस०" का तात्पर्य Public Financial Management System से है।	"निदेशक" का तात्पर्य निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश से है।
केन्द्र सरकार	(i)	"केन्द्र सरकार" का तात्पर्य भारत सरकार से है।																												
राज्य सरकार	(ii)	"राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।																												
निदेशालय	(iii)	'निदेशालय' का तात्पर्य पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश से है।																												
निदेशक	(iv)	'निदेशक' का तात्पर्य निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय से है।																												
परिभाषा	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार																												
राज्य सरकार	(ii) क- राज्य एन० आई०सी०	(ii) ख- पी०एफ०एम० एस०																												
निदेशालय	(iii)	निदेशक																												
यथावत।	यथावत	यथावत																												
"राज्य एन०आई०सी०" का तात्पर्य ग्रामीण सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ से है।	"पी०एफ०एम०एस०" का तात्पर्य Public Financial Management System से है।	"निदेशक" का तात्पर्य निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश से है।																												

		से है।
वित्त नियन्त्रक	5(iv) क-	"वित्त नियन्त्रक" का तात्पर्य पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश के वित्त नियन्त्रक से है।
नोडल अधिकारी	5(iv) ख-	"नोडल अधिकारी" का तात्पर्य निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा नामित दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के नोडल अधिकारी से है।
राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार	5(iv) ग-	"राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार" का तात्पर्य जवाहर भवन, लखनऊ स्थित कोषागार से है।
अभ्यर्थी	(v)	"अभ्यर्थी" का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यार्थी से है जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था के अन्तर्गत संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो।
शिक्षण संस्था व पाठ्यक्रम	(vi)	"शिक्षण संस्था" का तात्पर्य विधि द्वारा स्थापित अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से है व पाठ्यक्रम का तात्पर्य संबंधित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में संचालित सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम से है।
अन्य पिछड़ा वर्ग	(vii)	"अन्य पिछड़ा वर्ग" का तात्पर्य उन जाति समूहों से है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग तथा

वित्त नियन्त्रक	यथावत
नोडल अधिकारी	यथावत
राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार	यथावत
अभ्यर्थी	"अभ्यर्थी" का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यार्थी से है जो उत्तर प्रदेश का स्थायी/मूल निवासी हो तथा उत्तर प्रदेश में केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था के अन्तर्गत संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो। छात्र का अभिप्राय छात्र व छात्राओं दोनों से है।
शिक्षण संस्था व पाठ्यक्रम	यथावत
(vi) क- शिक्षा परिषद	"शिक्षा परिषद" का तात्पर्य विधि द्वारा स्थापित निम्न शिक्षा परिषदों से है। 1 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा प 2 सी०बी०एस०ई० 3 आई०सी०एस०ई०
अन्य पिछड़ा वर्ग	"अन्य पिछड़ा वर्ग" का तात्पर्य उन जाति/ जाति समूहों से है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सामान्य वर्ग के अन्तर्गत न आते

		सामान्य वर्ग के अन्तर्गत न आते हों। अल्पसंख्यक श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से आच्छादित होंगे।		
बैंक	(viii)	“बैंक” का तात्पर्य बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द्वारा विनियमित ऐसे अनुसूचित व्यवसायिक बैंक से है, जिसमें कोर बैंकिंग एवं PFMS साफ्टवेयर के माध्यम से धनराशि अन्तरण की सुविधा उपलब्ध हो।	बैंक	हों तथा केन्द्र अथवा राज्य उत्तर प्रदेश के अधिसूचित वर्ग की सूची में शामिल हों। श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से आच्छादित होंगे। सरकार द्वारा अन्य पिछड़े अल्पसंख्यक
शैक्षणिक सत्र	(ix)	शैक्षणिक सत्र का तात्पर्य प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष 30 जून तक के शिक्षण सत्र से है।	शैक्षणिक सत्र	शैक्षणिक सत्र का तात्पर्य प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल अथवा उसके बाद के माह से प्रारम्भ होने वाले शिक्षण सत्र से है।
छात्र वृत्ति का मूल्य	(x)	सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित देय धनराशियों समिलित होंगी:- (क) अनुरक्षण भत्ता (ख) अनिवार्य वापस न होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति (ग) अध्ययन दौरा खर्च (घ) शोध कार्य का टंकण/मुद्रण खर्च (च) विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ता।	छात्र वृत्ति का मूल्य	यथावत
शुल्क/फीस	(xi)	1—“शुल्क” का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य धनराशि से है, जो अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को भुगतान किया जाता है, तथापि जमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश/पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूनियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा जौंच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि,	शुल्क/फीस	यथावत

जो सक्षम स्तर से अनुमत्य हो शामिल होगी। छात्रावास/मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें समिलित नहीं होंगे।

2-जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा ₹ 50000/-में से, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

3-जिन निजी क्षेत्र के संस्थानों में सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में छात्रों से ली जाने वाली शुल्क के निर्धारण की शक्ति स्वयं शिक्षण संस्थान को प्राप्त है, उन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को प्रदेश के किसी अन्य निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थान में उसी पाठ्यक्रम में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा संबंधित संस्था द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की धनराशि अथवा ₹ 50000/-में से, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

4-जिन निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्धारित नहीं है, उन संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु उत्तर प्रदेश शासन के सम्बंधित प्रशासनीय विभाग अपने स्तर से विशेषज्ञ समिति गठित करके शुल्क निर्धारण करेंगे क्योंकि शुल्क

यथावत।

3- जिन निजी क्षेत्र के संस्थानों में सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में छात्रों से ली जाने वाली शुल्क के निर्धारण की शक्ति स्वयं शिक्षण संस्थान को प्राप्त है, उन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को प्रदेश के किसी अन्य निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थान में उसी पाठ्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राज्य विश्वविद्यालयों के नियमित पाठ्यक्रमों (स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को छोड़ते हुए) में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा संबंधित संस्था द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की धनराशि अथवा ₹ 50000/-में से, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

4- प्रदेश के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध जिन निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्धारित नहीं है, उन संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु प्रदेश के किसी भी राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित उसी पाठ्यक्रम (स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को छोड़ते हुए) में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा संस्था द्वारा छात्रों से जमा करायी गयी वार्ताविक फीस

निर्धारण एक तकनीकी कार्य है। सक्षम प्राधिकारी स्तर से ऐसे पाठ्यक्रमों में शुल्क निर्धारण होने तक सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के जनपद/मण्डल /प्रदेश के राजकीय शिक्षण संस्थानों, राज्य/ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में संचालित उसी पाठ्यक्रम में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा संस्था द्वारा छात्रों से जमा करायी गयी वास्तविक फीस अथवा ₹0 50000/- में से ,जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

5—आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कालम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नान—रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नान—रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की वास्तविक धनराशि अथवा ₹0 50000/- में से ,जो भी न्यूनतम धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे प्रतिपूर्ति की जायेगी।

अथवा ₹0 50000/- में से ,जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

यथावत

6—शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों की फीस प्रतिपूर्ति उन्ही शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों में संचालित उसी पाठ्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राज्य विश्वविद्यालयों के नियमित पाठ्यक्रमों में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा सम्बन्धित शिक्षण संस्था द्वारा लिये जाने वाले शुल्क की धनराशि अथवा ₹0 50000/- में से ,जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

<p>शिक्षण संस्थान में अनुमन्य शुल्क के अभिलेखों का एकत्री करण व संरक्षी करण</p>	<p>5(Xii )</p> <p>क— शिक्षण संस्थानों में फीस निर्धारण के लिए अधिकृत राज्य सरकार के संबंधित प्रशासकीय विभागों यथा— तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा आदि द्वारा प्रत्येक शिक्षण संस्थान में सक्षम स्तर से निर्धारित पाठ्यक्रमवार फीस निर्धारण संबंधी आदेशों की प्रति प्रत्येक वर्ष दिनांक 15 जुलाई तक निदेशक समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा जिसकी एक प्रति निदेशालय स्तर पर सुरक्षित रखी जायेगी एवं छायाप्रति सत्यापित कर संबंधित शिक्षण संस्थानों के जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि निर्धारित तिथि तक प्रशासकीय विभागों द्वारा फीस निर्धारण सम्बन्धी आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो विगत वर्ष में संबंधित पाठ्यक्रम की सक्षम स्तर से निर्धारित फीस को ही वर्तमान वर्ष की मानते हुए अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।</p>	<p>शिक्षण संस्थान में अनुमन्य शुल्क के अभिलेखों का एकत्री करण व संरक्षी करण</p>	<p>क— यथावत</p>
	<p>ख— किसी भी जनपद में संचालित राजकीय संस्थानों, शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों, राज्य/ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों तथा निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में सक्षम स्तर से निर्धारित अनुमन्य शुल्क के विवरण का एकत्रीकरण व संरक्षीकरण जनपद स्तर पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा व मण्डल स्तर पर उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण द्वारा किया जायेगा।</p>		<p>ख— किसी भी जनपद में संचालित शासकीय संस्थानों, शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों, राज्य/ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों तथा निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में सक्षम स्तर से निर्धारित अनुमन्य शुल्क के विवरण का एकत्रीकरण व संरक्षीकरण जनपद स्तर पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।</p>

8

1

9

Ponner



			यथावत
(ii)	<p>यह छात्रवृत्तियां निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त दशमोत्तर या सेकेन्डरी के बाद के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए दी जायगी :—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(क) विमान अनुरक्षण इंजीनियर पाठ्यक्रम ।</li> <li>(ख) निजी विमान चालक लाइसेंस पाठ्यक्रम ।</li> <li>(ग) ट्रेनिंग शिप डफरिन (राजेन्द्र) के पाठ्यक्रम ।</li> <li>(घ) सैनिक महाविद्यालय' देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।</li> <li>(च) अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रम ।</li> <li>(छ) पत्राचार पाठ्यक्रम व अनुदूर व अनुवर्ती शिक्षा के पाठ्यक्रम ।</li> <li>(ज) कामर्शियल पायलेट लाइसेंस के पाठ्यक्रम (CPL) ।</li> </ul>		
(iii)	ऐसे अभ्यर्थी, जिनके माता-पिता अथवा अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा से अधिक न हो।		ऐसे अभ्यर्थी, जिनके माता-पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक न हो।
(iv)	ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जो शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय में अध्ययन करने लगें। उदाहरणार्थ—इण्टर आर्ट्स करने के बाद इण्टर साईंस करने लगें या बी0ए० करने के बाद बी0काम करने लगें, या एक विषय में एम०ए० करने के बाद किसी दूसरे विषय में एम०ए० करने लगें।		यथावत
(v)	ऐसे छात्र, इसके पात्र नहीं होंगे, जो किसी एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद किसी दूसरे व्यावसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के लिए		ऐसे छात्र, इसके पात्र नहीं होंगे, जो किसी एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद उसी स्तर के किसी दूसरे व्यवसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के लिए अध्ययन करने लगें, जैसे—

	अध्ययन करने लगें, जैसे— बी०टी०सी०/ बी०एड० के बाद एल०एल०बी० करने लगें। शैक्षिक वर्ष 1980-81 से दो व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने की अनुमति है।		बी०टी०सी०/ बी०एड० के बाद एल०एल०बी० करने लगें। ऐसे पाठ्यक्रमों एवं उसमें देय छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-ट पर उपलब्ध है।	
(vi)	सत्रत स्कूल पाठ्यक्रम होने के कारण बहुदेशीय हाईस्कूल की 12वीं कक्षा के हायर सेकेन्ड्री स्कूल पाठ्यक्रमों की 11वीं कक्षा के छात्र इसके पात्र नहीं होंगे, तथापि, उन मामलों में, जहां ऐसे पाठ्यक्रमों की 10वीं कक्षा की परीक्षा मैट्रीकुलेशन के समकक्ष मानी जाती हो, और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात छात्रों ने अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया हो, ऐसे छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्र समझा जायेगा।		यथावत	
(vii )	यदि विद्यार्थी इन्टर्नशिप अवधि के दौरान कुछ पारिश्रमिक अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान कुछ भत्ता या वजीफा पा रहे हैं तो एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में इन्टर्नशिप/हाऊस मैनशिप की अवधि के लिए अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।		यथावत	
(viii )	चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्र इसके पात्र होंगे, यदि उनके पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान उन्हें प्रैक्टिस करने की अनुमति न दी गयी हो।		यथावत	
(ix)	किसी भी मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या इससे ऊपर के पाठ्यक्रम में सरकारी वृत्तिका (स्टाइपेन्ड) अथवा फेलोशिप पाने वाले छात्र/छात्राएं इसके लिए अर्ह नहीं होंगे।		यथावत	
(x)	ऐसे छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जायेंगी, जिन्होंने कला/विज्ञान/		ऐसे छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जायेंगी, जिन्होंने कला/विज्ञान/वाणिज्य में	

	<p>वाणिज्य में स्नातक /स्नातकोत्तर परीक्षा अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया हो, बशर्ते कि वह अन्यथा इसके पात्र हों। उसके बाद समूह-1 (परिशिष्ट के में अंकित समूह) के पाठ्यक्रमों को छोड़कर अनुत्तीर्ण होने पर छूट नहीं दी जायेगी।</p>		<p>स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया हो, बशर्ते कि वह अन्यथा इसके पात्र हों। छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु छात्र का सभी पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।</p>
(xi)	<p>उन रोजगार प्राप्त छात्रों को सभी अनिवार्य रूप से देय वापस न की जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति की सीमा तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए पात्र बनाया गया है, जिनकी स्वयं की व उनके माता-पिता अथवा संरक्षकों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय अधिकतम निर्धारित वार्षिक आय सीमा से अधिक न हो।</p>		यथावत
(xii )	<p>एक ही माता-पिता अथवा संरक्षक के सभी बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।</p>		यथावत
(xiii )	<p>इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी छात्र अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा नहीं लेगा। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा प्रदान किया गया हो तो छात्र छात्रवृत्ति या वजीफा दोनों में से किसी एक के लिए जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद हो, अपना विकल्प दे सकता है और दिये गये विकल्प के बारे में सूचना संस्था प्रमुख के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदानकर्ता अधिकारी को देनी चाहिए। छात्र/छात्रा को उस तारीख से, जिससे वह दूसरी छात्रवृत्ति या वजीफा स्वीकार करता/करती है, इस योजना के अधीन किसी भी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा तथापि, छात्र राज्य सरकार से या</p>	यथावत।	

		किसी अन्य स्रोत से पुस्तकें, उपकरण खरीदने या आवास तथा भोजन व्यवस्था पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए इस योजना के अधीन भुगतान की गयी छात्रवृत्ति की रकम के अतिरिक्त निःशुल्क भोजन या अनुदान या तदर्थ आर्थिक सहायता स्वीकार कर सकता है।		
(xiv)		वे छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता, जो केन्द्र/राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के साथ किसी परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं, कोचिंग कार्यक्रम की अवधि के लिए कोचिंग योजनाओं के अन्तर्गत वजीफे के पात्र नहीं होंगे।		यथावत
(xv)		जब तक माता पिता में से कोई एक (अथवा विवाहित बेरोजगार के मामले में पति) जीवित हैं, तब तक माता-पिता/पति जैसी भी स्थिति हो, की सभी स्रोतों से प्राप्त आय को ही लिया जायेगा, न कि अन्य सदस्यों की आय को, चाहे वह कमाने वाले ही वयों न हों। आय घोषणा प्रपत्र में इसी आधार पर आय की घोषणा करना अपेक्षित है। केवल उस मामले में जब माता-पिता दोनों (अथवा विवाहित किन्तु बेरोजगार मामले में पति) की मृत्यु हो जाती है तो उस संरक्षक की आय को लेना होगा, जो विद्यार्थी की पढ़ाई में सहायता कर रहा है। ऐसे छात्र जिनके माता-पिता की आय दुर्भाग्यवश किसी एक की मृत्यु के कारण प्रभावित होती है और इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित आय-सीमा में आ जाती है तो ऐसी दुःखद घटना होने वाले महीने से वह छात्रवृत्ति का पात्र बन जायेगा, बशर्ते वह छात्रवृत्ति की अन्य शर्तें पूरी करता हो, ऐसे छात्रों से		यथावत

		छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पर अनुकम्पा के आधार पर, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को समाप्त होने के पश्चात भी विचार किया जा सकता है।			
	(xvi )	ऐसे छात्र/छात्राएं, जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, जिन्हें किसी संस्था या संभ्रान्त व्यक्ति द्वारा अपनी संरक्षण में शिक्षा प्रदान करने हेतु एडाप्ट कर लिया गया है, वे योजनान्तर्गत पात्र होंगे तथा उनके संदर्भ में संस्था, प्रबन्धन या संभ्रान्त व्यक्ति की आय उनकी पात्रता निर्धारण के लिये आधार नहीं समझी जायेगी।			यथावत
		—		(xv ii)	यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो वह नये पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा। छात्र के अभिभावक द्वारा शपथ पत्र से औचित्य प्रमाणित होने तथा नये पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखने पर नये पाठ्यक्रम में दूसरे वर्ष से नये छात्र के रूप में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। पुनः पाठ्यक्रम परिवर्तन करने पर छात्र नये पाठ्यक्रम की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा।
7-	मूल निवास का अनुमन्य साक्ष्य	उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन प्रेषित आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट साथ संलग्न जाति प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी के निवास के अंकन होने पर पृथक से सामान्य निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश के बाहर दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों के लिये दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ सामान्य निवास प्रमाण पत्र (जो प्रवेश की तिथि से	मूल निवास का अनुमन्य साक्ष्य		राजस्व विभाग के सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण में मूल निवास के अंकन की व्यवस्था होने के कारण पृथक से सामान्य निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8

A.

B

Parma

		<p>पाँच वर्ष से अधिक पुराना न हो ) संलग्न करना अनिवार्य होगा जो आवेदक के निवास की तहसील के उपजिलाधिकारी के स्तर से जारी किया गया हो एवं राजस्व परिषद उ०प्र० की वेबसाइट पर उपलब्ध हो।</p>		
8-	माता—पिता / अभिभावकों की आय के संबंध में अनुमत्य साक्ष्य	<p>माता—पिता अथवा अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में निम्नलिखित साक्ष्य अनुमत्य होंगे :—</p> <p>(i) माता—पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, के नौकरी में होने की दशा में उनके नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण—पत्र तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त अतिरिक्त आय का घोषणा पत्र देना होगा।</p> <p>(ii) अम्यर्थी के माता—पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, उनके नौकरी में न होने की दशा में समर्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण—पत्र, जो राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो।</p> <p>(iii) अम्यर्थी के माता—पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, द्वारा लिये जाने वाले मकान किराये भर्ते को “आय” में शामिल नहीं किया जायेगा, यदि इसे आयकर के प्रयोजन के लिए छूट की अनुमति की गयी हो।</p> <p>(iv) आय प्रमाण—पत्र केवल एक बार अर्थात् एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में दाखिले के समय ही लिया जायेगा अर्थात् एक वर्ष से अधिक वर्ष के पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आय—प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता न होगी। परन्तु यदि नये पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जाता है तो पुनः आय प्रमाण—पत्र देना होगा।</p>	<p>माता—पिता / अभिभावकों की आय के संबंध में अनुमत्य साक्ष्य</p>	<p>यथावत विलोपित।</p> <p>अम्यर्थी के माता—पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, की समर्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी / तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण—पत्र, जो राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो, मान्य होगा।</p> <p>यथावत</p> <p>यथावत।</p>

		(v)	जमा किये जाने वाले आय प्रमाण पत्र की वैधता उस शैक्षणिक सत्र वर्ष की पहली जुलाई को अवधारित की जायेगी।			विलोपित।	
9—	मास्टर डाटाबेस व संस्थाओं का पंजी—करण कोर्स मास्टर	(i)	<p>प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों की समस्त शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त आवश्यक विवरण यथा—शिक्षण संस्थान का नाम, संचालित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की मान्यता, पाठ्यक्रम हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या, वार्षिक अनिवार्य नान रिफन्डेबिल शुल्क आदि निर्धारित प्रारूप पर स्वयं आनलाइन भरकर “मास्टर डाटाबेस” में प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई तक समिलित होना होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्थान स्वयं उपरोक्त अवधि में मास्टर डाटाबेस में नये पाठ्यक्रमों को शामिल कर सकेंगे एवं असंचालित पाठ्यक्रमों को स्वयं हटा सकेंगे। मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक शामिल होने वाले शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्रा ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। संस्था द्वारा मान्यता समर्पित किये जाने अथवा संस्था को बन्द किये जाने की सूचना दिये जाने पर अथवा संस्था के विरुद्ध धनराशि के दुरुपयोग पाये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात् शिक्षण संस्थान का नाम मास्टर डाटा से हटाया जायेगा।</p> <p>(ii) उक्त मास्टर डाटाबेस में प्रत्येक वर्ष केवल ऐसे शिक्षण संस्थान शामिल हो सकेंगे जिनकों एवं जिनमें संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं सम्बद्धता 30 जून</p>	मास्टर डाटा बेस व संस्था ओं का पंजी—करण कोर्स मास्टर		<p>प्रदेश की समस्त शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त आवश्यक विवरण यथा—शिक्षण संस्थान का नाम, संचालित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की मान्यता, पाठ्यक्रम हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या, वार्षिक अनिवार्य नान रिफन्डेबिल शुल्क आदि निर्धारित प्रारूप पर स्वयं आनलाइन भरकर “मास्टर डाटाबेस” में समिलित होना होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्थान स्वयं मास्टर डाटाबेस में नये पाठ्यक्रमों को शामिल कर सकेंगे एवं असंचालित पाठ्यक्रमों को स्वयं हटा सकेंगे। मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक शामिल होने वाले शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्रा ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। संस्था द्वारा मान्यता समर्पित किये जाने अथवा संस्था को बन्द किये जाने की सूचना दिये जाने पर अथवा संस्था के विरुद्ध धनराशि के दुरुपयोग पाये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात् शिक्षण संस्थान का नाम मास्टर डाटा से हटाया जायेगा।</p>	यथावत

		तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी हो। 30 जून के पश्चात मान्यता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थान एवं पाठ्यक्रमों को आगामी वित्तीय वर्ष में मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित किया जायेगा।		
	(iii)	मास्टर डाटाबेस में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों, शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों की संख्या एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से स्वीकृत वार्षिक अनिवार्य नान रिफण्डेबिल शुल्क(फीस) आदि का विवरण सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) स्तर से उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर पर स्वयं निर्धारित तिथि तक आनलाइन भरा जायेगा। मास्टर डाटाबेस में शुद्ध डाटा आनलाइन भरने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित शिक्षण संस्थान का होगा। संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से मान्यता एवं सम्बद्धता तथा सक्षम स्तर से अनुमन्य सीटों से सम्बन्धित आदेश/ पत्र आदि पी0डी0एफ0 फाइल के रूप में संबंधित साफ्टवेयर पर शिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।		मास्टर डाटाबेस में प्रदेश में स्थित शिक्षण संस्थानों, शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों की संख्या एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से स्वीकृत वार्षिक अनिवार्य नान रिफण्डेबिल शुल्क (फीस) आदि का विवरण सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) स्तर से उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर पर स्वयं निर्धारित तिथि तक आनलाइन भरा जायेगा। मास्टर डाटाबेस में शुद्ध डाटा आनलाइन भरने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित शिक्षण संस्थान का होगा। संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से मान्यता एवं सम्बद्धता तथा सक्षम स्तर से अनुमन्य सीटों से सम्बन्धित आदेश/ पत्र आदि पी0डी0एफ0 फाइल के रूप में संबंधित साफ्टवेयर पर शिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।
	(iv)	जनपद में संचालित बैंक, बैंक शाखाओं तथा उनके आई0एफ0एस0 कोड का शुद्ध विवरण मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक सम्मिलित किया जायेगा। बैंक, बैंक शाखाओं के नाम व उनके IFS कोड को मास्टर डाटाबेस में शामिल कराने एवं IFS कोड की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी		यथावत।

8

PL

Q

Bmuz

		का होगा।		
(v)	<p>प्रदेश के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय एवं स्थलीय जॉच तथा त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण में संदेह की स्थिति सत्पन्न होने पर सम्बन्धित विभागीय आधिकारियों से सम्पर्क कर संदेह का निवारण कर लेंगे। अभिलेखीय एवं स्थलीय जॉच में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का आवश्यक सहयोग भी प्राप्त करेंगे।</p> <p>प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जॉच एवं त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक प्रभारी/नोडल अधिकारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना(प्रदेश के बाहर), समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।</p>		<p>प्रदेश के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय एवं स्थलीय जॉच तथा त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण में संदेह की स्थिति उत्पन्न होने पर सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से सम्पर्क कर संदेह का निवारण नर लेंगे। अभिलेखीय एवं स्थलीय जॉच में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का आवश्यक सहयोग भी प्राप्त करेंगे।</p>	
(vi)	<p>मास्टर डाटाबेस में उल्लिखित प्रदेश के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों, उनमें संचालित पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रमों हेतु रवीकृत सीटों की संख्या एवं वार्षिक अनिवार्य नान रिफण्डेबल शुल्क (फीस) आदि का मिलान जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा यू.पी.टी.यू., ए.आई.सी.टी.ई., यू.जी.सी., एन.सी.टी.ई., एम.सी.आई., विश्वविद्यालयों एवं शिक्षा परिषदों तथा बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन आदि की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से एवं संबंधित शैक्षिक पाठ्यक्रमों के प्रशासकीय</p>		<p>मास्टर डाटाबेस में उल्लिखित प्रदेश/जनपद के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों, उनमें संचालित पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रमों हेतु रवीकृत सीटों की संख्या, शुल्क आदि विवरण का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा तदोपरान्त उनके द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से मास्टर डाटाबेस में शिक्षण संस्थान के डाटा को लॉक किया जायेगा। शिक्षण संस्थानों के मास्टर डाटाबेस के विवरण को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी अपने डिजिटल सिग्नेचर से निर्धारित तिथि तक</p>	

8

N

G

Bawar

		<p>विभागों/शिक्षण संस्थानों / शिक्षा अधिकारियों/ समाज कल्याण निदेशालय से प्राप्त फीस निर्धारण संबंधी आदेशों से मिलान कर त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। तदोपरान्त प्रदेश के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों के मास्टर डाटा में शिक्षण संस्थानों द्वारा अंकित की गयी पाठ्यक्रम की फीस की धनराशि को सत्यापित करते हुए पूर्णतया संतुष्ट होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपने डिजीटल सिगनेचर से निर्धारित तिथि को लॉक किया जायेगा।</p> <p>प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटावेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जॉच सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की हार्ड कापी से प्रभारी/नोडल अधिकारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर), समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा करके त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। तदोपरान्त प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटावेस में भरे गये विवरण को प्रभारी/नोडल अधिकारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर), समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा अपने डिजीटल सिगनेचर से निर्धारित तिथि को लॉक किया जायेगा।</p>		लॉक किया जायेगा।
	(vii )	<p>मास्टर डाटावेस में उल्लिखित प्रदेश के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों, उनमें संचालित पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रमों हेतु स्वीकृत सीटों की संख्या एवं अनिवार्य</p>		मास्टर डाटावेस में उल्लिखित जनपद के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों, उनमें वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या आदि विवरण का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी

8

A

Q

Punjab

		<p>नान रिफणडेबल शुल्क (फीस) आदि का मिलान जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा यू.पी.टी.यू. ए.आई.सी.टी.ई., यू.जी.सी., एन.सी.टी.ई., एम.सी.आई., विश्वविद्यालयों एवं शिक्षा परिषदों एवं बोर्ड आफ टेक्निकल एज्यूकेशन आदि की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से करके त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। तदोपरान्त प्रदेश के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों के मास्टर डाटाबेस को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपने डिजीटल सिगनेचर से निर्धारित तिथि को लॉक किया जायेगा।</p>		<p>एवं संबंधित विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा तदोपरान्त उनके द्वारा अपने डिजीटल सिगनेचर से मास्टरबेस में शिक्षण संस्थान के डाटा को लॉक किया जायेगा। शिक्षण संस्थानों के मास्टर डाटाबेस के विवरण को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी अपने डिजीटल सिगनेचर से निर्धारित तिथि तक लॉक किया जायेगा।</p>	
	(viii )	<p>प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जॉच सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की हार्ड कापी से प्रभारी अधिकारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा करके त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। तदोपरान्त प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण को प्रभारी अधिकारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा अपने डिजीटल सिगनेचर से निर्धारित तिथि को लॉक किया जायेगा।</p>		विलोपित।	
10—	अनुरक्षण भत्ता की निर्धारित दरें	(i)	<p>दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली के अन्तर्गत समय-समय पर निर्धारित समूहवार पाठ्यक्रमवार अनुरक्षण भत्ता की दर व विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त सुविधा व अन्य</p>	<p>अनुरक्षण भत्ता की निधा 'रित दरें</p>	<p>यथावत</p>

8

P

Q

Bne

			दरों का जो प्रावधान किया गया है, वह तदनुरूप लागू रहेगा, जो संलग्नक परिशिष्ट "क" में अंकित है।			
		(ii)	उन छात्रों को जो निःशुल्क भोजन और/या निःशुल्क आवास के पात्र हैं व सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं उनको अनुरक्षण भत्ता की दरों का 1/3 अनुरक्षण व्यय दिया जायेगा।			यथावत
11-	छात्र को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु शिक्षण संस्थाओं की वरीयता क्रम का निर्धारण	(i)	छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह छात्र/छात्राओं को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा।	छात्र को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु शिक्षण संस्थाओं की वरीयता क्रम का निर्धारण		यथावत
		(ii)	सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का नवीनीकरण एवं तदोपरान्त नये छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निम्नांकित वरीयता क्रम में बजट की उपलब्धता की सीमा तक उनके द्वारा बैंक में खोले गये बचत खाते में सीधे अन्तरित करके की जायेगी :—	सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का नवीनीकरण एवं तदोपरान्त नये छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निम्नांकित वरीयता क्रम में बजट की उपलब्धता की सीमा तक उनके द्वारा बैंक में खोले गये बचत खाते में सीधे अन्तरित करके की जायेगी :—		यथावत
			(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभागों/निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों व राजकीय स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।			यथावत
			(ख) केन्द्र अथवा राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।			यथावत
			(ग) निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है।	(ग) निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है।		
						(घ) निजी क्षेत्र के ऐसे शिक्षण संस्थान

8

1.

9.

Parole

/

			जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, परन्तु सक्षम स्तर पर मान्यता प्राप्त है।
			(च) निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहाँ संचालित पाठ्यक्रम की शुल्क संरचना स्वयं निर्धारित किये जाने हेतु अधिकृत है।
नोट— उपरोक्त वरीयता क्रम में ही बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि वितरित की जायेगी। एक वरीयता क्रम के समस्त छात्र/छात्राओं को वितरण के पश्चात ही बजट की उपलब्धता की सीमा तक अगले वरीयता क्रम के छात्र/छात्राओं को धनराशि वितरित की जायेगी। यह क्रम (क) से (ग) तक जारी रहेगा।			नोट— उपरोक्त वरीयता क्रम में ही बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि वितरित की जायेगी। एक वरीयता क्रम के समस्त छात्र/छात्राओं को वितरण के पश्चात ही बजट की उपलब्धता की सीमा तक अगले वरीयता क्रम के छात्र/छात्राओं को धनराशि वितरित की जायेगी। यह क्रम (क) से (च) तक जारी रहेगा। अर्थात् सर्वप्रथम श्रेणी (क) के संस्थान “केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभागों/निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थाओं” में अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्र/छात्रायें तत्पश्चात् उनमें अध्ययनरत नवीन (फ्रेश) छात्र/छात्रायें। बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि सर्वप्रथम श्रेणी (क) के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को संतृप्त करने के पश्चात् श्रेणी (ख) के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को धनराशि वितरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त के उपरान्त श्रेणी (ख) के संस्थानों “केन्द्र अथवा राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों” में अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्र/छात्रायें तत्पश्चात् उनमें अध्ययनरत नवीन (फ्रेश) छात्र/छात्रायें। बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि श्रेणी (ख) के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को संतृप्त करने के पश्चात् श्रेणी (ग) के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को धनराशि वितरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त के उपरान्त श्रेणी (ग) “निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के मान्यता

8

7

6

Parvez

प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है' में अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्र/छात्रायें तत्पश्चात् उनमें अध्ययनरत नवीन (फ्रेश) छात्र/छात्रायें। बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि श्रेणी (ग) के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को संतुष्ट करने के पश्चात् श्रेणी (घ) के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को धनराशि वितरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त के पश्चात् श्रेणी (घ) के संस्थान 'निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, परन्तु सक्षम स्तर पर मान्यता प्राप्त है' में अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्र/छात्रायें तत्पश्चात् उनमें अध्ययनरत नवीन (फ्रेश) छात्र/छात्रायें। बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि श्रेणी (घ) के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को संतुष्ट करने के पश्चात् श्रेणी (च) के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को धनराशि वितरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त के पश्चात् श्रेणी (च) के संस्थान 'निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहाँ संचालित पाठ्यक्रम की शुल्क संरचना स्वयं निर्धारित किये जाने हेतु अधिकृत है' में अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्र/छात्रायें तत्पश्चात् उनमें अध्ययनरत नवीन (फ्रेश) छात्र/छात्रायें।

(1)	प्रत्येक वरीयताक्रम के अन्दर छात्रों का चयन उसके परिवार की कुल वार्षिक आय, विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत एवं समूहवार पाठ्यक्रम के अनुसार वेटेज अंक प्रदान कर निम्नलिखित रीति से किया जायेगा –	(1)	प्रत्येक वरीयता क्रम के अन्दर छात्रों का चयन उसके विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत एवं समूहवार पाठ्यक्रम के अनुसार वेटेज अंक प्रदान कर निम्नलिखित रीति से किया जायेगा – (i)– विलोपित।

1(i) — अभ्यर्थी के परिवार की कुल वार्षिक आय के अंक—

क्रम संख्या	आय स्लैब (रु० में)	वेटेज अंक
1	12000 तक।	10
2	12000 से अधिक 24000 तक।	8
3	24000 से अधिक 36000 तक।	6
4	36000 से अधिक 48000 तक।	4
5	48000 से अधिक।	2

ii — विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के अंक—

क्रम संख्या	विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत	वेटेज अंक
1	33% तक।	2
2	33% से अधिक 45% तक।	4
3	45% से अधिक 60% तक।	6
4	60% से अधिक 75% तक।	8
5	75% से अधिक।	10

iii — समूहवार पाठ्यक्रम के अंक

क्रम संख्या	समूहवार पाठ्यक्रम	वेटेज अंक
1	समूह-1	1
2	समूह-2	4
3	समूह-3	7
4	समूह-4	10

11 (ii) (2) प्रत्येक छात्र/छात्रा को उसके परिवार की कुल वार्षिक आय, विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत

(ii) — प्रत्येक छात्र को विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के बराबर वेटेज अंक प्रदान किये जायेंगे। यदि प्राप्तांक का प्रतिशत दशमलव में आता है तो उसकी गणना दशमलव के दो अंक तक की जायेगी। उदाहरण स्वरूप यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा गत परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त होते हैं, तो उसे प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर 45 वेटेज अंक दिये जायेंगे।

(iii) — समूहवार पाठ्यक्रम के अंक—

क्रम संख्या	समूहवार पाठ्यक्रम	वेटेज अंक
1	समूह-1	1
2	समूह-2	4
3	समूह-3	7
4	समूह-4	10

प्रत्येक छात्र/छात्रा को उसके विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर प्राप्त वेटेज अंक एवं समूहवार पाठ्यक्रम

		एवं समूहवार पाठ्यक्रम के अनुसार उपरोक्तानुसार वेटेज अंक प्रदान किया जायेगा। छात्र/छात्रा के परिवार की कुल वार्षिक आय, विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत एवं समूहवार पाठ्यक्रम तीनों के संयुक्त वेटेज अंक प्राप्ति के अनुसार सबसे अधिक वेटेज अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को सर्वप्रथम छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा तदोपरान्त घटते हुए कम में बजट की उपलब्धता तक वितरण किया जायेगा।		के अनुसार प्राप्त वेटेज अंक को जोड़कर संयुक्त वेटेज अंक तैयार किया जायेगा। सबसे अधिक संयुक्त वेटेज अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को सर्वप्रथम छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा तदोपरान्त घटते हुए कम में बजट की उपलब्धता तक वितरण किया जायेगा।
(3)		छात्र/छात्राओं के कुल वेटेज अंक एक समान होने की दशा में अभ्यर्थी की आयु को वरीयता दी जायेगी, जिसमें सबसे अधिक आयु के छात्र/छात्रा को सबसे पहले वितरण किया जायेगा तत्पश्चात छात्र/छात्रा की आयु के घटते हुए कम (अवरोही कम) में वितरण किया जायेगा।	3	यथावत
(4)		इसके पश्चात भी यदि कई अभ्यर्थी कुल वेटेज अंक एवं आयु में एक समान होते हैं तो छात्र/छात्रा के नाम के अल्फाबेटिक ( A to Z ) कम में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा।	4	यथावत
5		छात्र/छात्राओं के वेटेज अंक, आयु एवं अल्फाबेटिक कम में एक समान होने की दशा में प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन फार्म भरने की तिथि व समय से किया जायेगा।	5	यथावत

8

A.

B.

Power



	iii	इसके पश्चात भी यदि कई अभ्यर्थी कुल वेटेज अंक एवं आयु में एक समान होते हैं तो छात्र/छात्रा के नाम के अल्फाबेटिक (A to Z) क्रम में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा।		यथावत	
	iv	छात्र/छात्राओं के वेटेज अंक, आयु एवं अल्फाबेटिक क्रम में एक समान होने की दशा में प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन फार्म भरने की तिथि व समय से किया जायेगा।		यथावत	
	नोट -	दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत उक्त वरीयता श्रेणी, आय/प्राप्तांक/समूह के संयुक्त वेटेज, आयु, अल्फाबेटिक आधार पर प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर लाभान्वित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि सम्पूर्ण प्रदेश में लाभान्वित होने वाले छात्रों का वरीयता मानक एकसमान रखा जाय।		नोट - 1-दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत उक्त वरीयता श्रेणी, प्राप्तांक/ पाठ्यक्रम समूह के संयुक्त वेटेज, आयु, अल्फाबेटिक आधार पर प्रथम प्रथम पावत के आधार पर लाभान्वित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि सम्पूर्ण प्रदेश में लाभान्वित होने वाले छात्रों का वरीयता मानक एकसमान रखा जाय। 2- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई लखनऊ द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित तिथि तक उक्त समस्त विवरण को हस्ताक्षरित साफ्टकापी (डीवीडी) निदेशालय को 02 प्रतियों में अभिलेखार्थ उपलब्ध करायी जायेगी। 3- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई लखनऊ द्वारा उपलब्ध बजट के अनुरूप प्रतिवर्ष वरीयता क्रम के आधार पर नवीनीकरण एवं नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं को अलग-अलग सृजित श्रेणीवार मांग (जनपदवार) के विवरण को हस्ताक्षरित हार्ड एवं साफ्टकापी में धनावंटन हेतु निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।	
12-	दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया	(i)	इस योजना में अर्ह छात्रों को संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा सशुल्क प्रवेश दिया जायेगा। छात्रों द्वारा प्रवेश के समय संस्था की नियमानुसार फीस/शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। इस	दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया एवं उससे संबंधित अभिलेखों का रख रखाव	यथावत

	<p>नियमावली/योजना में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था नहीं रहेगी। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध बजट के अन्तर्गत एवं नियमावली के प्राविधानों के अनुसार छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि नियमानुसार छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खाते में राज्य मुख्यालय रिस्ट्रिक्ट कोषागार से ई-पेमेण्ट (<b>e-payment</b>) के तहत <b>PFMS (Public Financial Management System)</b> प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रतिपूर्ति (reimburse) की जायेगी।</p>			
		(i) क	दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत आवेदन किए जाने से लेकर वितरण तक की सम्पूर्ण प्रक्रियात्मक कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु प्रत्येक शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व 31 मार्च तक समय-सारिणी शासन द्वारा निर्गत की जायेगी।	
(ii)	<p>अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नये छात्र/छात्राओं को निर्धारित प्रारूप पर इन्टरनेट के माध्यम से आनलाइन आवेदन करना होगा। विगत वर्ष में आनलाइन आवेदन करने वाले एवं छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को नवीनीकरण हेतु सम्पूर्ण विवरण पुनः भरने के रथान पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नवीन/संशोधित सूचनाएं ही निर्धारित प्रारूप पर आनलाइन उपलब्ध करानी होगी। छात्र/छात्राओं को समर्त प्रविष्टियाँ आनलाइन सही-सही भरकर उसका प्रिन्टआउट लेकर समर्त आवश्यक अभिलेख परिशिष्ट-'ग' के अनुसार रांगन</p>	(ii)	यथावत।	

8

A.

B.

Dinesh

		कर शिक्षण संस्थान में आवेदन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के 07 दिन के अन्दर आनिवार्य रूप से जमा करना होगा जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट—‘च’ के अनुसार शिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।														
			(ii) क	1—तदोपरान्त शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक छात्र द्वारा भरे गये आनलाइन आवेदन के निर्धारित कालम में अंकित विवरण का मिलान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ से निम्न बिन्दुओं पर अनिवार्य रूप से कराया जायेगा— <table border="1"><tr><td>1</td><td>जाति प्रमाण पत्र</td><td>बोर्ड आफ रेवन्यू उ0प्र0/ई—डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से</td></tr><tr><td>2</td><td>आय प्रमाण पत्र</td><td>बोर्ड आफ रेवन्यू उ0प्र0/ई—डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से</td></tr><tr><td>3</td><td>हाईस्कूल अनुक्रमांक</td><td>संबंधित परिषद की वेबसाइट से</td></tr><tr><td>4</td><td>इण्टरमीडिएट अनुक्रमांक</td><td>संबंधित परिषद की वेबसाइट से</td></tr></table>	1	जाति प्रमाण पत्र	बोर्ड आफ रेवन्यू उ0प्र0/ई—डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से	2	आय प्रमाण पत्र	बोर्ड आफ रेवन्यू उ0प्र0/ई—डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से	3	हाईस्कूल अनुक्रमांक	संबंधित परिषद की वेबसाइट से	4	इण्टरमीडिएट अनुक्रमांक	संबंधित परिषद की वेबसाइट से
1	जाति प्रमाण पत्र	बोर्ड आफ रेवन्यू उ0प्र0/ई—डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से														
2	आय प्रमाण पत्र	बोर्ड आफ रेवन्यू उ0प्र0/ई—डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से														
3	हाईस्कूल अनुक्रमांक	संबंधित परिषद की वेबसाइट से														
4	इण्टरमीडिएट अनुक्रमांक	संबंधित परिषद की वेबसाइट से														
				उक्त एवं अन्य निर्धारित बिन्दुओं पर स्कूटनी के पश्चात् शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा को अलग कर लिया जायेगा।												
				2— राज्य एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी में प्राप्त छात्रों के शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा के आवेदन पत्रों में अंकित बैंक सम्बन्धी विवरण यथा— खाताधारक का नाम, बैंक का नाम/शाखा, आई0एफ0एस0 कोड, बैंक का खाता संख्या आदि का मिलान पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर के माध्यम से कराया जायेगा।												
				3— राज्य एन0आई0सी0 एवं पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर के मिलान के पश्चात् जो आवेदन पत्र संदेहास्पद श्रेणी में आयेंगे उन्हें छात्रवार एवं संरथावार जिला पिछड़ा बर्ग कल्याण अधिकारी एवं निदेशक के लागि प्रेषित किया जायेगा तथा संबंधित छात्र को इसकी सूचना एस0एम0एस0 द्वारा दी												

8

1

8

Final

✓

				जायेगी।
				4— शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा (कारण सहित) का विवरण वरीयता कम में संरक्षावार (शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र की मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान) छात्रवृत्ति सम्बन्धी वेबसाइट पर सर्वसंधारण के जानकारी हेतु अपलोड किया जायेगा।
				5— छात्रों को अपने आवेदन पत्र की त्रुटियों को सुधार हेतु निर्धारित समय—सारिणी के अनुसार समय प्रदान किया जायेगा।
		(ii) ख		त्रुटियों के सुधार हेतु दी गयी अन्तिम तिथि के उपरान्त राज्य एन0आई0सी0 द्वारा छात्रों से सम्बन्धित समस्त डाटा शिक्षण संस्थान के लागिन पर उपलब्ध कराया जायेगा।
(iii)	अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का मिलान शिक्षण संस्थान पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिये शिक्षण संस्था पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। आवेदन—पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का मिलान किये जाने के उपरान्त सही एवं अह पाये गये आवेदन—पत्रों पर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु संस्तुति संस्था स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जायेगी।	(iii)		यथावत।
	1—संस्था प्रमुख /निदेशक /प्राचार्य/ प्रधानाचार्य— अध्यक्ष			यथावत
	2—संस्था के वरिष्ठतम् प्राध्यापक— सदस्य			यथावत।
	3—संस्था के वरिष्ठतम् अन्य पिछड़ा वर्ग के प्राध्यापक-- सदस्य अथवा			3—संस्था के वरिष्ठतम् अन्य पिछड़ा वर्ग के प्राध्यापक— सदस्य
	संस्था के वरिष्ठतम् अनुसूचित जाति के प्राध्यापक , अथवा			संस्था में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्राध्यापक उपलब्ध न होने की दशा में संस्था के वरिष्ठतम् अनुसूचित जाति के प्राध्यापक, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति का प्राध्यापक न होने की स्थिति में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित उस संस्था का कोई अन्य प्राध्यापक।
	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित उस संस्था का सामान्य श्रेणी का कोई प्राध्यापक			

	(iv)	उपरोक्त समिति द्वारा संस्तुत छात्रों का विवरण आनलाइन सत्यापित करने का उत्तरदायित्व संबंधित शिक्षण संस्था का ही होगा। छात्र द्वारा जमा आनलाइन फीडेड आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट समर्त संलग्नकों सहित, संस्थान द्वारा आनलाइन सत्यापित विवरण की हार्ड कापी परिशिष्ट "छ" के अनुसार सत्यापन प्रमाण—पत्र संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति सहित जिला विद्यालय निरीक्षक/ क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी। जिन छात्र/छात्राओं का डाटा त्रुटिपूर्ण, गलत या अपूर्ण पाया जाता है, ऐसे छात्र/छात्राओं के आवेदन को शिक्षण संस्था द्वारा समुचित कारण दर्शाते हुए छात्रवृत्ति हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी एवं अपने स्तर से 'रिजेक्ट' कर दिया जायेगा।		(iv)	उपरोक्त समिति द्वारा संस्तुत छात्रों का विवरण आनलाइन सत्यापित करने का उत्तरदायित्व संबंधित शिक्षण संस्था का ही होगा। छात्र द्वारा जमा आनलाइन फीडेड आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट समर्त संलग्नकों सहित, संस्थान द्वारा आनलाइन सत्यापित विवरण की हार्ड कापी परिशिष्ट "छ" के अनुसार सत्यापन प्रमाण—पत्र संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति सहित जिला विद्यालय निरीक्षक/ क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी। जिन छात्र/छात्राओं का डाटा त्रुटिपूर्ण, गलत या अपूर्ण पाया जाता है, ऐसे छात्र/छात्राओं के आवेदन को शिक्षण संस्था द्वारा समुचित कारण दर्शाते हुए छात्रवृत्ति हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी एवं अपने स्तर से 'रिजेक्ट' कर दिया जायेगा।
	(v)	छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के डिजीटल सिरानेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लाक किये गये विवरण की तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण सम्बन्धी व अन्य समर्त अभिलेखों का रखरखाव निम्नलिखित स्तरों पर 10 वर्ष तक साफ्टकापी डीवीडी, हार्ड डिस्क एवं हार्ड कापी में सुरक्षित रखी जायेगी। 1—शिक्षण संस्थान स्तर पर:- (अ) शिक्षण संस्थान द्वारा भास्टर डाटा हेतु आनलाइन भरे गये शिक्षण संस्थान एवं संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता, सम्बद्धता व सीटों की अनुमन्यता एवं सक्षम स्तर से स्वीकृत पाठ्यक्रमवार फीस सम्बन्धी पूर्ण विवरण की संलग्नकों सहित हस्ताक्षरित			यथावत

साफ्टकापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में।

(ब) छात्र-छात्राओं के आनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की संलग्नक सहित हार्डकापी/सॉफ्ट कापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में।

छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों से सम्बन्धित हस्ताक्षरित साफ्टकापी (डीवीडी) जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी।

## 2—जनपद स्तर पर:-

क— जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय स्तर:-

1— समस्त शिक्षण संस्थानों का मार्स्टर डाटाबेस का विवरण जिसमें संस्थानों/पाठ्यक्रमों की मान्यता व सम्बद्धता, अनुमन्य सीटों की संख्या एवं सक्षम स्तर से अनुमन्य शुल्क तथा सम्बन्धित समस्त शासनादेश / सक्षम स्तर से जारी आदेशों की हस्ताक्षरित हार्ड एवं साफ्ट कापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में।

2—शैक्षिक संस्थावार छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति विषयक आवेदन पत्रों के हस्ताक्षरित संख्यात्मक विवरण की हार्ड एवं साफ्टकापी डीवीडी में।

3— जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का शिक्षण संस्थावार संख्यात्मक हस्ताक्षरित विवरण (छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि सहित) हार्ड कापी में।

4— छात्रवृत्ति सर्वर पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा आनलाइन डिजिटल सिग्नेचर से लाक किये गये छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति

डाटा से सृजित बेनीफिशरी एवं ड्रांजेक्शन फाइल की हस्ताक्षरित हार्डकापी एवं साफ्टकापी डीवीडी, हार्डडिस्क में।

5—बेनीफिशरी एवं ड्रांजेक्शन फाइल की हार्डकापी पर कम्प्यूटर आपरेटर, लेखाकार, पटल सहायक, नोडल अधिकारी योजना एवं वित्त नियन्त्रक, निदेशालय द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी।

6—छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित जंक एवं सर्सेक्ट डाटा की हस्ताक्षरित साफ्ट एवं हार्डकापी, छात्र-छात्रा को छात्रवृत्ति न मिल पाने के कारण सहित।

7—शैक्षिक संस्थावार छात्र-छात्रा के खाते में धनराशि अन्तरण के उपरान्त लाभान्वित छात्र-छात्रा के डाटाबेस को सम्बन्धित वेबसाइट से डाउनलोड कर उसकी साफ्टकापी डीवीडी, हार्डडिस्क एवं हार्डकापी (कम्प्यूटर आपरेटर, लेखाकार, पटल सहायक, नोडल अधिकारी योजना एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा हस्ताक्षरित)।

(ख) जनपदीय एनोआईसी० स्तर पर:-

1—छात्र-छात्राओं द्वारा भरे गये आवेदन पत्रों, जनपद रत्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत एवं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से लाक किये गये डाटा का विवरण तथा बेनीफिशरी फाईल/ ड्रांजेक्शन फाइल/ बैंक खातों में अन्तरित छात्रवृत्ति/ जंक व सर्सेक्ट डाटा का विवरण साफ्टकापी डीवीडी, हार्डडिस्क में।

3—प्रदेश स्तर पर:-

(क) निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण स्तर पर:-

1—शैक्षिक संस्थावार छात्र/

छात्राओं द्वारा आनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति विषयक आवेदन पत्रों का हस्ताक्षरित संख्यात्मक जनपदवार विवरण साफ्ट कापी में।

2— छात्रवृत्ति सर्वर पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा आनलाइन डिजिटल सिग्नेचर से लाक किये गये छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति डाटा के आधार पर सूजित बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल की हस्ताक्षरित साफ्टकापी (डीवीडी, हार्डडिस्क में)

3— छात्रवृत्ति से सम्बन्धित जंक एवं सर्सेक्ट डाटा की हस्ताक्षरित साफ्टकापी, छात्र-छात्रा को छात्रवृत्ति न मिल पाने के कारण सहित।

4— शैक्षिक संस्थावार छात्र-छात्रा के खाते में धनराशि अन्तरण के उपरान्त लाभान्वित छात्र-छात्रा के विवरण को सम्बन्धित वेबसाइट से डाउनलोड कर उसकी साफ्टकापी (डीवीडी, हार्डडिस्क में)।

5—कैशबुक, लैजर, समर्पित/वापस की गयी धनराशि एवं बैंकों द्वारा वापस की गयी धनराशि का पूर्ण विवरण एवं लेखाशीर्षकवार प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त नियन्त्रक द्वारा।

ख— निदेशक, एन०आर्फ०सी० (स्टेट यूनिट) लखनऊ के कार्यालय में उक्त डाटा की साफ्टकापी डीवीडी, हार्डडिस्क में।

ग—समस्त जनपद स्तर से प्राप्त छात्र/छात्रा द्वारा भरे गये आनलाइन आवेदन पत्र एवं उसके साथ संलग्न समस्त अभिलेखों की पी०डी०एफ० फाइल की साफ्टकापी सी०डी०/डी०वी०डी० में प्राप्त कर निदेशालय स्तर पर नामित नोडल अधिकारी (योजना) द्वारा डिजिटल

8

A

				लॉकर में डाटा निर्धारित प्रक्रियानुसार सुरक्षित रखा जायेगा।
(vi)	<p>शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था व पाठ्यक्रमों की प्रमाणिकता, पाठ्यक्रम हेतु अनुमन्य सीटों के सापेक्ष आवेदकों की संख्या आदि का परीक्षण किया जायेगा तथा आनलाइन डाटा संस्तुत एवं अग्रसारित किया जायेगा। तदोपरान्त शिक्षण संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त संलग्नकों व अपनी संस्तुति सहित शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को उपलब्ध करायी जायेगी। शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं अग्रसारित डाटा को निकेशक, पिछ़ड़ा वर्ग कल्याण द्वारा एन०आई०सी० (स्टेट गूनिट) लखनऊ के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक विभिन्न परीक्षा नियन्त्रक संस्थाओं/विभागों यथा— यू.पी.टी.यू., ए.आई.सी.टी.ई., यू.जो.सी., एन.सी.टी.ई., एम.सी.आई., विश्वविद्यालयों एवं विभिन्न शिक्षा परिषदों, बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन तथा बोर्ड आफ रेवन्यू आदि की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से मिलान एवं समस्त जनपदों के छात्रों के डाटा को आपस में भिक्सकर डुप्लीकेट डाटा की छटनी व परीक्षण कराकर शुद्ध एवं सन्देहास्पद डाटा पृथक—पृथक सम्बन्धित जनपदों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।</p>	(vi)	<p>शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था की गान्यता, वैधता एवं वर्गवार अनुमन्य सीटों के सापेक्ष आवेदकों की संख्या आदि का परीक्षण कर आनलाइन सत्यापन एवं डिजीटल हस्ताक्षर से लॉक किया जायेगा। तदुपरान्त आनलाइन भरे गये आवेदन पत्रों के समस्त विवरण राज्य एन०आई०सी० द्वारा विभागीय लागिन पर अनिवार्य रूप से लिंक कर दिया जायेगा।</p>	
(vii )	जनपद स्तर पर अन्य पिछ़ड़ा वर्ग की दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क		(vii )	जनपद स्तर पर अन्य पिछ़ड़ा वर्ग की दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की

8

A

B

Parmanand

	<p>प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु निम्न समिति गठित की जाती है:-</p> <p>1-जिलाधिकारी -अध्यक्ष</p> <p>2- मुख्य विकास अधिकारी - उपाध्यक्ष</p> <p>3- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी— सदस्य सचिव</p> <p>4- जिला विद्यालय निरीक्षक - सदस्य</p> <p>5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी - तकनीकी सदस्य</p> <p>6- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी - सदस्य</p> <p>यह समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति कही जायेगी, जो इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान करेगी।</p>		<p>स्वीकृति हेतु निम्न समिति गठित की जाती है:-</p> <p>1-जिलाधिकारी - अध्यक्ष</p> <p>2- मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष</p> <p>3- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी— सदस्य सचिव</p> <p>4- जिला विद्यालय निरीक्षक/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी-सदस्य</p> <p>5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी - तकनीकी सदस्य</p>
(viii) )	<p>1- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सत्यापित एवं अग्रसारित तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (स्टेट यूनिट) लखनऊ से परीक्षणोपरान्त प्राप्त आनलाइन डाटा को समर्त छात्रों के विवरण सहित सूची की हार्डकापी जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।</p> <p>क- शिक्षा अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्र आनलाइन जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को अग्रसारित किये जायेंगे।</p>	(vii) i)	<p>1-शिक्षा अधिकारी आनलाइन अग्रसारित किये गये डाटा को सम्बन्धित जनपदों के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों को उनके लागिन पर जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के निर्णयार्थ उपलब्ध कराया जायेगा। जिसमें निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी—</p> <p>क (i)- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी /जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति उपरोक्त डाटा में से 10 प्रतिशत शिक्षण संस्थाओं एवं 05 प्रतिशत छात्रों के डाटा की रैण्डम जांच विशेष टीम के माध्यम से करायी जायेगी। उक्त जांच का विवरण स्कालरशिप पोर्टल के 'इन्स्पेक्शन माउंट' में अंकित कराया जारेगा।</p>

			(ii) पी0एफ0एम0एस0 से स्वीकृत डाटा में से बेनीफिशरीज के नाम का बैंक खाते में अंकित नाम से मिलान न होने की दशा में सम्बन्धित छात्रों की सूची जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर अस्वीकृत करा कर आनलाइन रिजेक्ट किया जायेगा।
			(iii) संदेहास्पद डाटा में से शुद्ध पाये गये डाटा को भी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृत करा कर आनलाइन सत्यापित एवं डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किया जायेगा।
			(iv) जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव का पत्रावली में अनुमोदन प्राप्त करने करने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं स्वयं के हस्ताक्षर के उपरान्त स्कालरशिप पोर्टल पर रक्केन कराकर अपलोड हो जाये। उक्त प्रारूप को अपलोड कराने के उपरान्त ही राज्य स्तर पर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
ख— जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी आनलाइन शिक्षा अधिकारियों से अग्रसारित डाटा को आनलाइन अग्रसारित करेंगे।			ख— शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र छात्रों के विवरण की सूची जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर हार्डकापी में स्वीकृति प्राप्त कर डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किया जायेगा।
ग— जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों से आनलाइन अग्रसारित डाटा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ (स्टेट यूनिट) द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से समस्त जनपदों के डाटा का परीक्षण किया जायेगा तथा उक्तानुसार परीक्षणोपरान्त शुद्ध एवं जंक डाटा जनपदों के लागिन पर उपलब्ध रहेगा।			ग— विलोपित
घ— जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों के लागिन पर उक्तानुसार उपलब्ध शुद्ध एवं जंक डाटा के अभ्यर्थियों की सूची			घ— विलोपित

J

M

B

Pmcs

एवं शिक्षाधिकारियों से प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की हार्डकापी संलग्नकों सहित जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करते हुए छात्रों की सूची की हार्डकापी एवं नोटशीट पर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

ड— जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हार्डकापी पर एवं आनलाइन भी प्रदान की जायेगी, जिसे जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन संस्तुत एवं लॉक किया जायेगा। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति से पूर्व शिक्षण संस्थान एवं छात्र/छात्रा के विवरण आदि का मिलान हार्डकापी से एवं स्थलीय जॉच अपने स्तर से रेण्डमली करायेगी।

च— यही प्रक्रिया जनपद स्तर पर जंक डाटा को शुद्ध करते हुए पुनः अपनायी जायेगी तथा शासन द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण की जायेगी।

ड— जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की संस्तुति निर्धारित प्रारूप पर अंकित कर स्कालरशिप पोर्टल पर अपलोड कराये जाने तथा उसके आधार पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र छात्रों के डाटा को अपने डिजिटल सिग्नेचर से आनलाइन स्वीकृत करने के उपरान्त ही साज्य स्तर पर बिल बनाने की कार्यवाही की जायेगी।

च— विलोपित

छ— यह प्रक्रिया जनपद स्तर पर सन्देहास्पद डाटा को शुद्ध करने के मामले में भी अपनाई जायेगी तथा सम्पूर्ण कार्यवाही निर्धारित अवधि में पूर्ण की जायेगी।

ज— जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के पास नवीनीकरण हेतु अहं छात्र के विगत वर्ष के आवेदन—पत्र में अथवा उसके साथ संलग्न प्रमाण—पत्रों में संशोधन का कोई प्रार्थना—पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त होता है तो उसका अपने स्तर पर परीक्षण कर व जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की संस्तुति

8

N.

Q

Smart

					सहित संबंधित छात्रों की त्रुटियों को ठीक कराने हेतु 10 दिनों के अंदर निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण से अनुरोध कर सकेंगे। निर्धारित तिथि तक जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर निदेशालय द्वारा उपरोक्त त्रुटियों को ठीक कराने का प्रयास किया जायेगा।
	2-	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं लॉक डाटा के आधार पर निदेशालय द्वारा एन0आई0रसी0 (स्टेट यूनिट) लखनऊ से विकसित आनलाइन साफ्टवेयर द्वारा मांग जनरेट करायी जायेगी, जो निदेशालय के लागिन पर उपलब्ध हो जायेगी।			2- यथावत।
	3-	इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्र/छात्रा के बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ही ई-पेमेन्ट के तहत <b>PFMS (Public Financial Management System)</b> प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) का होगा।			यथावत
	4-	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के डिजीटल सिग्नेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लॉक डाटा में किसी स्तर से बदलाव नहीं किया जायेगा। उक्तानुसार लॉक डाटा के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र(स्टेट यूनिट) लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर से इस नियमावली में वर्णित रीति से डाटा को प्रोसेस			यथावत

	<p>कराकर केवल मांग जनरेट की जायेगी। आनलाइन लॉक किये गये डाटा की शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की होगी क्योंकि इसी लॉक डाटा के आधार पर ही नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को धनराशि का अन्तरण किया जायेगा।</p>			
	<p>5— जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र(स्टेट यूनिट) लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर से प्राप्त सस्पेक्ट डाटा में यदि किसी छात्र का बैंक खाता, आई०एफ०एस०कोड तथा पाठ्यक्रम की स्वीकृत फीस की धनराशि त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो डिजीटल सिग्नेचर से लॉक करने से पूर्व जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की लिखित अनुमति छात्रार प्राप्त कर संबंधित छात्रों की त्रुटियों को ठीक कराकर शुद्ध डाटा ही डिजीटल सिग्नेचर से संस्तुत एवं लॉक किया जायेगा।</p>			यथावत
	<p>6— जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के डिजीटल सिग्नेचर से संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर यदि किसी अपात्र अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अन्तरण हो जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की होगी।</p>			<p>6— जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के डिजीटल सिग्नेचर से संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर यदि किसी अपात्र अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अन्तरण होता है या किसी पात्र अभ्यर्थी का आवेदन पत्र गलत तथ्यों के आधार पर जिला छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से निरस्त कराया जाता है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की होगी।</p>
(ix)	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र(राज्य इकाई) लखनऊ के स्तर पर जनपदों से प्राप्त छात्र/ छात्राओं		(ix)	यथावत

8

N.

Q.

Pmcs

	के डाटा का परीक्षण निम्नलिखित बिन्दुओं पर किया जायेगा:-			
	1- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदनकर्ताओं के हाईस्कूल के अनुक्रमांक, वर्ष एवं बोर्ड का मिलान उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं अन्य परीक्षा बोर्डों की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से कराया जायेगा।			यथावत
	2- छात्र/छात्राओं के आय प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन राजस्व परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से कराया जायेगा।			2- छात्र/छात्राओं के आय प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन राजस्व परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से कराया जायेगा।
	3- छात्र/छात्राओं के विवरण को राज्य स्तर पर आपस में मिक्सिंग कर सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा को अलग-अलग कर लिया जायेगा।			3- छात्र/छात्राओं के विवरण में से राज्य स्तर पर डुप्लीकेट, सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा को अलग-अलग कर पी0एफ0एम0एस0 रिस्पांस के साथ जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा।
	4- छात्र/छात्राओं के विश्वविद्यालय /बोर्ड पंजीयन के क्रमांक का मिलान संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से करा लिया जायेगा।			4- छात्र/छात्राओं के विश्वविद्यालय /बोर्ड पंजीयन के क्रमांक का मिलान संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा राज्य एन0आई0सी0 को उपलब्ध कराये गये आधिकारिक डाटा से कराया जायेगा।
	5- छात्र/छात्राओं द्वारा वार्षिक नान रिफन्डेबिल शुल्क के रूप में अंकित की गयी शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का मिलान जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये शुल्क रद्द क्वचर में अंकित शुल्क की धनराशि से कराया जायेगा।			यथावत
(x)	अभ्यर्थी को अनुमन्य छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उसके बचत खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई-पेमेण्ट (e-payment) के		(x)	यथावत।

		तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) द्वारा सीधे अन्तरित की जायेगी। छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान प्रतिवर्ष एकमुश्त किया जायेगा।			
(xi)		इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि छात्र/छात्रा के बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय रिस्ट्रिक्ट कोषागार से ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरित की जायेगी जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) का होगा। छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में धनराशि अन्तरण में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण द्वारा किया जायेगा।			यथावत
(xii)		छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खाते में राज्य मुख्यालय रिस्ट्रिक्ट कोषागार से ई-पेमेण्ट के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से धनराशि स्थानान्तरण हेतु निदेशालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित होगा। निदेशालय के वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली			यथावत

S

P

S

P

Parvez

		<p>के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अन्तरित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।</p>		
(xiii)		<p>निदेशालय के वित्त नियन्त्रक एवं योजना हेतु नामित नोडल अधिकारी को पासवर्ड एन०आई०सी० द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा जिसका उपयोग करके बेनीफिशरी फाइल जनरेट की जायेगी। उक्त बेनीफिशरी फाइल को <b>PFMS (Public Financial Management System)</b> साफ्टवेयर पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अपने <b>PFMS</b> कोड नम्बर द्वारा अपलोड कर सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापनोपरान्त प्राप्त वैध बेनीफिशरी के अनुसार सभी जनपदों का एक संकलित बिल तैयार कर जवाहर भवन कोषागार लखनऊ में पारण हेतु प्रस्तुत कर टोकन प्राप्त किया जायेगा। इस ट्रेजरी टोकन नंबर को छात्रवृत्ति की बेवसाइट पर फीड करके द्रांजेक्षण फाइल जनरेट की जायेगी जो <b>PFMS</b> सर्वर पर स्वतः स्थानान्तरित हो जायेगी जिसके द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अन्तरण सीधे छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में हो जायेगा। <b>PFMS</b> साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त इनवैलिड बेनीफिशरी जनपदों के लागिन पर उपलब्ध रहेगी जिसे निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत शुद्ध कर <b>PFMS</b> सर्वर पर अपलोड करने हेतु जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से संस्तुत एवं लॉक किया जायेगा। वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी (योजना) /</p>		<p>निदेशालय के वित्त नियन्त्रक एवं योजना हेतु नामित नोडल अधिकारी को पासवर्ड एन०आई०सी० द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा जिसका उपयोग करके बेनीफिशरी फाइल जनरेट की जायेगी। उक्त बेनीफिशरी फाइल को <b>PFMS (Public Financial Management System)</b> साफ्टवेयर पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अपने <b>PFMS</b> कोड नम्बर द्वारा अपलोड कर सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापनोपरान्त प्राप्त वैध बेनीफिशरी के अनुसार बिल तैयार कर जवाहर भवन कोषागार लखनऊ में पारण हेतु प्रस्तुत कर टोकन प्राप्त किया जायेगा। ट्रेजरी टोकन नंबर को छात्रवृत्ति की बेवसाइट पर फीड करके द्रांजेक्षण फाइल जनरेट की जायेगी जो <b>PFMS</b> सर्वर पर स्वतः स्थानान्तरित हो जायेगी जिसे <b>PFMS</b> द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात विभाग के आहरण वितरण अधिकारी/वित्त नियन्त्रक द्वारा द्रांजेक्षण को अप्रूढ करने के उपरान्त द्रांजेक्षण फाइल पुनः <b>PFMS</b> को प्राप्त होगी। <b>PFMS</b> द्वारा उक्त द्रांजेक्षण फाइल को अप्रूढ करते हुए ट्रेजरी लागिन पर उपलब्ध करायी जायेगी। तत्पश्चात कोषाधिकारी द्वारा द्रांजेक्षण फाइल अप्रूढ किया जायेगा, जिसके उपरान्त छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अन्तरण छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे जायेगा। <b>PFMS</b> साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त इनवैलिड बेनीफिशरी जनपदों के लागिन पर रहेगी, जिसे निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत शुद्ध कर पी०एफ०एम०एस० सर्वर पर अपलोड करने हेतु जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से संस्तुत व लॉक किया जायेगा। वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी(योजना) /</p>

		द्वारा PFMS साफ्टवेयर पर पुनः अपलोड कर धनराशि अन्तरण करने की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।		आहरण वितरण अधिकारी द्वारा PFMS साफ्टवेयर पर पुनः अपलोड कर धनराशि अन्तरण करने की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
	(xiv )	एन०आई०सी० (राज्य इकाई) द्वारा वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी के उपयोग हेतु छात्रवृत्ति साफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे दोनों अधिकारियों को संयुक्त रूप से बैनीफिशरी फाइल, ट्रांजेक्शन फाइल एवं कोषागार के सर्वर पर (छात्रवृत्ति / कोषागार / पीएफएमएस सर्वर पर) डाटा को ट्रान्सफर करने का विकल्प उपलब्ध होगा।		यथावत
	(xv)	उपरोक्त प्रयोजन हेतु जवाहर भवन, लखनऊ स्थित कोषागार को नोडल ट्रेजरी नामित किया जाता है। वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी डिजिटल सिग्नेचर सम्बन्धित संस्था से प्राप्त करेंगे।	(xv )	यथावत।
	(xvi )	वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग कर बैनीफिशरी एवं ट्रान्जेक्शन फाइल जनरेट की जायेंगी। उक्तानुसार जनरेटेड बैनीफिशरी फाइल को सर्वर पर अपलोड कराने, कोषागार में बिल तैयार कर प्रस्तुत करने, टोकन प्राप्त करने एवं टोकन छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की वेबसाइट पर फीड कराने, बैंकों से अवितरित घापस प्राप्त धनराशि का लेखा जोखा एवं तत्सम्बन्धी समस्त आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व वित्त नियन्त्रक का होगा।		यथावत

*B**M**G**Pms*

	(xvi) i)	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई द्वारा धनराशि अन्तरण से सम्बन्धित विवरण को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर सम्बन्धित जनपद वितरण सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट अपने लागिन आईडी० एवं पासवर्ड के माध्यम से जनरेट कर सकेंगे।			यथावत
13-	भुगतान व्यवस्था	(i) अन्य पिछड़े वर्ग( अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर/ शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु छात्र/ छात्राओं को आयेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक ही आनलाइन भरना होगा। अन्तिम तिथि के पश्चात् वेबसाइट लाक कर दी जायेगी जिसमें प्रविष्टि सम्भव नहीं होगी ।  (ii) निदेशालय के वित्त नियंत्रक द्वारा राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ के सहयोग से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की मांग सूजित (जनरेट) कराकर तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ द्वारा साफटवेयर के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल द्वारा ही निर्धारित तिथि के अन्दर छात्र/ छात्रा के बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि अन्तरित की जायेगी। राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ द्वारा साफटवेयर के माध्यम से उपलब्ध बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल में वित्त नियंत्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क	(ii)	निदेशालय के वित्त नियंत्रक द्वारा राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ के सहयोग से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की मांग सूजित (जनरेट) कराकर तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा विकसित साफटवेयर के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल द्वारा ही निर्धारित तिथि के अन्दर छात्र/ छात्रा के बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि अन्तरित की जायेगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा विकसित साफटवेयर से सूजित बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल में वित्त नियंत्रक या नोडल अधिकारी स्तर से कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर वेबसाइट को राज्य एन०आई०सी०, लखनऊ द्वारा लॉक कर दिया जायेगा।	यथावत

		प्रतिपूर्ति योजना) स्तर से कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर वेबसाइट को राज्य एनोआईओसी०, लखनऊ द्वारा लॉक कर दिया जायेगा।		
(iii)	उक्तानुसार आनलाइन सूजित मांग के सापेक्ष निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट की सीमा तक नियमावली में वर्णित वरीयता कम के अनुसार कोषागार की ई-पेमेण्ट (e-payment) प्रक्रिया के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से वित्त नियंत्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक धनराशि अनिवार्य रूप से अन्तरित कर दी जायेगी। कोषागार से ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से पात्र छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरण हेतु प्रेषित धनराशि का अन्तरण न होने की दशा में बैंकों से फेल्ड ट्रांजेक्शन/अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को उसी वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक राज्य सरकार के रिसीट हेड में जमा किया जायेगा। बैंक से फेल्ड ट्रांजेक्शन/अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को राज्य सरकार के रिसीट हेड में निर्धारित तिथि तक जमा कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) का होगा।	(iii)	उक्तानुसार आनलाइन सूजित मांग के सापेक्ष निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट की सीमा तक नियमावली में वर्णित वरीयता कम के अनुसार कोषागार की ई-पेमेण्ट (e-payment) प्रक्रिया के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में निर्धारित तिथि तक धनराशि अन्तरित कर दी जायेगी। कोषागार से ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से पात्र छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरण हेतु प्रेषित धनराशि का अन्तरण न होने की दशा में बैंकों से फेल्ड ट्रांजेक्शन/अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को उसी वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक राज्य सरकार के रिसीट हेड में जमा किया जायेगा। बैंक से फेल्ड ट्रांजेक्शन/अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को राज्य सरकार के रिसीट हेड में उसी वित्तीय वर्ष में जमा कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) का होगा।	PFMS (Public Financial Management System) /बैंकों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे लाभार्थियों के खातों में अन्तरित न होने वाली धनराशि व सम्बन्धित लाभार्थियों एवं उनके खातों का पूर्ण विवरण अन्तरित न होने की तिथि से विलम्बतम् ०१ माह के

8

2.

			छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) का होगा। वैको का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे लाभार्थियों के खातों में अन्तरित न होने वाली धनराशि व सम्बन्धित लाभार्थियों एवं उनके खातों का पूर्ण विवरण अन्तरित न होने की तिथि से विलम्बतम् 01 माह के अन्दर वित्त नियन्त्रक/नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना), पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करा देंगे। वित्त नियन्त्रक द्वारा उक्तानुसार प्राप्त समस्त धनराशि एवं लाभार्थियों का विवरण लेजर में अंकित कर कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि के अन्तरण का विवरण जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों के लागिन पर जनपदवार उपलब्ध होगा।			
	(iv)	दशमोत्तर छात्रवृत्ति 01 अप्रैल अथवा नामांकन के महीने, जो भी बाद में हो, से शैक्षणिक वर्ष के अन्त में उस महीने तक जिसमें परीक्षायें पूरी होती हैं, देय होंगे। बशर्ते यदि विद्यार्थी किसी महीने के 20 तारीख के बाद नामांकन कराता है तो राशि नामांकन के महीने के बाद आने वाले महीने से दी जायेगी।		यथावत।		
	(v)	गतवर्ष दी गयी छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के मामले में, यदि पाठ्यक्रम जारी रहता है तो छात्रवृत्ति उस महीने के अगले महीने से दिया जायेगा, जिस महीने तक गत वर्ष भुगतान किया गया था।		यथावत		
14-	छात्रवृत्ति की अवधि व	(i)	छात्र/छात्रा को एक बार दी गयी छात्रवृत्ति उसको दिये जाने के चरण से लेकर पाठ्यक्रम की	छात्रवृत्ति की अवधि व नवीनीकरण	(i)	छात्र/छात्रा को एक बार दी गयी छात्रवृत्ति उसको दिये जाने के चरण से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक देय

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

नवीनीकरण	<p>समाप्ति तक देय होगी, बशर्ते कि छात्र का आचरण अच्छा रहे। यह छात्रवृत्ति वर्षानुवर्ष नवीनीकृत होगी, परन्तु शर्त यह है कि एक ऐसे पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में जो अनके वर्षों तक सतत चलता रहता है, छात्र हर वर्ष उत्तीर्ण होकर उच्चतर कक्षा में पहुंचता रहे। परीक्षायें भले ही विश्वविद्यालय द्वारा ली जाए अथवा संस्था द्वारा। पाठ्यक्रम समूह-1, 2, 3 एवं 4 में किसी भी स्थिति में पाठ्यक्रम की अवधि से अधिक की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।</p>		<p>होगी, बशर्ते कि छात्र का आचरण अच्छा रहे। यह छात्रवृत्ति वर्षानुवर्ष नवीनीकृत होगी, परन्तु शर्त यह है कि एक ऐसे पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में जो अनके वर्षों तक सतत चलता रहता है, छात्र हर वर्ष उत्तीर्ण होकर उच्चतर कक्षा में पहुंचता रहे। परीक्षायें भले ही विश्वविद्यालय द्वारा ली जाए अथवा संस्था द्वारा। पाठ्यक्रम समूह-1, 2, 3 एवं 4 में किसी भी स्थिति में पाठ्यक्रम की अवधि से अधिक की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।</p>
(ii)	<p>समूह-1 के पाठ्यक्रम वाला छात्र यदि पहली बार परीक्षा में असफल रहता है तो भी छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जा सकता है। किसी भी कक्षा में दूसरी बार अथवा तत्पश्चात असफल होने पर विद्यार्थी को अपना खर्च तब तक रखयं बहन करना होगा जब तक अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत नहीं हो जाता।</p>		<p>(ii) विलोपित।</p>
(iii)	<p>यदि छात्र अस्वस्था अथवा किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण परीक्षा में बैठने में असमर्थ रहता है तो चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा/अथवा संस्था के प्रमुख की संतुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने पर तथा उसके द्वारा (संस्था के प्रमुख) यह प्रमाणित करने पर कि यदि छात्र परीक्षा में बैठता तो वह उत्तीर्ण हो जाता, छात्रवृत्ति अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए नवीनीकृत की जायेगी।</p>		<p>यदि छात्र अस्वस्था अथवा किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण परीक्षा में बैठने में असमर्थ रहता है तो अस्वस्था की स्थिति में चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर तथा अप्रत्याशित घटना के कारण परीक्षा में न बैठने पर संस्था के प्रमुख की संतुष्टि प्रमाण पत्र पर तथा संस्था के प्रमुख द्वारा यह प्रमाणित करने पर कि यदि छात्र परीक्षा में बैठता तो वह उत्तीर्ण हो जाता, छात्रवृत्ति अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए नवीनीकृत की जायेगी।</p>
(iv)	<p>यदि विश्वविद्यालय/संस्था के विनियमों के अनुसार एक छात्र को अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाता है, चाहे वह निचली कक्षा में वास्तविक</p>		<p>यथावत</p>

		रूप में उत्तीर्ण न हुआ हो, तथा उसके द्वारा निचली कक्षा में कुछ समय पश्चात दोबारा परीक्षा देना अपेक्षित हो, तथा विद्यार्थी अन्यथा छात्रवृत्ति के लिए पात्र है तो वह उस कक्षा में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा, जिस कक्षा में उसे प्रोन्नत किया गया है।		
15-	अनियमित ताएं पाये जाने पर FIR दर्ज कराना, छात्रों/शिक्षण संस्थानों को काली सूची में डालना तथा मान्यता निरस्त कराना।	(i) छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति अभ्यर्थी की संतोषजनक प्रगति एवं आचरण पर निर्भर है। यदि किसी समय संस्थान प्रमुख द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई अभ्यर्थी स्वयं अपने आचरण अथवा चूक के कारण संतोषजनक प्रगति करने में असफल रहा है अथवा उसे दुर्व्यवहार जैसे— हड़ताल करने या उसमें भाग लेने, सम्बन्धित प्राधिकारियों की अनुमति के बाहर उपस्थिति में अनियमितता आदि का दोषी पाया गया है तो छात्रवृत्ति संरचीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर सकता है अथवा रोक सकता है या ऐसी अवधि, जो वह उचित समझे, तक के लिए आगे का भुगतान रोक सकता है।  (ii) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्रों, शिक्षणसंस्थानों, अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध निम्नलिखित अनियमिततायें पाये जाने पर संबंधित छात्रों/शिक्षण संस्थानों के संचालकों/प्रधानाचार्यों/शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों आदि के विरुद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जायेगी एवं गबन की गयी धनराशि की वसूली जिलाधिकारी के माध्यम से करायी जायेगी। जांचोपरान्त सिद्धदोष हेतु संबंधित शिक्षण संस्थानों को “काली सूची” में दर्ज कराने व शिक्षण संस्थानों की मान्यता एवं सम्बद्धता समाप्त किये जाने की संस्तुति जिलाधिकारियों द्वारा तत्काल शासन को उपलब्ध करायी	अनियमित ताएं पाये जाने पर FIR दर्ज कराना, शिक्षण संस्थानों/छात्रों को काली सूची में डालना तथा मान्यता निरस्त कराना।	(i) यथावत।  (ii) दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्रों, शिक्षणसंस्थानों, अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध निम्नलिखित अनियमिततायें पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जायेगी एवं जांचोपरान्त अनियमित भुगतान/गबन की गयी धनराशि की वसूली जिलाधिकारी के माध्यम से करायी जायेगी। जांचोपरान्त सिद्धदोष हेतु संबंधित शिक्षण संस्थानों को “काली सूची” में दर्ज कराने व शिक्षण संस्थानों की मान्यता एवं सम्बद्धता समाप्त किये जाने की संस्तुति जिलाधिकारियों द्वारा तत्काल शासन को उपलब्ध करायी

जायेगी तथा ऐसे छात्रों एवं शिक्षण संस्थानों को 'काली सूची' में दर्ज करने व शिक्षण संस्थानों की मान्यता एवं सम्बद्धता समाप्त किये जाने की संस्तुति जिलाधिकारियों द्वारा तत्काल शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

1— मास्टरडाटा बेस में शिक्षण संस्थान द्वारा गलत सूचना भरकर समिलित होने पर।

2— शिक्षण संस्थान/विद्यालय में छात्र/छात्रा के अध्ययनरत न पाये जाने पर।

3— शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के किसी अन्य शिक्षण संस्थान/विद्यालय में अध्ययनरत होते हुये भी अपनी रांगथा से छात्र की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन सत्यापित एवं अग्रसारित करने पर।

4— छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं, माता-पिता अथवा अभिभावक की वारस्तविक आय छिपाकर फर्जी आय के आधार पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर।

5—छात्र/छात्रा द्वारा झूठा घोषणा पत्र प्रस्तुत कर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने पर।

6— छात्र/छात्रा द्वारा एक ही शैक्षणिक वर्ष में किसी पाठ्यक्रम/शिक्षण संस्थान में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करके तथा अध्ययन छोड़ कर या पाठ्यक्रम/शिक्षण संस्थान बदल कर पुनः दूसरे पाठ्यक्रम व शिक्षण संस्थान से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर।

7— छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने हेतु अभिलेखों में कूटरचना/हेराफेरी करके छात्र/शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने एवं शिक्षण संस्थान द्वारा फर्जी आवेदन सत्यापित व अग्रसारित करने पर।

8— जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय/शिक्षा विभाग या अन्य किसी व्यक्ति/विभाग द्वारा कूटरचना/हेराफेरी कर छात्रों की बड़ी हुई संख्या दर्शा कर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि ऐसे छात्रों/व्यक्तियों के बैंक खातों में अन्तरित कराने अथवा अन्तरित कराने का प्रयास करने पर।

जायेगी:-

- 1— मास्टरडाटा बेस में शिक्षण संस्थान द्वारा गलत सूचना भरकर समिलित होने पर।
- 2— शिक्षण संस्थान/विद्यालय में छात्र/छात्रा के अध्ययनरत न पाये जाने पर।
- 3— शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के किसी अन्य शिक्षण संस्थान/विद्यालय में अध्ययनरत होते हुये भी अपनी संस्था से छात्र की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन सत्यापित एवं अग्रसारित करने पर।
- 4— छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं, माता-पिता अंथवा अभिभावक की वारस्तविक आय छिपाकर फर्जी आय के आधार पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर।
- 5—छात्र/छात्रा द्वारा झूठा घोषणा पत्र प्रस्तुत कर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने पर।
- 6— छात्र/छात्रा द्वारा एक ही शैक्षणिक वर्ष में किसी पाठ्यक्रम/शिक्षण संस्थान में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करके तथा अध्ययन छोड़ कर या पाठ्यक्रम/शिक्षण संस्थान बदल कर पुनः दूसरे पाठ्यक्रम व शिक्षण संस्थान से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर।
- 7— छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने हेतु अभिलेखों में कूटरचना/हेराफेरी करके छात्र/शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने एवं शिक्षण संस्थान द्वारा फर्जी आवेदन सत्यापित व अग्रसारित करने पर।
- 8— जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय/शिक्षा विभाग या अन्य किसी व्यक्ति/विभाग द्वारा कूटरचना/हेराफेरी कर छात्रों की बड़ी हुई संख्या दर्शा कर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि ऐसे छात्रों/व्यक्तियों के बैंक खातों में अन्तरित कराने अथवा अन्तरित कराने का प्रयास करने पर।

J

N

			करके छात्र/शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने एवं शिक्षण संस्थान द्वारा फर्जी आवेदन सत्यापित व अग्रसारित करने पर।		9— जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जांचोपरान्त अन्य किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर।
			8— जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय/ शिक्षा विभाग या अन्य किसी व्यक्ति/ विभाग द्वारा कूटरचना/ हेराफेरी कर छात्रों की बढ़ी हुई संख्या दर्शा कर छात्रवृत्ति /शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि ऐसे छात्रों/ व्यक्तियों के बैंक खातों में अन्तरित कराने अथवा अन्तरित कराने का प्रयास करने पर।		
16—	संबंधित शिक्षा विभागों का दायित्व	(i)	प्रदेश की विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाये जाने वाले मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों एवं उनके शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार के प्रशासकीय शिक्षा विभाग यथा— माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, व्यवसायिक शिक्षा विभाग, कृषि शिक्षा विभाग, एवं स्टेट मेडिकल फैकल्टी तथा यदि कोई अन्य विभाग हो तो उनके द्वारा किया जायेगा।	छात्र/ छात्राओं के दायित्व	(i) सामान्य जानकारी हासिल करना—
		(ii)	उपरोक्तानुसार सम्बन्धित विभागों द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क आदि का विवरण सम्बन्धित विभाग के जनपद स्तरीय/क्षेत्रीय अधिकारी अथवा शिक्षण संस्था द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को अपनी संस्तुति सहित उपलब्ध कराया जायेगा।		सर्वप्रथम छात्र/छात्रा वेबसाइट पर दिये गये दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा दिये गये प्रारूप को प्रिंट कर लें।
					1— प्रिंट किये गये फार्म पर अपने रिकार्ड के अनुसार सूचना सही-सही भर लें ताकि ऑनलाइन फार्म भरते समय सरलता रहे। 2— ऑनलाइन आवेदन में समर्त

					<p>प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में तथा संख्यात्मक प्रविष्टियाँ भी अंग्रेजी अंक पद्धति में अकित की जानी है।</p> <p>3— प्रविष्टियां भरने में स्पेशल करेक्टर यथा—#, \$, %, ^, &amp;, *, (), -, = इत्यादि का प्रयोग मान्य नहीं होगा।</p>
					(ii) <b>ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन करना—</b>
					<p>1— प्रथम चरण में छात्र/छात्रा को निर्धारित वेबसाइट <a href="http://scholarship.up.nic.in">http://scholarship.up.nic.in</a> के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।</p> <p>2— रजिस्ट्रेशन में मांगी गयी सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में सही—सही भरें, अन्यथा आवेदन निरस्त हो जायेगा।</p> <p>3— रजिस्ट्रेशन के उपरान्त आवेदक का एक रजिस्ट्रेशन नम्बर स्वतः जेनरेट होगा एवं स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करने का विकल्प होगा।</p> <p>4— रजिस्ट्रेशन में भरे गये समस्त प्रविष्टियों का प्रिंट विकल्प से अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें।</p>
					(iii) <b>ऑनलाइन आवेदन करना—</b>
					<p>1— सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने के उपरान्त आवेदक को छात्रवृत्ति के लिये ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।</p> <p>2— इसके लिये निर्धारित वेबसाइट <a href="http://scholarship.up.nic.in">http://scholarship.up.nic.in</a> पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पर विलक करें, विलक करने के उपरान्त स्क्रीन पर निर्धारित कॉलम में अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्म तिथि एवं हाईस्कूल का अनुक्रमांक एवं पासवर्ड भरें।</p> <p>3— इसके बाद स्क्रीन पर दिये गये कोड को भरकर Submit बटन पर विलक करें। प्रविष्टियाँ सही होने पर स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप खुल जायेगा।</p> <p>4— इस प्रारूप में ऊपर के हिस्से में कुछ सूचनायें स्वतः प्रदर्शित होंगी। जो आवेदक द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय भरी गयी थी, इस प्रारूप में आवेदक द्वारा वांछित कॉलम में सूचनायें सही—सही भरी जाय।</p> <p>5— जिस कॉलम के सामने स्टार (*) प्रदर्शित हो रहा है उस कॉलम में सूचना भरना अनिवार्य होगा।</p> <p>6— छात्र/छात्रा आवेदन फार्म में अपने</p>

					<p>नाम के बैंक खाते का ही विवरण भरेगा जो उसके माता/पिता/अभिभावक की संरक्षकता में बैंक में खोला गया हो, किसी अन्य व्यक्ति के नाम का बैंक खाता फीड करने पर आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा।</p>
					<p>7— इस प्रकार आवेदन में समस्त प्रविष्टियां पूर्ण होने के उपरांत Submit बटन पर क्लिक करें, इसके उपरांत अपने भरे हुये आवेदन का एक प्रिंट आउट निकालें जिसके लिये स्क्रीन पर दिये गये बटन ? पर क्लिक करें। प्रिंट किये गये आवेदन को भली भाँति जांच लें, यदि समस्त प्रविष्टि सही हैं तो पुनः होम पेज पर अपने “फोटो अपलोड करें” पर क्लिक करें, और स्क्रीन पर प्रदर्शित अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्म तिथि एवं हाईस्कूल का अनुक्रमांक टाइप करें।</p>
					<p>8— इसके बाद स्क्रीन पर फोटो अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध होगा। फोटो अपलोड करने के लिये पहले अपनी 20 KB की एक फोटो, जिसके नीचे आवेदक के हस्ताक्षर हों, स्कैन करके कम्प्यूटर पर रख लें। डाली गयी फोटो हस्ताक्षर सहित ही स्कैन होनी आवश्यक है। अपलोड की गयी फोटो JPEG तथा JPG Format में होनी चाहिये तथा फोटो साइज 20 KB से अधिक की नहीं होनी चाहिए।</p>
					<p>9— फोटो अपलोड करने की प्रक्रिया में स्क्रीन पर दिये गये Browse Option से अपने फोटो को Select करें एवं उसके बाद अपलोड वाले विकल्प पर क्लिक करें। तत्पश्चात अपना फोटो देखें, विकल्प पर क्लिक करें, जिससे कि अपलोड किया गया फोटो स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। यदि फोटो सही है तो Lock and Final Save बटन पर क्लिक करें।</p>
					<p>10- Final and Save Lock करना अनिवार्य होगा अन्यथा फार्म अपूर्ण माना जायेगा एवं स्वतः निरस्त हो जायेगा।</p>
					<p>11— छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक वेबसाइट <a href="http://scholarship.up.nic.in">http://scholarship.up.nic.in</a> के माध्यम से ही केवल भरा जायेगा। किसी अन्य माध्यम से भरे गये फार्म मान्य नहीं</p>

8

M

G

PMS

					होंगे। अभ्यर्थी द्वारा किया गया आवेदन लॉक हो जाने की दशा में परिवर्तनीय नहीं होगा।
				(iv) आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त करना—	
					इसके बाद होम पेज पर जाकर दिये गये विकल्प से अपने भरे गये आवेदन का प्रिन्ट आउट निकाल लें एवं इस प्रिंट आउट को समस्त अन्य वांछित डाक्यूमेण्ट जैसे— आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक की पासबुक की कापी जिस पर खाता संख्या एवं आई.एफ.एस. कोड प्रदर्शित हो रहा हो, की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करते हुये अपने अध्ययनरत शिक्षण संस्था में सम्बन्धित अधिकारी के पास जमा करके उसकी रसीद प्राप्त कर लें। आवेदन पत्र ऑनलाइन Submit करने के 01 सप्ताह के अन्दर संस्थान में आवेदन पत्र की हार्डकापी जमा करना आवश्यक है।
				(v) आवेदन पत्र जमा की रसीद प्राप्त करना—	
					1— संस्थान द्वारा दी जाने वाली प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के साथ ही प्रिन्ट होगी। संस्थान द्वारा उसी रसीद पर संस्था की मुहर एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर कर छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी।
					2— निर्धारित वेबसाइट पर आवेदक अपने जमा किये गये फार्म की वर्तमान रिथ्ति की जानकारी प्राप्त कर सकता है जिसके लिये वेबसाइट पर दिये गये “आवेदन की रिथ्ति जाने” को विलक करना होगा एवं स्क्रीन पर अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भरना होगा।
				(vi) छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर SMS प्रदान करना—	
					छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर SMS की सुविधा भी निम्नलिखित स्तरों पर प्रदान कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी:—
					1— आवेदन पत्र ऑनलाइन Submit करने पर।
					2— शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित करने पर।
					3— छात्र का आवेदन पत्र रकूटनी में सन्देहास्पद श्रेणी में पाये जाने पर।
					4— छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत करने पर।

					5— बैंक खाते में धनराशि प्रेषण करने पर।
					(vii) छात्र/छात्राओं द्वारा आधार नम्बर एवं इनरोलमेंट नम्बर आवेदन पत्र में अंकित करना एवं अभिलेखों को डिजीटल लॉकर में रखना।
					प्रत्येक छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में आधार नम्बर इनरोलमेंट नम्बर अंकित करना होगा तथा अपने अभिलेखों को डिजीटल लॉकर में रखना होगा। इसके लिये आवेदन करने वाले समस्त छात्रों को अपने समरत अभिलेखों को रक्कैन कराकर निर्धारित प्रक्रियानुसार डिजीटल लॉकर में रखा जायेगा जिससे स्कूटनी में उनके आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं का मिलान किया जा सके।
		16(2)			शिक्षण संस्थान के दायित्व —
				(i)	शिक्षण संस्था को छात्रवृत्ति हेतु सभी विभागों के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करना होगा।
				(iii)	शिक्षण संस्था को जिला समाज कल्याण अधिकारी से लागिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा।
				(iv)	शिक्षण संस्था को नोडल अधिकारी से सम्बन्धित एवं शिक्षण संस्थान की मान्यता, संचालित पाठ्यक्रमों, स्वीकृत सीटों, संस्था की श्रेणी एवं पाठ्यक्रमों के निर्धारित शुल्क का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट <a href="http://scholarship.up.nic.in">http://scholarship.up.nic.in</a> पर अपडेट करना होगा।
				(v)	संस्थान केवल उक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रेषित आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट की फोटोकापी आवश्यक संलग्नकों के साथ स्वीकार करेगा। संस्थान अन्य किसी प्रपत्र पर आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।
				(vi)	साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि पात्र छात्र/छात्रा के द्वारा आवेदन पत्र का प्रिन्ट-आउट समरत आवश्यक संलग्नकों के साथ जमा किया गया है।
				(vii)	आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ परिशिष्ट-'ग' के अनुसार संलग्नक नत्थी किए गये हैं, चेक कर लिया जाय। छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित गतवर्ष के प्राप्तों का मिलान

						उनके द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत हार्ड कापी से अवश्य कर लिया जाय।
				(viii )		आवेदन पत्र के साथ रसीद का प्रारूप भी प्रिन्टेड छपकर प्राप्त होगा। उसी प्राप्ति रसीद पर जमा करने वाला अधिकारी/कर्मचारी हस्ताक्षर कर अपनी संस्था की मुहर लगाकर आवेदक को रसीद दे देगा। आवेदन पत्र के साथ जितने अभिलेखों की स्व प्रमाणित छायाप्रति आवेदक ने प्रस्तुत की है, उसे संरक्षण द्वारा ( ✓ ) किया जायेगा।
				(ix)		शिक्षण संस्था को अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट पर स्कैन फोटो को सत्यापित करना होगा।
				(x)		संरक्षण उपरोक्त अभिलेखों के प्राप्ति के पश्चात छात्र/छात्रा के ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों का मिलान अनिवार्य रूप से कर लेंगे।
				(xi)		अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रेषित करने के बाद 07 दिन के अन्दर संरक्षण में ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट जमा किया जायेगा।
				(xii)		ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए शासन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद 07 दिन के अन्दर ही अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र संरक्षण में जमा करना होगा। तत्पश्चात 07 दिन के अन्दर ही प्रत्येक दशा में शिक्षण संरक्षण को अभ्यर्थियों का डाटा सत्यापित करना होगा।
				(xiii )		ऑनलाइन आवेदन हेतु फार्म शासन द्वारा निर्धारित तिथि से वेबसाइट <a href="http://scholarship.up.nic.in">http://scholarship.up.nic.in</a> पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों के द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र एवं संलग्नकों के आधार पर प्रविष्टियों के मिलान का कार्य जारी रखेंगे। किसी भी दशा में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एक साथ जमा होने का इन्तजार नहीं करेंगे, जितने अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त होता रहेगा उतने की जाँच / मिलान करते रहेंगे।
				(xiv )		शिक्षण संरक्षण छात्र-छात्रा द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ संलग्न बैंक पासबुक की छायाप्रति से अभ्यर्थी के बैंक खाते का विवरण यथा— नाम, खाता संख्या व आई.एफ.एस. कोड का मिलान अनिवार्य रूप से कर लेंगे।
				(xv)		अभ्यर्थियों के ऑनलाइन भरे गये फार्म की प्रविष्टियों का मिलान करने के

8

1

9

Power

					उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन कर Submit का बटन विलक्षण करेंगे तथा सत्यापित आवेदन पत्रों को अग्रसारित (Forward) कर देंगे।
				(xvi )	जिन छात्र/छात्राओं का डाटा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत होगा, उनका डाटा संरक्षण द्वारा प्रेषित नहीं किया जायेगा, उसको अपने स्तर से reject कर देंगे। शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक शिक्षण संस्थान के लॉगिन पर उपलब्ध सम्पूर्ण डाटा पर निर्णय लेकर अग्रसारित या रिजेक्ट कर दिया जायेगा। किसी भी दशा में डाटा लम्बित नहीं रखा जायेगा।
				(xvi i)	संरक्षण द्वारा आवेदन पत्र सत्यापित होने पर आवेदक के मोबाइल नम्बर पर SMS द्वारा सूचना प्रेषित की जायेगी।
				(xvi ii)	संरक्षण का यह दायित्व होगा कि शासन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व संरक्षण यह सुनिश्चित कर ले कि उसके सभी पात्र छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भर दिए गये हैं।
				(xix )	सभी छात्रों को योजना के प्राविधानों एवं शासन द्वारा फार्म भरने हेतु नियत की गयी अन्तिम तिथि की जानकारी संरक्षण द्वारा दी जायेगी। योजना की सम्पूर्ण जानकारी, सभी आदेश-निर्देश वेबसाइट <a href="http://scholarship.up.nic.in">http://scholarship.up.nic.in</a> पर उपलब्ध हैं। इसकी भी जानकारी सभी छात्रों को देंगे।
				(xx)	डाटा के सत्यापन हेतु अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जायेगा। इसलिए संरक्षण प्राप्त आवेदन पत्रों का लगातार सत्यापन करते रहेंगे एवं समस्त आवेदन पत्रों को अन्तिम तिथि से पूर्व अग्रसारित करने अथवा रिजेक्ट करने का निर्णय लेकर ऑनलाइन कार्यवाही पूर्ण कर लेंगे।
				(xxi )	छात्र/छात्रा को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित शैक्षिक संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
				(xxi i)	नोडल अधिकारी या शिक्षण संस्था के प्राचार्य/प्रधानाचार्य द्वारा छात्र के विवरण

							को स्वयं आनलाइन सत्यापित व अग्रसारित किया जायेगा।
					(xxi ii)		जिन अभ्यर्थियों के विवरण का मिलान संस्था के अभिलेखों/अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गये अभिलेखों से नहीं होता है अथवा ब्रुटिपूर्ण पाया जाता है, उनकी संस्तुति नहीं की जायेगी अपितु रिजेक्ट कर दिया जायेगा। उक्त से संबंधित छात्र/छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं समर्त संलग्नकों की पी0डी0एफ0 (PDF) फाईल साफ्ट कापी में भी शिक्षण संस्थान द्वारा संबंधित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को संस्था के लिए सत्यापन व अग्रसारण की निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद 15 कार्यदिवसों में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
					(xxi v)		शिक्षण संस्थान द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं का डाटा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने के बाद आनलाइन सत्यापित विवरण की हार्डकापी, छात्रों द्वारा जमा आनलाइन फीडेंड आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट समर्त संलग्नकों सहित, <u>परिशिष्ट-‘छ’</u> के अनुसार सत्यापन प्रमाण पत्र संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति सहित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना होगा। उक्त से संबंधित छात्र/छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं समर्त संलग्नकों की पी0डी0एफ0 (PDF) फाईल साफ्ट कापी में भी शिक्षण संस्थान द्वारा संबंधित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को संस्था के लिए सत्यापन व अग्रसारण की निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद 15 कार्यदिवसों में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
					(xx v)		राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा छात्रों के हाईस्कूल के अनुक्रमांक, आय प्रमाण पत्र क्रमांक, जाति प्रमाण पत्र क्रमांक एवं वैक खाता संख्या के आधार पर सत्यापन हेतु छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये विकल्प से प्रत्येक छात्र का सत्यापन करने के उपरान्त सही पाये गये छात्र का ही डाटा सत्यापित एवं अग्रसारित किया जायेगा।
					(xx vi)		कई वर्ष की अवधि वाले पाठ्यक्रमों में यदि छात्र किसी भी वर्ष में पहली बार आनलाइन आवेदन फार्म भर रहा है तो उसे नये छात्र के रूप में नया (फेश) आवेदन भरना होगा।
					(xx)		शिक्षण संस्थान द्वारा नवीनीकरण हेतु अहं

✓

✗

			vii)	छात्रों के नवीनीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में प्रत्येक छात्रवार रूपरेखा अंकित किया जायेगा, यथा— छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ या असफल हुआ या शिक्षण संस्थान छोड़कर चला गया, आदि कारणों का रूपरेखा उल्लेख किया जायेगा।
		16-(3)		जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों के उत्तरदायित्व—
			(i)	शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रेषित सूची तथा अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की हार्डकापी को समर्त संलग्नकों सहित प्राप्त करना।
			(ii)	यह सुनिश्चित करना कि सभी शिक्षण संस्थानों का डाटा निर्धारित अवधि के अन्दर उनको प्राप्त हो गया है।
			(iii)	शिक्षाधिकारी द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों का विवरण सत्यापित तथा डिजीटली लाक कर दिया गया है।
			(iv)	अभ्यर्थी के आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र का मिलान राजस्व परिषद की वेबसाइट से रेण्डम आधार पर स्वीकृति से पूर्व करना / कराना।
			(v)	अभ्यर्थीयों के नाम के बैंक खातों एवं बैंक शाखाओं के आईफोन कोड (IFSC) का रेण्डमली मिलान ऑनलाइन डाटा सत्यापन से पूर्व करना।
			(vi)	अभ्यर्थीयों के आवेदन पत्र की हार्डकापी आवश्यकता पड़ने पर संलग्नकों सहित छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करना। छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित गतवर्ष के प्राप्तोंकों का मिलान उनके द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत हार्ड कापी से अवश्य कर लिया जाय।
			(vii)	सक्षम एजेन्सी से डिजीटल सिग्नेचर (Digital Signature) प्राप्त कर अभ्यर्थीयों के डाटा को आनलाइन सत्यापित एवं लाक करना।
			(viii )	आनलाइन डाटा फीडिंग की मानीटरिंग हेतु आयुक्त/जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षाधिकारी तथा शिक्षण संस्थाओं के साथ मासिक बैठक कराते रहना। यदि किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्धारित तिथि तक डाटा का अग्रसारण नहीं प्राप्त हो रहा है अथवा उसके द्वारा छात्रों के आवेदन पत्रों की हार्ड कापी नहीं उपलब्ध करायी जा रही है तो उक्त संस्थान के प्राचार्य/प्रधानाचार्यों को बैठक में बुलाकर निर्धारित अवधि के अन्दर सभी आवश्यक

						कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
				(ix)		छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत कराना एवं कार्यवृत्त तैयार कर जारी कराना। निर्धारित समयावधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो उसके विरुद्ध जिलाधिकारी के माध्यम से कठोर कार्यवाही कराने का उत्तरदायित्व जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी का होगा।
				(x)		बैंक खाते में धनराशि के अन्तरण का reconciliation कराना। यह कार्य उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाय।
				(xi)		जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत कराना।
				(xii)		उक्त समिति के बैठक वर्ग कार्यवृत्त भेजने का उत्तरदायित्व जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी का होगा।
				(xiii )		किसी पात्र छात्र का डाटा लॉक किये जाने से छूटने न पाये एवं कोई अपात्र छात्र का डाटा लॉक न किया जाये। इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी का होगा।
				(xiv )		सन्देहास्पद श्रेणी के छात्रों का डाटा त्रुटिरहित कराकर लॉक किये जाने अथवा शुद्ध पाये गये छात्रों के डाटा को किसी युक्त कारण से रिजेक्ट किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित छात्र का कारण सहित विवरण सुरक्षित रखने का दायित्व जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी का होगा।
				(xv)		जनपद के समस्त शिक्षण संस्थानों से छात्र/छात्राओं द्वारा भरे गये समस्त आनलाइन आवेदन पत्र (सत्यापित /निरस्त) एवं उसके साथ संलग्न समस्त अभिलेखों की PDF फाइल की सॉफ्ट कापी प्राप्त कर जनपद स्तर पर संकलित करते हुए जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत आनलाइन आवेदन पत्र एवं अस्वीकृत आनलाइन आवेदन पत्र की अलग-अलग फाइल बनाते हुए उसकी ₹३००/- / ₹१००००/- डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त 15 कार्यदिवसों में निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
				(xvi )		आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों से सम्बन्धित 10 प्रतिशत शिक्षण संस्थानों का एवं 05 प्रतिशत छात्रों का सत्यापन

B

A

B

Done

						कराये जाने एवं सत्यापन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय भेजने का उत्तरदायित्व जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी का होगा।
			16-(4)			सम्बन्धित शिक्षा विभागों का दायित्व—
				(i)		आनलाइन डाटा अग्रसारण की मानीटरिंग हेतु जनपद में आयोजित बैठकों में शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य/प्रधानाचार्य के साथ उपरिथित रहकर कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित कराना। शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति करना।
				(ii)		शिक्षा अधिकारी द्वारा मास्टर डाटा बेस में शिक्षण संस्थानों की मान्यता, वैधता तिथि, वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या एवं उसके सापेक्ष प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं की वास्तविक संख्या आदि का सत्यापन कर डिजीटल सिग्नेचर से लाक किया जाना।
				(iii)		शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन उपरान्त शिक्षण संस्था के विवरण की हार्ड कापी निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित गतवर्ष के प्राप्तोंकों का मिलान उनके द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत हार्ड कापी से अवश्य कर लिया जाय। ,
			16-(5)			राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई)का उत्तरदायित्व—
				(i)		शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं प्रक्रिया के अनुसार आनलाइन साफ्टवेयर तैयार कराना।
				(ii)		शिक्षण संस्थाओं के उपयोगार्थ समर्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के माध्यम से लागिन आई०डी० तथा पासवर्ड उपलब्ध कराना।
				(iii)		जिला सूचना विज्ञान अधिकारी उक्त लागिन आई०डी० एवं पासवर्ड जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे, जो सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को उपलब्ध करायेंगे।
				(iv)		जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों एवं जनपदीय शिक्षा अधिकारियों को लागिन आई०डी०, पासवर्ड एवं डिजीटल सिग्नेचर एन०आई०सी० या अन्य अधिकृत

				(v)	संस्था के माध्यम से उपलब्ध करवाना। राज्य स्तर पर स्कूटनी में निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
				(vi)	आनलाइन आवेदन भरने से लेकर धनराशि अन्तरण तक में आने वाली समस्त तकनीकी समस्याओं का निराकरण कराना।
				(vii)	राज्य एन०आई०सी० स्तर पर उपलब्ध बजट के आधार पर जो बेनीफिशरीज फाइल जिस प्रकार आय, ग्रुप एवं गतपरीक्षा के अंको के आधार पर वेटेज अंक प्रदान करते हुए तैयार की जाए, उसका छात्रवार विवरण छात्रवृत्ति सम्बन्धी वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
				(viii )	जिन छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि पी०एफ०एम०एस० साफ्टवेयर के माध्यम से भेजने के उपरान्त कठिपय कारणों से केडिट ट्रांजेक्शन फेल्ड होते हैं, उनसे सम्बन्धित छात्र/छात्राओं के विवरण छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली सम्बन्धी वेबसाइट (पब्लिक डोमेन) पर अपलोड किया जायें।
				(ix)	स्टेट लागिन पर उपलब्ध डाटा में शिक्षण संस्था के स्तर पर समय—समय पर हो रही कार्यवाही प्रदर्शित नहीं होती है और न ही यह स्पष्ट है कि संस्था किस श्रेणी की है, अतः राज्य एन०आई०सी० द्वारा स्टेट लागिन पर संस्था के स्तर से हो रही कार्यवाही प्रदर्शित करायी जाये जिसके आधार पर निदेशालय स्तर पर किन—किन छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया गया और उन आवेदन पत्रों पर संस्था/शिक्षा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी, उन आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में प्राप्त पी०एफ०एम०एस० रिस्पांस, उन आवेदन पत्रों पर जनपदीय छात्रवृत्ति रवीकृति समिति द्वारा की गयी कार्यवाही आदि का नियमित अनुश्रवण किया जाये

			16-(6)	विश्वविद्यालय/परीक्षा नियन्त्रक प्राधिकारी के उत्तरदायित्व-
			(i)	सभी विश्वविद्यालयों के कुलसंचिव दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित करेंगे।
			(ii)	नोडल अधिकारी सम्बन्धित अधिकृत संस्था से आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करेंगे।
			(iii)	नोडल अधिकारी डिजिटल सिग्नेचर से मास्टर डाटा में संस्था से सम्बन्धित विवरण का सत्यापन कर डाटा लॉक करेंगे।
			(iv)	सभी विश्वविद्यालयों एवं परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा परीक्षाफल को XML Format पर परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के अन्दर छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।
			(v)	छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अपलोड किये गये परीक्षाफल को विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा डिजिटल सिग्नेचर से लॉक भी किया जायेगा।
			(vi)	विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा से विद्यार्थियों द्वारा भरे गये प्राप्तांक का मिलान स्कूटनी के समय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।
			(vii)	विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक छात्र को पंजीकरण क्रमांक निर्गत किया जायेगा तथा नवीनीकरण के प्रत्येक छात्र के लिए विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया पंजीकरण क्रमांक भरना अनिवार्य होगा।
			(viii)	विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम, स्वीकृत छात्र संख्या, निर्धारित फीस की आधिकारिक पुष्टि नामित अधिकारी द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से किया जायेगा।
			(ix)	सभी विश्वविद्यालय अपने से सम्बद्ध महाविद्यालयों की सूची एक्सेल सीट में स्कूटनी आदि के समय डाटा के परीक्षण में उपयोग हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।
			(x)	जिन महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध अनियमितताओं के प्रमाणित होने पर उनको काली सूची में डालने की कार्यवाही की जाती है, ऐसे शिक्षण संस्थानों की सम्बद्धता/ मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही प्रत्येक

J

A.

					विश्वविद्यालय / मान्यता प्रदाता संस्थान द्वारा एक निश्चित समय- सीमा के अन्तर्गत पूर्ण की जायेगी।
17	जनपद स्तर पर अनुश्रवण	(i)	छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण किये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जाती हैः-	जनपद स्तर पर अनुश्रवण	(i) छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण किये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जाती हैः-
			(1) जिलाधिकारी – अध्यक्ष		(1) जिलाधिकारी – अध्यक्ष
			(2) जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति का अध्यक्ष – उपाध्यक्ष		(2) मुख्य विकास अधिकारी-उपाध्यक्ष
			(3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी– सदस्य		(3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी- सदस्य
			(4) जनपद में स्थित राजकीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, यदि कोई हो – सदस्य		(4) जनपद में स्थित राजकीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, यदि कोई हो – सदस्य
			(5) जनपद में स्थित राजकीय मेडिकल कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो— सदस्य		(5) जनपद में स्थित राजकीय मेडिकल कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो – सदस्य
			(6) जनपद में स्थित राजकीय इंजींगिनियरिंग कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो – सदस्य		(6) जनपद में स्थित राजकीय इंजींगिनियरिंग कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो – सदस्य
			(7) जनपद में स्थित किसी एक राजकीय पालीटेक्निक के प्राचार्य, यदि कोई हो—सदस्य		(7) जनपद में स्थित किसी एक राजकीय पालीटेक्निक के प्राचार्य, यदि कोई हो—सदस्य
			(8) जिला विद्यालय निरीक्षक— सदस्य		(8) जिला विद्यालय निरीक्षक- सदस्य
			(9) जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC)— सदस्य		(9) जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC)— सदस्य
			(10) जिला समाज कल्याण अधिकारी –सदस्य		(10) जिला समाज कल्याण अधिकारी – सदस्य
			(11)जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी— सदस्य/सचिव		(11)जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी—सदस्य/ सचिव
		(ii)	उक्त समिति छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति के मास्टर डाटा में संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों तथा उनके शुल्क संरचना व शुल्क निर्धारण का खंड विवेक से सत्यापन करायेगी तथा व्यवसायिक, तकनीकी एवं चिकित्सा आदि किसी भी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों का सम्बन्धित विश्वविद्यालय / कालेज में हुआ नामांकन तथा		यथावत

		<p>पाठ्यक्रम में प्रत्येक वर्ष में परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की संख्या एवं परीक्षाफल आदि का सत्यापन करेगी। अध्यक्ष की अनुमति से समिति की बैठक तीन माह के निर्धारित अन्तराल पर की जायेगी तथा कृत कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी।</p>		
(iii)		<p>उक्त समिति निम्नलिखित भागों में शत-प्रतिशत सत्यापन करायेगी—</p> <p>क— पाठ्यक्रमवार कुल अनुमोदित सीटों के सापेक्ष किसी भी पाठ्यक्रम में 27 प्रतिशत से अधिक अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों का प्रवेश लेने वाली निजी क्षेत्र की संस्थायें।</p> <p>ख— जिन निजी क्षेत्र की संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल शुल्क प्रतिपूर्ति की मांग एक करोड़ रुपये या उससे अधिक हो।</p> <p>ग— उक्त के अतिरिक्त समिति स्वयिवेक से रैंडम आधार पर अथवा शिकायतें प्राप्त होने पर किसी भी शैक्षिक संस्था की जांच अथवा सत्यापन करा सकेगी।</p>		यथावत
(iv)		<p>जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र, नियमों के अन्तर्गत न होने के कारण अस्वीकृत होते हैं, ऐसे अस्वीकृत किये गये आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा अस्वीकृति के कारणों की जानकारी एन0आई0सी0 के माध्यम से आनलाइन प्रदर्शित की जायेगी तथा छात्र के मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 द्वारा सूचित किया जायेगा। सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित छात्र, जिलाधिकारी को अपील कर सकेगा। जिलाधिकारी उस अपील पर सकारण लिखित</p>		यथावत

		आदेश पारित करेगा। जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा। पारित आदेश के अन्तर्गत अनहूं अभ्यर्थियों को अध्ययन के लिए आवश्यक शुल्क स्वयं वहन करना होगा।				
	(v)	छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि के अन्तरण उपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जिलाधिकारी द्वारा कम से कम 05 प्रतिशत छात्र/छात्राओं में धनराशि वितरण का भौतिक सत्यापन/जांच सुनिश्चित कराया जायेगा। छात्र/छात्राओं के रेण्डमली चयन हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई द्वारा छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली साफ्टवेयर में आवश्यक दिक्कत्य उपलब्ध कराया जायेगा जिसके माध्यम से जांच हेतु जिलाधिकारी छात्र/छात्राओं, शिक्षण संस्थानों की सूची रेण्डम विधि से जनरेट करेंगे तथा उक्त सूची में अंकित शिक्षण संस्थानों के छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन करायेंगे और अनियमितता पाये जाने पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही नियमावली के नियम-15 (ii) के अनुसार सुनिश्चित करेंगे।			यथावत	
18-	प्रदेश के बाहर दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन रत छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के वितरण की प्रक्रिया	(i)	अन्य प्रांतों में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को अनुरक्षण भत्ता/छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की स्वीकृति एवं वितरण का कार्य निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा:-  1— प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े	प्रदेश के बाहर दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन रत छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के वितरण की प्रक्रिया	(i)	विलोपित

वर्ग को छोड़कर) के छात्र/छात्राओं के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी उपरोक्तानुसार ही होगी।

2— छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से आनलाइन निर्धारित प्रारूप पर भरा जायेगा। छात्र/छात्रा द्वारा समर्त प्रविष्टियों को ऑनलाइन सही—सही भर कर उसका प्रिन्ट आउट लिया जायेगा। डाटा की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का होगा। आनलाइन प्रेषित आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के साथ परिशिष्ट "ग" के अनुसार समर्त संलग्नकों सहित सम्बन्धित शिक्षण संस्था में निर्धारित अन्तिम तिथि तक छात्र/छात्रा द्वारा जमा किया जायेगा जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट "च" के अनुसार शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी।

3— छात्र/छात्रा द्वारा भरे गये ऑनलाइन आवेदन में अंकित सूचना को अभिलेखों के आधार पर संस्था द्वारा ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित किया जायेगा तथा ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की हार्ड कापी पर संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित एवं संरक्षित करते हुए परिशिष्ट "छ" के अनुसार सत्यापन प्रमाण—पत्र सहित सम्बन्धित संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के स्थायी निवास के जनपद के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

4— शिक्षण संस्थानों द्वारा आनलाइन संरक्षित एवं अग्रसारित डाटा को निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, निदेशालय उ०प्र० द्वारा एन०आई०सी० (स्टेट यूनिट)

लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर से शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक विभिन्न परीक्षा नियन्त्रक संस्थाओं/ विभागों यथा— यू.पी.टी.यू., ए.आई.सी.टी.ई., यू.जी.सी., एन.सी.टी.ई., एम.सी.आई., विश्वविद्यालयों एवं विभिन्न शिक्षा परिषदों, बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन एवं बोर्ड आफ रेवन्यू आदि की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से मिलान एवं समस्त जनपदों के छात्रों के डाटा को आपस में भिन्स कर डुप्लीकेट डाटा की छटनी व परीक्षण कराकर शुद्ध एवं सन्देहास्पद डाटा सम्बन्धित जनपदों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के लागिन पर उपलब्ध होगा।

5— जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा उक्तानुसार प्राप्त प्रत्येक छात्र/छात्रा के विवरण को जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों से प्राप्त छात्र/छात्राओं के आनलाइन आवेदन पत्र एवं संलग्नकों की हार्ड कापी के साथ प्रस्तुत कर स्वीकृति/अस्वीकृति प्राप्त किया जायेगा। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति से पूर्व छात्र/छात्रा के विवरण की हार्ड कापी से आवश्यक मिलान अपने स्तर से रेण्डमली करायेगी।

6—जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों के लागिन पर उक्तानुसार उपलब्ध शुद्ध एवं जंक डाटा के अभ्यर्थियों की सूची एवं शिक्षण संस्थान से प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की हार्डकापी संलग्नकों सहित

जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करते हुए छात्रों की सूची की हार्डकापी एवं नोटशीट पर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

7— जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से छात्रवृत्ति /शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के उपरान्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा डिजिटल सिगनेचर के माध्यम से डाटा को आनलाइन संस्तुत एवं लॉक किया जायेगा।

8— जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर निदेशालय द्वारा एनआईसी० (स्टेट यूनिट) लखनऊ से विकसित आनलाइन साफ्टवेयर द्वारा मांग जनरेट करायी जायेगी, जो निदेशालय के लागिन पर उपलब्ध हो जायेगी।

9— तदोपरान्त बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निदेशालय के वित्त नियन्त्रक द्वारा राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार छात्र/ छात्रा के बचत बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) का होगा।

10— छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में धनराशि अन्तरण में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण निदेशक द्वारा किया जायेगा।

		11— अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत नवीनीकरण वाले एवं नये छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि वितरण हेतु चयन की प्रक्रिया, वरीयता कम निर्धारण, PFMS प्रणाली से धनराशि के अन्तरण की प्रक्रिया, फेल्ड ट्रांजक्शन एवं अवितरित धनराशि के रिसीट हेड में जमा करने के नियम व प्रक्रिया आदि प्रदेश में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु निर्धारित नियम व प्रक्रिया के अनुसार ही रहेगी।			
	(ii)	प्रदेश के बाहर स्थित संस्थानों, उनमें संचालित पाद्यकर्मों तथा छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्रों का अलग विवरण तैयार किया जायेगा तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक जिला पिछऱ्ठा वर्ग कल्याण अधिकारी के डिजीटल सिगनेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लॉक किये गये विवरण को तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण सम्बन्धी विवरण की सूची की हार्डकापी, साफटकापी (डीवीडी) एवं हार्ड डिस्क में नियमावली के नियम-12 (v) में वर्णित व्यवस्थानुसार 10 वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी।	(ii)		विलोपित
19	संशोधन का अधिकार	इस नियमावली के प्राविधानों में यथावश्यक संशोधन करने एवं किसी भी कठिनाई के निवारण करने की शक्ति मात्र मुख्य मंत्री जी में निहित होगी।	संशोधन का अधिकार		यथावत
20	न्यायालय क्षेत्रा धिकार	किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्राधिकार मात्र उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/खण्डपीठ लखनऊ, उत्तर प्रदेश होगा।	न्यायालय क्षेत्रा धिकार		यथावत

20	न्यायालय क्षेत्राधिकार	किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्राधिकार मार्ग उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/खण्डपीठ लखनऊ, उत्तर प्रदेश होगा।	न्यायालय क्षेत्राधिकार	यथावत्
----	---------------------------	---	---------------------------	--------

उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08 जनवरी, 2013, शासनादेश दिनांक 14 फरवरी, 2013, कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20 नवम्बर, 2013 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23 सितम्बर, 2014 के अन्य नियम यथावत् लागू रहेंगे। कृपया तदनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

( मनोज सिंह )  
प्रमुख सचिव ।

<sup>२२/२०१६</sup>  
संख्या-536(1)/64-2-2016-1(छात्रवृत्ति)/2013-तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/न्याय /उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3. निदेशक, एनोआईसीओ, उत्तर प्रदेश, योजना भवन, लखनऊ ।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रतियाँ समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी तथा अन्य संबंधित समस्त अधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से भेजते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें ।
6. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक, जवाहर भवन, लखनऊ ।

8. नोडल अधिकारी, पी०एफ०एम०एस० प्रणाली,उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
9. समस्त उपनिदेशक,पिछड़ा वर्ग कल्याण,उत्तर प्रदेश ।
10. समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,उत्तर प्रदेश ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-३, उत्तर प्रदेश शासन ।
12. गार्ड फाईल ।

( राकेश कुमार )  
उप सचिव ।

**LIST OF APPROVED COURSES FOR SESSION 2015-16 UP STATE SCHOLASHIP & FEE REIMBURSEMENT SCHEME AS ON 15/1/2016**

SNo.	Course Name	Course Full Name	Duration
<b>Group:- 1</b>			
1	A.P.G.D.C.A.	Advance Post Graduate Diploma in Computer Application	2 Year(s)
2	B.A.M.S.	Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery	5 Year(s)
3	B.Arch.	Bachelor of Architecture	5 Year(s)
4	B.B.A.+ M.B.A –Integrated	Bachelor of Business Administration + Master in Business Administration –integrated	5 Year(s)
5	B.D.S.	Bachelor of Dental Surgery	4 Year(s)
6	B.Des.	Bachelor of Design	4 Year(s)
7	B.E.	Bachelor of Engineering	4 Year(s)
8	B.F.A.D.	Bachelor of Fashion & Apparel Design	4 Year(s)
9	B.F.Tech.	Bachelor of Fashion Technology	4 Year(s)
10	B.H.M.S.	Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery	5 Year(s)
11	B.Planning	Bachelor of Planning	4 Year(s)
12	B.Sc (Honours) in Agriculture	Bachelor of Science (Agriculture Honours)	3 Year(s)
13	B.Sc. (C.T./MRI Technician)	B.Sc. in C.T./MRI Technician	4 Year(s)
14	B.Sc. (Operation Theatre Technician)	B.Sc. in Operation Theatre Technician	4 Year(s)
15	B.Sc.+M.Sc.(Applied Geology Integrated)	B.Sc.+M.Sc.(Applied Geology Integrated)	5 Year(s)
16	B.Tech Auto Mobile Engineering	B.Tech Auto Mobile Engineering	4 Year(s)
17	B.Tech Petroleum Enginnering	B.Tech Petroleum Enginnering	4 Year(s)
18	B.Tech + M.B.A.(Integrated)	Bachelor of Technology + Master in Business Administration (Integrated)	5 Year(s)
19	B.TECH BIOTECH. ENGG.	B.TECH BIOTECHNOLOGY ENGINEERING	4 Year(s)
20	B.Tech.	Bachelor of Technology	4 Year(s)
21	B.Tech. (Inst.and control)	Bachelor of Technology (Instrumentation and Control Engineering)	4 Year(s)
22	B.Tech. (Manufacturing Technology)	B.Tech. (Manufacturing Technology)	4 Year(s)
23	B.Tech. (Plastic Engineering)	B.Tech. (Plastic Engineering)	4 Year(s)
24	B.Tech. Electrical & Electronics	Bachelor of Technology (Electrical & Electronics)	4 Year(s)
25	B.Tech. I. T.	Bachelor of Technology (Information Technology)	4 Year(s)
26	B.Tech. Production Engineering	Bachelor of Technology (Production Engineering)	4 Year(s)
27	B.Tech.(Agriculture Mechanical Science)	Bachelor of Technology (Mechanical Engineering (Agri. equipment and machinery))	2 Year(s)
28	B.Tech.(Agriculture)	Bachelor of Technology (Agricultural Engineering)	4 Year(s)
29	B.Tech.(Bio .Engg)	Bachelor of Technology (Bio Engineering )	4 Year(s)
30	B.Tech.(Biomedical Engg)	Bachelor of Technology (Biomedical Engineering)	4 Year(s)
31	B.Tech.(civil engg)	Bachelor of Technology (Civil Engineering)	4 Year(s)
32	B.Tech.(Com. Engg)	Bachelor of Technology (Computer Engineering)	4 Year(s)
33	B.Tech.(Computer Science)	Bachelor of Technology (Computer Science)	4 Year(s)
34	B.Tech.(Elect. & Comm)	Bachelor of Technology (Electronics & Communication)	4 Year(s)
35	B.Tech.(Elect. Engg)	Bachelor of Technology (Electrical Engineering )	4 Year(s)
36	B.Tech.(Electronics & Instrumentation)	Bachelor of Technology (Electronics & Instrumentation)	4 Year(s)
37	B.Tech.(Food Tech)	Bachelor of Technology (Food Technology)	4 Year(s)
38	B.Tech.(Man Made Fiber Technology)	B.Tech.(Man Made Fiber Technology)	4 Year(s)
39	B.Tech.(Mech. Engg)	Bachelor of Technology (Mechanical Engineering)	4 Year(s)
40	B.Tech.(Textiles Chemistry)	B.Tech.(Textiles Chemistry)	4 Year(s)
41	B.Tech.(Textiles Engineering)	B.Tech.(Textiles Engineering)	4 Year(s)
42	B.Tech.(Textiles Technology)	B.Tech.(Textiles Technology)	4 Year(s)
43	B.Tech.+ M.SC. Integrated	Bachelor of Technology and Master of Science integrated	4 Year(s)
44	B.Tech.Aeronautical Engineering	Bachelor of Technology (Aeronautical Engineering)	5 Year(s)
45	B.Tech.Aerospace Engineering	Bachelor of Technology (Aerospace Engineering)	4 Year(s)
46	B.Tech.Biological Science	Bachelor of Technology (Biological Science)	4 Year(s)
47	B.Tech.Chemical Engineering	Bachelor of Technology (Chemical Engineering)	4 Year(s)
48	B.Tech.Computer Science & Engineering	Bachelor of Technology (Computer Science & Engineering)	4 Year(s)
49	B.Tech.Material & metallurgical Engineering	Bachelor of Technology (Material & metallurgical Engineering)	4 Year(s)
50	B.U.M.S.	Bachelor of Unani Medicine and surgery	4 Year(s)
51	B.V.S.	Bachelor of Veterinary Science	4 Year(s)
52	B.V.Sc. & A.H. (Veterinary)	Bachelor of Veterinary Science & Animal Hausbandary	4 Year(s)
53	B.Voc in Fashion Technology	Bachelor of Vocational Education In Fashion Technology	5 Year(s)
54	B.Voc in Food Technology	Bachelor of Vocational Education in Food Technology	3 Year(s)
55	B.Voc in Media Studies	Bachelor of Vocational Education in Media Studies	3 Year(s)

8

A

Q

Pmss

**LIST OF APPROVED COURSES FOR SESSION 2015-16 UP STATE SCHOLASHIP & FEE REIMBURSEMENT SCHEME AS ON 15/1/2016**

SNo.	Course Name	Course Full Name	Duration
56	C.A.	Chartered Accountant	3 Year(s)
57	C.S.	Company secretary	4 Year(s)
58	D.lit.	Doctor of Literature	5 Year(s)
59	D.M.	Doctorate In Medicine	2 Year(s)
60	D.Sc.	Doctor of Science	5 Year(s)
61	Doctorate Degree	Doctorate Degree (Min Dur 2 yrs)	2 Year(s)
62	Electronics Engineering	Electronics Engineering	4 Year(s)
63	I.C.W.A.	Integrated Cost & Work Accountancy Courses	5 Year(s)
64	Industrial And Production Engineering	Industral And Production Engineering	4 Year(s)
65	Integrated M.Tech. In BioTechnology	Integrated M.Tech. in BioTechnology	5 Year(s)
66	Integrated M.Tech. in Electronics & TeleCommunication	Integrated M.Tech. in Electronics & TeleCommunication	5 Year(s)
67	Intigreated. M.Tech- Ph.D. (Tech)	Master of Technology +Doctor of philosophy (Technology)Intigreated.	6 Year(s)
68	IPM	Integrated Programme in Management	5 Year(s)
69	L.L.D	Docttor of Law	1 Year(s)
70	L.L.M.	Master of Laws	2 Year(s)
71	LLM One Year	LLM One Year	1 Year(s)
72	M. Pharma-Drug Regulatory affairs	Master of Pharmacy (Drug Regulatory affairs)	2 Year(s)
73	M. Phil. AIH & Archaeology	Master of Philosophy (AIH & Archaeology)	1 Year(s)
74	M. Phil. English	Master of Philosophy (English)	1 Year(s)
75	M. Phil. Hindi	Master of Philosophy (Hindi)	1 Year(s)
76	M. Phil. In Musicology	Master of Philosophy In Musicology	2 Year(s)
77	M. Phil. In Subaltern Studies	Master of Philosophy In Subaltern Studies	2 Year(s)
78	M. Phil. Political Science	Master of Philosophy (Political Science)	1 Year(s)
79	M. Phil. Sociology	Master of Philosophy (Sociology)	1 Year(s)
80	M. Phil. Public Administration	Master of Philosophy (Public Administration)	1 Year(s)
81	M. Phil. Social Work	Master of Philosophy (Social Work)	1 Year(s)
82	M.Arch.	Master of Architecture	2 Year(s)
83	M.B.A.	Master of Business Administration	2 Year(s)
84	M.B.A. in Human Resource	Master of Business Administration (Human Resource)	2 Year(s)
85	M.B.A. Agribusiness	Master of Business Administration (Agribusiness)	2 Year(s)
86	M.B.A. in Corporate Communication	Master of Business Administration (Corporate Communication)	2 Year(s)
87	M.B.A. in Agriculture	Master of Business Administration ( Agriculture)	2 Year(s)
88	M.B.A. in Finance	Master of Business Administration (Finance)	2 Year(s)
89	M.B.A. in International Business	Master of Business Administration (International Business)	2 Year(s)
90	M.B.A. in Management Science	Master of Business Administration (Management Science)	2 Year(s)
91	M.B.A. in Marketing	Master of Business Administration (Marketing)	2 Year(s)
92	M.B.A. in Retail Management	Master of Business Administration (Retail Management)	2 Year(s)
93	M.B.A. in Tourism Management	Master of Business Administration (Tourism Management)	2 Year(s)
94	M.B.A. Media Management	Master of Business Administration (Media Management)	2 Year(s)
95	M.B.A. Rural Development	Master of Business Administration (Rural Development)	4 Year(s)
96	M.B.A.( Marketing Mgmt.)	Master of Business Administration (Marketing Management )	2 Year(s)
97	M.B.A.( Media Business Mgmt.)	Master of Business Administration (Media Business Management)	2 Year(s)
98	M.B.A.(Executive Mgmt.)	Master of Business Administration ( Executive Management)	2 Year(s)
99	M.B.A.(Fin. Mgmt)	Master of Business Administration (Financial Managament)	2 Year(s)
100	M.B.A.(Hospital & Health)	Master of Business Administration (Hospital and Health care Managements)	2 Year(s)
101	M.B.A.(Human Resource Mgmt.)	Master of Business Administration (Human Resource Management)	2 Year(s)
102	M.B.A.(I.B)	Master of Business Administration (International Business)	2 Year(s)
103	M.B.A.(Tourism Mgmt.)	Master of Business Administration (Tourism Management)	2 Year(s)
104	M.B.A.(Tourism)	Master of Business Administration (Tourism)	2 Year(s)
105	M.B.B.S	Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery	5 Year(s)
106	M.C. A.	Master of Computer Application	3 Year(s)
107	M.C.A.	Master in Computer Applications	3 Year(s)
108	M.C.A. Corporate	Master in Computer Applications ( Corporate)	3 Year(s)
109	M.D.	Doctor of Medicine	2 Year(s)
110	M.D.S.	Master of Dental Surgery	2 Year(s)
111	M.Des.	Master of Design	2 Year(s)
112	M.F.M.	Master of Financial Management	2 Year(s)

8

A

B

Pmcy

**LIST OF APPROVED COURSES FOR SESSION 2015-16 UP STATE SCHOLASHIP & FEE REIMBURSEMENT SCHEME AS ON 15/1/2016**

SNo.	Course Name	Course Full Name	Duration
113	M.F.Tech	Master of Fashion Technology	2 Year(s)
114	M.I.B.	Master of International Business	2 Year(s)
115	M.P.T.	Master in Physiotherapy	2 Year(s)
116	M.Phil (Jornalism & Mass Communication )	Master of Philosophy (Jornalism & Mass Communication )	1 Year(s)
117	M.Phil- Hindi	Master of Philosophy in Hindi	2 Year(s)
118	M.Phil- Lalitkala	Master of Philosophy in Lalitkala	2 Year(s)
119	M.Phil- Manchkala(Sangeet)	Master of Philosophy in Manchkala(Sangeet)	2 Year(s)
120	M.Phil- Political Science	Master of Philosophy in Political Science	2 Year(s)
121	M.Phil- Psychology	Master of Philosophy in Psychology	2 Year(s)
122	M.Phil- Sanskrit	Master of Philosophy in Sanskrit	2 Year(s)
123	M.Phil.	Master of Philosophy	2 Year(s)
124	M.Phil. (Family and Resource Management)	M.Phil. (Family and Resource Managerment)	1 Year(s)
125	M.Phil. (Food and Nutrition)	M.Phil. (Food and Nutrition)	1 Year(s)
126	M.Phil. (Human Development and Family Studies)	M.Phil. (Human Development and Family Studies)	1 Year(s)
127	M.Phil. (Physical Education)	Master of Philosophy (Physical Education)	1 Year(s)
128	M.Phil. In E.S.D.	Master of Philosophy In Environment & Sustainable Development	1 Year(s)
129	M.Phil.(Botany)	Master of Philosophy (Botany)	2 Year(s)
130	M.Phil.(Chemistry)	Master of Philosophy (Chemistry)	1 Year(s)
131	M.Phil.(Economics)	Master of Philosophy (Economics)	1 Year(s)
132	M.Phil.(Education)	Master of Philosophy (Education)	1 Year(s)
133	M.Phil.(Environmental Science)	Master of Philosophy (Environmental Science)	1 Year(s)
134	M.Phil.(History)	M.Phil.(History)	1 Year(s)
135	M.Phil.(Law)	Master of Philosophy (Law)	1 Year(s)
136	M.Phil.(LIB. Sci.)	Master of Philosophy (Library Science)	1 Year(s)
137	M.Phil.(Management)	Master of Philosophy (Management)	1 Year(s)
138	M.Phil.(Mathematics)	Master of Philosophy (Mathematics)	1 Year(s)
139	M.Phil.(Physics)	Master of Philosophy (Physics)	1 Year(s)
140	M.Phil.(Statistics)	Master of Philosophy (Statistics)	1 Year(s)
141	M.Phil.(Tourism)	Master of Philosophy (Tourism)	1 Year(s)
142	M.Phil.(Zoology)	Master of Philosophy (Zoology)	1 Year(s)
143	M.Planning	Master In Planning	1 Year(s)
144	M.S.	Master of Surgery	2 Year(s)
145	M.S. Medi. Che.	Master of Surgery (Medicinal Chemistry)	2 Year(s)
146	M.S. Pharma.	Master of Surgery (Pharmaceutical)	2 Year(s)
147	M.Sc.(Energy and Environment)	M.Sc.(Energy and Environment)	2 Year(s)
148	M.Tech (Control Instrumentation)	M.Tech (Control Instrumentation)	2 Year(s)
149	M.Tech (Communication Engineering)	M.Tech(Communication Engineering)	2 Year(s)
150	M.Tech (Computer Integrated Engineering)	M.Tech (Computer Integrated Engineering)	2 Year(s)
151	M.Tech (Computer Science & Engineering)	M.Tech (Computer Science & Engineering)	2 Year(s)
152	M.Tech (Digital System)	M.Tech (Digital System)	2 Year(s)
153	M.Tech (Energy Technology & Management)	M.Tech (Energy Technology & Management))	2 Year(s)
154	M.TECH (Environment Engineering)	M.TECH (Environment Engineering)	2 Year(s)
155	M.Tech (Hill Area Developoment Engineering)	M.Tech (Hill Area Developoment Engineering)	2 Year(s)
156	M.Tech (Information Technology)	M.Tech (Information Technology)	2 Year(s)
157	M.Tech (Nano Technology & Nano Science)	Master of Technology ( Nano Technology & Nano Science)	2 Year(s)
158	M.Tech (Power Electronics & Drive)	M.Tech (Power Electronics & Drive)	2 Year(s)
159	M.Tech (Seismic Design and Earthquake)	M.Tech (Seismic Design and Earthquake Engineering)	2 Year(s)
160	M.Tech (Software Engineering)	M.Tech (Software Engineering)	2 Year(s)
161	M.Tech (Structural Engineering)	M.Tech (Structural Engineering)	2 Year(s)
162	M.Tech Electrical Engg.	M.Tech Electrical Engg.	2 Year(s)
163	M.Tech Electronics & Communication Engg.	M.Tech Electronics & Communication Engg.	2 Year(s)
164	M.tech(R.S & GIS)	M.tech(Remote.Sensing & GIS)	2 Year(s)
165	M.Tech.	Master of Technology	2 Year(s)
166	M.TECH. (R.S & G.I.S)	Master of Technology In Remote Sepping & G.I.S.	2 Year(s)

*D*

*A*

*B*

*Bmry*

**LIST OF APPROVED COURSES FOR SESSION 2015-16 UP STATE SCHOLASHIP & FEE REIMBURSEMENT SCHEME AS ON 15/1/2016**

SNo.	Course Name	Course Full Name	Duration
167	M.TECH.( Biotechnology)	Master of Technology (Biotechnology)	2 Year(s)
168	M.TECH.( Energy & Envi.)	Master of Technology (Energy & Environment )	2 Year(s)
169	M.Tech.(Computer Engineering)	M.Tech.(Computer Engineering)	2 Year(s)
170	M.TECH.(Computer Science and Technology)	Master of Technology (Computer Science and Technology)	2 Year(s)
171	M.TECH.(Mechanical Engineering)	Master of Technology (Mechanical Engineering)	2 Year(s)
172	M.Tech.(Textiles Chemistry)	M.Tech.(Textiles Chemistry)	2 Year(s)
173	M.Tech.(Textiles Technology)	M.Tech.(Textiles Technology)	2 Year(s)
174	M.TECH.(VLSI Design)	Master of Technology (VSLI DESIGN )	2 Year(s)
175	M.Voc in Fashion Technology	Masters of Vocational Education in Fashion Technology	2 Year(s)
176	M.Voc in Food Technology	Master of Vocational Education in Food Technology	2 Year(s)
177	M.Voc in Media Studies	Bachelor of Vocational Education in Media Studies	2 Year(s)
178	Master of Pharmacy (Pharmacology)	Master of Pharmacy (Pharmacology)	2 Year(s)
179	Master of Pharmacy (Pharnaceutics)	Master of Pharmacy (Pharnaceutics)	2 Year(s)
180	Master of Technology Civil Engg.	Master of Technology Civil Engg.	2 Year(s)
181	MCA (DUAL DEGREE)	MCA DUAL DEGREE	2 Year(s)
182	MD Ayurved	MD Ayurved	5 Year(s)
183	MS Ayurved	MS Ayurved	3 Year(s)
184	P. G. D. in Forensic Science	Post Graduate Diploma in Forensic Science	3 Year(s)
185	P. G. D. in Hospital & Health Care Administration	Post Graduate Diploma in Hospital and Health Care Administration	1 Year(s)
186	P. G. D. H.R.M	Post Graduate Diploma in Human Resources & management	1 Year(s)
187	P. G. D.B. C.	Post Graduate Diploma in Business Communication	1 Year(s)
188	P.G.D.(Clinical Pathology)	Post Graduate Diploma in Clinical Pathology	2 Year(s)
189	P.G.D.F.S.C.	Post Graduate Diploma in Forensic Science and Criminology	1 Year(s)
190	P.G( Medical Diploma)	Post Graduate Diploma in Medical	2 Year(s)
191	P.G. D. In Front Office Management	Post Graduate Diploma in Front Office Management	2 Year(s)
192	P.G. D. in Quality Management	Post Graduate Diploma in Quality Management	1 Year(s)
193	P.G. D.(Professional Biotechnology)	Post Graduate Diploma in Professional Biotechnology	1 Year(s)
194	P.G. D.(Rural Resource Management)	Post Graduate Diploma in Rural Resource Management	2 Year(s)
195	P.G. Diploma ( P. J.)	Post Graduate Diploma in Print Journalism (Hindi / English)	1 Year(s)
196	P.G.C.M.	Post Graduate Certificate in Management	1 Year(s)
197	P.G.D. In Quality Management	Post Graduate Diploma in Quality Management	1 Year(s)
198	P.G.D.A.N.S.I. (SE)	Post Graduate Diploma course of Associate Ship of National Sugar Institute in Sugar Engineering	2 Year(s)
199	P.G.D.D.M	Post Graduate Diploma in Disaster Management	1 Year(s)
200	P.G.D.F.S.Q.M.	Post Graduate Diploma in Food Safety and Quality Management	1 Year(s)
201	P.G.D.M.	Post Graduate Diploma in Management	2 Year(s)
202	P.G.D.S.L.M.	Post Graduate Diploma in School leadership and Management	1 Year(s)
203	PG Diploma(Microbiology)	Post Graduate Diploma in Microbiology	1 Year(s)
204	Ph.D. Fisheries Resource Management	Doctor of Philosophy (Fisheries Resource Management)	3 Year(s)
205	Ph.D.(Agriculture)	Doctor of Philosophy (Agriculture)	3 Year(s)
206	Ph.D./D.Phil.	Doctor of Philosophy	5 Year(s)

**Group:- 2**

1	A.C.I.S.E.	Advance Certificate in Information Security	2 Year(s)
2	A.D. in Clinical Nutrition & Dietics	Advance Diploma in Clinical Nutrition & Dietics	1 Year(s)
3	A.D.F.D.T	Advance Diploma in Fashion Design & Technology	2 Year(s)
4	A.D.F.P.	Advance Diploma in Food Processing	2 Year(s)
5	AIH Archaeology	AIH Archaeology	2 Year(s)
6	Applied M.Ed./MA(Applied Education)	Applied Master of Education/Master of Arts	2 Year(s)
7	Associating Sugar Engineering	Associating Sugar Engineering	1 Year(s)
8	Ayurved Upcharica	Ayurved Upcharica	4 Year(s)
9	B.A. (F.D.T.)	Bachelor of Arts (Fashion Design & Technology)	3 Year(s)
10	B.A. (M.C. & J.)	Bachelor of Arts ( Mass Communication & Journalism)	3 Year(s)
11	B.A.& B.Ed	Bachelor of Arts & Bachelor of Education	4 Year(s)
12	B.A.& I.L.B. (Hons.)	Bachelor of Arts and Bachelor of Laws (Honours)	5 Year(s)
13	B.A.&L.L.B.(Integrated)	Bachelor of Arts & Bachelor of Laws (Integrated)	5 Year(s)
14	B.A.S.L.P (Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology)	Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology	4 Year(s)

*8*

*A.*

*④*

*Parvez*

**LIST OF APPROVED COURSES FOR SESSION 2015-16 UP STATE SCHOLASHIP & FEE REIMBURSEMENT SCHEME AS ON 15/1/2016**

SNo.	Course Name	Course Full Name	Duration
15	B.Ayurvedic Farmacist	Bachelor of Ayurvedic Farmacist	2 Year(s)
16	B.B.A.	Bachelor of Business Administration	3 Year(s)
17	B.B.A. & M.B.A. Integrated	Bachelor of Business Administration & M.B.A. Integrated	5 Year(s)
18	B.B.A. International Business	Bachelor of Business Administration International Business	3 Year(s)
19	B.B.A.& L.I.B. Integrated	Bachelor of Business Administration & L.I.B. Integrated	5 Year(s)
20	B.B.A.Management Science	Bachelor of Business Administration Management Science	3 Year(s)
21	B.B.A.Tourism	Bachelor of Business Administration Tourism	3 Year(s)
22	B.C.A.	Bachelor of Computer Applications	3 Year(s)
23	B.Com. & L.L.B. Integrated	Bachelor of Commerce & Bachelor of Laws Integrated	5 Year(s)
24	B.Com.(Professional) Integrated CA & CS	Bachelor of Commerce (Professional) Integrated CA & CS	3 Year(s)
25	B.Ed.	Bachelor of Education	2 Year(s)
26	B.F.A.	Bachelor of Fine Art	4 Year(s)
27	B.F.Sc. Aquaculture	Bachelor of Aquaculture	4 Year(s)
28	B.F.Sc. Biology	Bachelor of Fishery Biology	4 Year(s)
29	B.F.Sc.Fish Processing Technology	Bachelor of Fish Processing Technology	4 Year(s)
30	B.F.Sc.Fisheries Extension Education	Bachelor of Fisheries Extension Education	4 Year(s)
31	B.F.Sc.Hydrography	Bachelor of Fishery Hydrography	4 Year(s)
32	B.F.Sc.Nautical Science	Bachelor of Fisheries Science (Nautical Science)	4 Year(s)
33	B.H.M.C.T.	Bachelor in Hotel Management and Catering Technology	4 Year(s)
34	B.HMCT	Bachelor of Hotel Management & Catering Technology	4 Year(s)
35	B.J.M.C.	Bachelor of Journalism and Mass Communication	3 Year(s)
36	B.L.I.Sc.	Bachelor of Library and Information Science	1 Year(s)
37	B.Lib.	Bachelor of Library Science	3 Year(s)
38	B.M.S.	Bachelor of Management Science	3 Year(s)
39	B.Optomety	Bachelor in Optometry	3 Year(s)
40	B.P.A. Part – 1&2	B.P.A. Part – 1&2	3 Year(s)
41	B.P.Ed.	Bachelor of Physical Eduaction	4 Year(s)
42	B.P.O (Bachelor in Prosthetics and Orthotics)	Bachelor in Prosthetics and Orthotics	4 Year(s)
43	B.P.T.	Bachelor of Physiotherapy	4 Year(s)
44	B.P.T.	Bachelor of Physiohearpy	5 Year(s)
45	B.Pharma.	Bachelor of Pharmacy	4 Year(s)
46	B.Sc. (Bio tech.)	Bachelor of Science (Bio technology)	3 Year(s)
47	B.Sc. (BRDIT)	Bachelor of Radiology & Imaging Technology	3 Year(s)
48	B.Sc. (Computer Application)	B.Sc. (Computer Application)	3 Year(s)
49	B.Sc. (Food Sc. Tech)	Bachelor of Science (Food Science and Tech.)	3 Year(s)
50	B.Sc. (Health Information Administration)	Bachelor of Science (Health Information Administration)	3 Year(s)
51	B.Sc. (Hospitality & Administration)	Bachelor of Science (Hospitality & Adminstration)	3 Year(s)
52	B.Sc. (Hotel Management & Tourism Courses)	Bachelor of Science (Hotel Management & Tourism Courses)	3 Year(s)
53	B.Sc. (Human Nutrition)	Bachelor of Science (Human Nutrition)	3 Year(s)
54	B.Sc. (Industrial Chemistry)	B.Sc. (Industrial Chemistry)	3 Year(s)
55	B.Sc. (Medical Microbiology)	Bachelor of Science (Medical Microbiology)	3 Year(s)
56	B.Sc. (Physical Education)	B.Sc. (Physical Education)	3 Year(s)
57	B.Sc. Forestry	Bachelor of Science (Forestry)	4 Year(s)
58	B.Sc. Home Science (4 Yrs)	B.Sc. Home Science (4 Yrs)	4 Year(s)
59	B.Sc.(Agriculture)	Bachelor of Science (Agriculture)	4 Year(s)
60	B.Sc.(Nursing)	Bachelor of Science (Nursing)	4 Year(s)
61	B.VOC.	Bachelor of vocation	4 Year(s)
62	C.M.C.A	Corporate Master of Computer Application	3 Year(s)
63	C.M.P.H.	Community Medicine & Public Health	3 Year(s)
64	D.F.A (A.M.T)	Doctor of Fine Arts (A.M.T)	2 Year(s)
65	D.P.A. (PD)	Diploma in Public Administration (PD)	2 Year(s)
66	Dental Hygienist	Dental Hygienist	1 Year(s)
67	Dental Mechanics	Dental Mechanics	2 Year(s)
68	Dip. Parangat Part 1&2	Diploma in Parangat Part 1&2	2 Year(s)
69	F.C.T	Fashion and Clothing Technology	2 Year(s)
70	FASHION DESIGN AND GARMENT TECH	Fashion Design and Garment Technology	1 Year(s)
71	FAZIL	FAZIL	3 Year(s)
			2 Year(s)

8

A.

B

Praveen

**LIST OF APPROVED COURSES FOR SESSION 2015-16 UP STATE SCHOLASHIP & FEE REIMBURSEMENT SCHEME AS ON 15/1/2016**

SNo.	Course Name	Course Full Name	Duration
72	INST. AND CONTROL ENGG.	Instrumentation and Control Engineering	3 Year(s)
73	L.L.B	Bachelor of Laws	3 Year(s)
74	L.L.B. Honours	Bachelor of Laws Honours	5 Year(s)
75	M. A. in AIH & Archaeology	Master of Arts in AIH & Archaeology	2 Year(s)
76	M. A. in Arabic	Master of Arts in Arabic	2 Year(s)
77	M. A. in Composite History	Master of Arts in Composite History	2 Year(s)
78	M. A. in Human Consciousness & Yogic Sciences	Master of Arts in Human Consciousness & Yogic Sciences	2 Year(s)
79	M. A. in Jyotir vigyan	Master of Arts in Jyotir vigyan	2 Year(s)
80	M. A. in Mathematics	Master of Arts in Mathematics	2 Year(s)
81	M. A. in Public Administration	Master of Arts in Public Administration	2 Year(s)
82	M. A. in AIH & Archaeology Group-B Culture	Master of Arts in AIH & Archaeology Group-B Culture	2 Year(s)
83	M. A. in Arab Culture	Master of Arts in Arab Culture	2 Year(s)
84	M. A. in Modern Arabic	Master of Arts in Modern Arabic	2 Year(s)
85	M. A. in Russian	Master of Arts in Russian	2 Year(s)
86	M. A. Public Policy	Master of Arts (Public Policy)	2 Year(s)
87	M. A. in French	Master of Arts in French	2 Year(s)
88	M. C. M. & P. H.	Master of Community Medicine & Public Health	2 Year(s)
89	M. E. M.	Master of Event Management	2 Year(s)
90	M. Lib. & Info.Sc.	Master of Library & Information Science	2 Year(s)
91	M. Phil. Nutrition & Health	Master of Scince (Nutrition & Health)	2 Year(s)
92	M. Sc. (Life Science)	Master of Science (Life Science)	2 Year(s)
93	M. Sc. (Man and Biosphere )	Master of Science (Man and Biosphere )	2 Year(s)
94	M.A Corporate Communication Management	M.A Corporate Communlcation Management	1 Year(s)
95	M.A(Rural Development & Management)	Master in Rural Development & Management	2 Year(s)
96	M.A(Applied And clinical Psychology)	Master of Arts (Applied And clinical Psychology)	2 Year(s)
97	M.A(Applied and Regional Economics)	Master of Applied and Regional Economics	2 Year(s)
98	M.A(Applied English)	Master of Arts (Applied English)	2 Year(s)
99	M.A(Applied Philosophy)	Master of Arts (Applied Philosophy)	2 Year(s)
100	M.A(Defence and Strataginc Studies)	Master of Arts (Defence and Strataginc Studies)	2 Year(s)
101	M.A(Geography)	Master of Arts (Geography)	2 Year(s)
102	M.A(Home Science)	Master of Arts (Home Science)	2 Year(s)
103	M.A(Medieval and Modern History)	Master of Arts (Medieval and Modern History)	2 Year(s)
104	M.A(Military Studies)	Master of Arts (Military Studies)	2 Year(s)
105	M.A(Painting)	Master of Arts (Painting)	2 Year(s)
106	M.A(Persian)	Master of Arts (Persian)	2 Year(s)
107	M.A(Philosophy)	Master of Arts (Philosophy)	2 Year(s)
108	M.A(Political Science)	Master of Arts (Political Science)	2 Year(s)
109	M.A(Statistics)	Master of Arts (Statistics)	2 Year(s)
110	M.A(Urdu)	Master of Arts (Urdu)	2 Year(s)
111	M.A.	Master of Arts	2 Year(s)
112	M.A. in Linguistics	Master of Arts in Linguistics	2 Year(s)
113	M.A. in Population Education & Rural Development	Master of Arts in Population Education & Rural Development	2 Year(s)
114	M.A. in Western History	Master of Arts in Western History	2 Year(s)
115	M.A. (A.I.H)	Master of Arts (Ancient Indian History)	2 Year(s)
116	M.A. (Applied Economics)	Master of Applied Economics	2 Year(s)
117	M.A. (Applied Psychology)	Master of Arts (Applied Psychology)	2 Year(s)
118	M.A. (Applied)	Master of Arts (Applied)	2 Year(s)
119	M.A. (C.C.J.A)	Master of Arts (Criminology & Criminal Justice Administration)	2 Year(s)
120	M.A. (Eco.)	Master of Arts (Economics)	2 Year(s)
121	M.A. (Hin. Lit.)	Master of Arts (Hindi Literature)	2 Year(s)
122	M.A. (Hist.)	Master of Arts (History)	2 Year(s)
123	M.A. (Man and Biosphere )	Master of Art (Man and Biosphere )	2 Year(s)
124	M.A. (Phys)	Master of Arts (Psychology)	2 Year(s)
125	M.A. (R.D.)	Master of Arts (Rural Devlopment)	2 Year(s)
126	M.A. (Sanskrit)	Master of Arts (Sanskrit)	2 Year(s)

8

1

Q

Praveen

**LIST OF APPROVED COURSES FOR SESSION 2015-16 UP STATE SCHOLASHIP & FEE REIMBURSEMENT SCHEME AS ON 15/1/2016**

SNo.	Course Name	Course Full Name	Duration
127	M.A. (Sociology)	Master of Arts (Sociology)	2 Year(s)
128	M.A. (Translation)	Master of Arts (Translation)	2 Year(s)
129	M.A. Anthropology	Master of Arts (Anthropology)	2 Year(s)
130	M.A. Biostatistics	Master of Arts (Biostatistics)	2 Year(s)
131	M.A. Culture	Master of Arts (Ancient History and Culture)	2 Year(s)
132	M.A. DEVELOP. STU.	Master of Arts (Development Studies)	2 Year(s)
133	M.A. Disaster Management	Master of Arts in Disaster Management	2 Year(s)
134	M.A. Drying & Panting	Master of Arts (Drying & Painting)	2 Year(s)
135	M.A. Education	Master of Arts (Education)	2 Year(s)
136	M.A. English	Master of Arts (English literature / Language)	2 Year(s)
137	M.A. FIN. ECONO.	Master of Arts (Financial Economics)	2 Year(s)
138	M.A. Gandhi Adhyayan	Master of Arts in Gandhi Adhyayan	2 Year(s)
139	M.A. History(Puratatva)	Master of Arts (Puratatva)	2 Year(s)
140	M.A. Hospital & Health Care Adminstration	Master of Arts Hospital & Health Care Administration	2 Year(s)
141	M.A. HUMAN & BIOSP.	Master of Arts (Human Biosphere)	2 Year(s)
142	M.A. in Persian	Master of Arts in Persian	2 Year(s)
143	M.A. Music	Master of Arts (Music)	2 Year(s)
144	M.A. P. A.	Master of Performing Art	2 Year(s)
145	M.A. Tourism	Master of Arts (Tourism)	2 Year(s)
146	M.A.(A.E.)	Master in adult Education Events Managements	2 Year(s)
147	M.A.(D.S.)	Master in Development Studies	2 Year(s)
148	M.A.(Fashion Technology )	Master of Art (Fashion Technology )	2 Year(s)
149	M.A.(J & M.C.)	Master of Journalism & Mass Communication	2 Year(s)
150	M.A.(P.A.)	Master in Public Administration	2 Year(s)
151	M.A.(P.E.R.D.)	Master of Population Education and Rural Development	2 Year(s)
152	M.A.(P.Ed.)	Master in Physical Education	2 Year(s)
153	M.A.(W.S)	Master of Arts (Women Studies)	2 Year(s)
154	M.A.A.P.R.	Master of Arts (Advertising & Public Relation)	2 Year(s)
155	M.A.B.J.	Master of Arts (Broadcast Journalism)	2 Year(s)
156	M.A.C.C.M.	Master of Arts in Corporate Communication Management	2 Year(s)
157	M.A.FASHION TECH. & APREL DESIGNING	Master of Arts (Fashion Technology and Aprel Designing)	2 Year(s)
158	M.A.in Medieval & Modrn Indian History	Master of Arts in Medieval & Modrn Indian History	2 Year(s)
159	M.A.M.C.	Masters of Arts in Mass Communication	2 Year(s)
160	M.B.E.	Master in Bussiness Economics	2 Year(s)
161	M.B.E.	Master of Business Economics	2 Year(s)
162	M.B.E.F.	Master of Buisness Economics and Finance	2 Year(s)
163	M.B.L.	Master of Bussiness Law	1 Year(s)
164	M.B.T.	Master of Business &Technology	2 Year(s)
165	M.C.J.	Mass Communication & Journalism	2 Year(s)
166	M.Com.	Master of Commerce	2 Year(s)
167	M.Com. Applied Economics	Master of Commerce Applied Economics	2 Year(s)
168	M.E.M.	Masters in Event Management	2 Year(s)
169	M.Ed.	Master of Education	2 Year(s)
170	M.Ed. (Special Edu)	M.Ed. (Special Edu)	2 Year(s)
171	M.F.A.	Master of Fine Arts	1 Year(s)
172	M.F.C.	Master of Finance & Control	2 Year(s)
173	M.F.Sc. Aquaculture	Master of Fisheries Science (Aquaculture)	2 Year(s)
174	M.F.Sc. Fishery Biology	Master of Fisheries Science (Fishery Biology)	2 Year(s)
175	M.H.A.	Master of Hospital Administration	2 Year(s)
176	M.J.	Master of Journalism	2 Year(s)
177	M.I.L.	Master of Labour Law	2 Year(s)
178	M.Lib.	Master of Library Science	2 Year(s)
179	M.Lib. Sc.	Master of Library Science	2 Year(s)
180	M.P. Ed.	Master of Physical Education	2 Year(s)
181	M.P.H.	Master in Public Health	2 Year(s)
182	M.P.M.I.R.	Master of Personnel Marketing & Industrial Relation	2 Year(s)
183	M.Pharma.	Master of Pharmacy	2 Year(s)

(A)

(B)

(C)

D  
Parvez

**LIST OF APPROVED COURSES FOR SESSION 2015-16 UP STATE SCHOLASHIP & FEE REIMBURSEMENT SCHEME AS ON 15/1/2016**

SNo.	Course Name	Course Full Name	Duration
184	M.R.M.	Master in Rural Management	2 Year(s)
185	M.S.Eng.	Master in Social Engineering	2 Year(s)
186	M.S.W.	Master of Social Work	2 Year(s)
187	M.Sc (Animal Science)	Master of Science (Animal Science)	2 Year(s)
188	M.Sc (Anthropology)	Master of Science (Anthropology)	2 Year(s)
189	M.Sc (Psychology)	Master of Science (Psychology)	2 Year(s)
190	M.Sc(Applied Geology)	Master of Science (Applied Geology)	2 Year(s)
191	M.Sc(Chemistry)	Master of Science (Chemistry)	2 Year(s)
192	M.Sc(Mathematics)	Master of Science (Mathematics)	2 Year(s)
193	M.Sc(Military Studies)	Master of Science (Military Studies)	2 Year(s)
194	M.Sc(Plant Science)	Master of Science (Plant Science)	2 Year(s)
195	M.Sc.	Master of Science	2 Year(s)
196	M.Sc. FIN. ECONO.	Master of Science (Financial Economics)	2 Year(s)
197	M.Sc. (Agr. (Biotech))	Master of Science (Agriculture Biotech)	2 Year(s)
198	M.Sc. (Agr.Science)	Master of Science (Agricultural Science)	2 Year(s)
199	M.Sc. (Agri.)	Master of Science (Agriculture)	2 Year(s)
200	M.Sc. (Basic Science)Integrated	Master of Science (Basic Science)Integrated	2 Year(s)
201	M.Sc. (Farmastaical science)	Master of Science (Farmastaical science)	5 Year(s)
202	M.Sc. (Fashion Technology )	Master of Science (Fashion Technology )	2 Year(s)
203	M.Sc. (MASS COMMUNICATION)	Master of Science (Mass Communication)	2 Year(s)
204	M.Sc. (MATERIAL health)	Master of Science (Material health)	2 Year(s)
205	M.Sc. (Medical Anatomy)	Master of Science (Medical Anatomy)	2 Year(s)
206	M.Sc. (Medical Biochemistry)	Master of Science (Medical Biochemistry)	3 Year(s)
207	M.Sc. (Medical Microbiology)	Master of Science (Medical Microbiology)	4 Year(s)
208	M.Sc. (Medical Pharmacology )	Master of Science (Medical Pharmacology )	3 Year(s)
209	M.Sc. (Medical Physiology )	Master of Science (Medical Physiology )	3 Year(s)
210	M.Sc. (Nutriation and Health )	Master of Science (Nutriation and Health )	3 Year(s)
211	M.Sc. Anthroplogy	Master of Science (Anthroplogy)	2 Year(s)
212	M.Sc. Bio-chemistry	Master of Science (Bio.chemistry)	2 Year(s)
213	M.Sc. Biostatistics	Master of Science (Biostatistics)	2 Year(s)
214	M.Sc. Botany	Master of Science (Botany)	2 Year(s)
215	M.Sc. Earth Science	Master of Science (Earth Science)	2 Year(s)
216	M.Sc. Environmental Science	Master of Science (Environmental Science)	2 Year(s)
217	M.Sc. FASHION TECH. & APREL DESIGNING	Master of Science (Fashion Technology and Aprel Designing)	2 Year(s)
218	M.Sc. Geology	Master of Science (Geology)	2 Year(s)
219	M.Sc. HUMAN & BIOSP.	Master of Science (Human & Biosphere)	2 Year(s)
220	M.Sc. IN HOSPITALITY ADMINISTRATION	Master of Science (Hospitality and Administration)	2 Year(s)
221	M.Sc. Mass Communication in Science & Technology	Master of Science (Mass Communication in Science & Technology)	2 Year(s)
222	M.Sc. Micro-biology	Master of Science (Micro-biology)	2 Year(s)
223	M.Sc. Physics	Master of Science (Physics)	2 Year(s)
224	M.Sc. Renewable Energy	Master of Science (Renewable Energy)	2 Year(s)
225	M.Sc. Zoology	Master of Science (Zoology)	2 Year(s)
226	M.Sc.( App. Chem.)	Master of Science (Applied Chemistry)	2 Year(s)
227	M.Sc.( App. Math.)	Master of Science (Applied Mathematics)	2 Year(s)
228	M.Sc.( App. Physics)	Master of Science (Applied Physics)	2 Year(s)
229	M.Sc.( App. Stats.)	Master of Science (Applied Statistics)	2 Year(s)
230	M.Sc.( Home Sc.)	Master of Science (Home Science)	2 Year(s)
231	M.Sc.( Horticulture)	Master of Science (Horticulture)	2 Year(s)
232	M.Sc.( INDUST. MICRO BIO.)	Master of Science (Industrial Microbiology)	2 Year(s)
233	M.Sc.( IT)	Master of Science (Information Technology)	2 Year(s)
234	M.Sc.( R. B. & T.Eng. )	Master of Science (Resonate Biology and Tissue Engineering)	2 Year(s)
235	M.Sc.(App. Animal Sc.)	Master of Science (Applied Animal Science)	2 Year(s)
236	M.Sc.(Art/Drwng/Pntg./Music)	Master of Science (Performing Art, Drawing & painting, Music)	2 Year(s)
237	M.Sc.(Bio Chem)	Master of Science (Bio Chemistry)	2 Year(s)
238	M.Sc.(Bio Tech./Bio Info./Nut./Jour.)	Master of Science (Bio Technology/Bio information/Nutrition/Journalism)	2 Year(s)
239	M.Sc.(BIOMEDICAL SCIENCE)	Master of Science (Biomedical Science)	2 Year(s)

B

A

B

Pmoy

**LIST OF APPROVED COURSES FOR SESSION 2015-16 UP STATE SCHOLASHIP & FEE REIMBURSEMENT SCHEME AS ON 15/1/2016**

SNo.	Course Name	Course Full Name	Duration
240	M.Sc.(C. C. B. C.)	Master of Science (Climate change and Biodiversity Conservation)	2 Year(s)
241	M.Sc.(Computer Science)	Master of Science (Computer Science)	2 Year(s)
242	M.Sc.(ELECTRONICS)	Master of Science (Electronics)	2 Year(s)
243	M.Sc.(FOOD MICRO BIO. & Taxi)	Master of Science (Food Micro Biology and Toxicology)	2 Year(s)
244	M.Sc.(FOOD SCIENCE & TECH.)	Master of Science (Food Science and Technology)	2 Year(s)
245	M.Sc.(Food Technology)	M.Sc.(Food Technology)	2 Year(s)
246	M.Sc.(FORENSIC SCI. & CRIM.)	Master of Science (Forensic Science and Criminology)	2 Year(s)
247	M.Sc.(HUMAN GEN.& PROTE.)	Master of Science (Human Genomics and Proteomics)	2 Year(s)
248	M.Sc.(Ind.Chem)	Master of Science (Industrial Chemistry)	2 Year(s)
249	M.Sc.(IT. SEC.)	Master of Science (Information Security)	2 Year(s)
250	M.Sc.(NANO SCI. & NANO TECH.)	Master of Science (Nano Science and Nano Technology)	2 Year(s)
251	M.Sc.(Nursing)	Master of Science (Nursing)	2 Year(s)
252	M.Sc.(POLYMER CHEMISTRY)	Master of Science (Polymer Chemistry)	2 Year(s)
253	M.Sc.(POST HARVEST TECH. & MGMT )	Master of Science (Post Harvest Technology and Management)	2 Year(s)
254	M.Sc.(SYSTEM BIO. & BIO INFOR.)	Master of Science (System Biology and Bioinformatics)	2 Year(s)
255	M.Sc.Pharmaceutical Chemistry	Master of Science (Pharmaceutical Chemistry)	2 Year(s)
256	M.Sc.Statistics	Master of Science (Statistics)	2 Year(s)
257	M.T.A.	Master in Tourism Administration	2 Year(s)
258	M.T.A.	Master of Tourism Administration	5 Year(s)
259	M.T.Q.M.	Master of Total Quality Management	2 Year(s)
260	M.V.A.	Master of Visual Arts	2 Year(s)
261	M.V.A.	Master in Visual Art	2 Year(s)
262	M.V.M.	Master in Vocal Music	2 Year(s)
263	M.V.Sc.	Master of Veterinary Science	2 Year(s)
264	Master in Community Medicine and Public Health	Master in Community Medicine and Public Health	2 Year(s)
265	Master in Hospital and Health Care Administration	Master in Hospital and Health Care Administration	2 Year(s)
266	Master in Mass Comm.	Master in Mass Communication	2 Year(s)
267	Master in Performing Arts (Classical Dance )- Kathak	Master in Performing Arts in Classical Dance and Kathak	2 Year(s)
268	Master in Performing Arts In Instrumental Music	Master in Performing Arts in instrumental Music	2 Year(s)
269	Master of Art(Social Management)integrated	Master of Art (Social Management)integrated	5 Year(s)
270	Master of Art(Social Science)integrated	Master of Art (Social Science)integrated	5 Year(s)
271	Master of Science (Nuclear Medicine)	Master of Science (Nuclear Medicine)	2 Year(s)
272	Master of Statistics	Master of Statistics	2 Year(s)
273	MASTERS (FILM AND THEATRE)	Master in Film and Theatre	2 Year(s)
274	Masters of Applied Management	Master of Applied Management	2 Year(s)
275	P. G. D. Disaster Relief and Rehabilitation	Post Graduate Diploma in Disaster Relief and Rehabilitation	5 Year(s)
276	P. G. D. In Economics	Post Graduate Diploma In Economics	1 Year(s)
277	P. G. D. in Marketing	Post Graduate Diploma in Marketing	1 Year(s)
278	P. G. D. in Remote Sensing & GIS	Post Graduate Diploma in Remote Sensing & GIS	1 Year(s)
279	P.B. B.Sc. NURSING	Post Basic Bachelor of Science Nursing	2 Year(s)
280	P.G. D. in Finance	Post Graduate Diploma in Finance	1 Year(s)
281	P.G. D. in Information security	Post Graduate Diploma in Information security	3 Year(s)
282	P.G. D. in Strategy	Post Graduate Diploma in Strategy	3 Year(s)
283	P.G. D. C. Psychology	Post Graduate Diploma in Counseling psychology	1 Year(s)
284	P.G. D. H. C.	P.G. Diploma in Health Communication	1 Year(s)
285	P.G. D. in Archology & Museology	Post Graduate Diploma in Archology & Museology	2 Year(s)
286	P.G. D. In Communication Skills (English)	P.G. Diploma in Communication Skills (English)	1 Year(s)
287	P.G. D. In Counseling & Communication	Post Graduate Diploma in Counseling & Communication	1 Year(s)
288	P.G. D. in Electronic Media & Film Prod.	Post Graduate Diploma in Electronic Media & Film Prod.	1 Year(s)
289	P.G. D. in HIV Aids & Family Life Education	Post Graduate Diploma in HIV Aids & Family Life Education	1 Year(s)
290	P.G. D. in Hospital & Health Care Administration	Post Graduate Diploma in Hospital & Health Care Administration	1 Year(s)
291	P.G. D. in Human Resource Develop.& Organization Behaviour	Post Graduate Diploma in Human Resource Development & Organization Behaviour	1 Year(s)
292	P.G. D. in Human Resource Development	Post Graduate Diploma in Human Resource Development	1 Year(s)

8

A

B

Praveen

**LIST OF APPROVED COURSES FOR SESSION 2015-16 UP STATE SCHOLASHIP & FEE REIMBURSEMENT SCHEME AS ON 15/1/2016**

SNo.	Course Name	Course Full Name	Duration
293	P.G. D. in Management of NGOs	Post Graduate Diploma in Management of NGOs	1 Year(s)
294	P.G. D. in Media Writing	Post Graduate Diploma in Media Writing	1 Year(s)
295	P.G. D. in Naturopathic Science & Yoga	Post Graduate Diploma in Naturopathic Science & Yoga	1 Year(s)
296	P.G. D. in Public Administration	Post Graduate Diploma in Public Administration	1 Year(s)
297	P.G. D. In Public Relations & Advertising	Post Graduate Diploma in Public Relations & Advertising	1 Year(s)
298	P.G. D. in Rural Management	Post Graduate Diploma in Rural Managernent	1 Year(s)
299	P.G. D. in Social Duties & Human Rights	Post Graduate Diploma in Social Duties & Human Rights	1 Year(s)
300	P.G. D.(Entrepreneurship Development)	Post Graduate Diploma in Entrepreneurship Development	2 Year(s)
301	P.G. D.(Mass Communication Electronic Journalism)	Post Graduate Diploma in Mass Communication Electronic Journalism	1 Year(s)
302	P.G. D.(Web Designing)	Post Graduate Diploma in Web Deslgning	2 Year(s)
303	P.G. D.(Women Empowerment and Development)	Post Graduate Diploma in Women Empowerment and Development	1 Year(s)
304	P.G. D.C. P.	Post Graduate Diploma in Computer Programming	2 Year(s)
305	P.G. D.J.S.	P.G. Diploma in Japanese Studies	1 Year(s)
306	P.G. D.P.D.	Post Graduate Diploma in Programme and Design	3 Year(s)
307	P.G. Diploma	Post Graduate Diploma	1 Year(s)
308	P.G. Diploma ( Advertising)	Post Graduate Diploma in Advertising	1 Year(s)
309	P.G. Diploma in Applied Analytical Chemistry	P.G. Diploma in Applied Analytical Chemistry	1 Year(s)
310	P.G. DIPLOMA JAPANESE STUDIES	P.G. DIPLOMA JAPANESE STUDIES	1 Year(s)
311	P.G. MA Diploma Transalation	Post Graduate MA Diploma Transalation	1 Year(s)
312	P.G.A.F.V.T.	Post Graduate Associateship Course in Fruit & Vegetable Technology	2 Year(s)
313	P.G.C.C.L.	Post Graduate Certificate in Cyber Law	1 Year(s)
314	P.G.D. in Theatre Communication	P.G. Diploma in Theatre Communication	1 Year(s)
315	P.G.D.(P.M.T.)	Post Graduate Diploma in Plastic Mould Technology	4 Year(s)
316	P.G.D.(P.T.)	Post Graduate Diploma in Plastic Technology	4 Year(s)
317	P.G.D.-P.P.T.	Post Graduate Diploma in Plastic Processing and Testing	2 Year(s)
318	P.G.D.A.E.	Post Graduate Diploma in Adult Education	1 Year(s)
319	P.G.D.A.N.	Post Graduate Diploma in Nursing	1 Year(s)
320	P.G.D.A.N.S.I. (ST)	Post Graduate Diploma course of Associate Ship of National Sugar Institute in Sugar Technology	3 Year(s)
321	P.G.D.A.P.P.	Post Graduate Diploma in Audio Program Production	1 Year(s)
322	P.G.D.C.A	Post Graduate Diploma in Computer Application	2 Year(s)
323	P.G.D.C.A.F.D.	Post Graduate Diploma in Computer Aided Fashion Design	2 Year(s)
324	P.G.D.C.E.	Post Graduate Diploma in Continuing Education	1 Year(s)
325	P.G.D.C.F.T.	Post Graduate Diploma in Counseling and Family Therapy	1 Year(s)
326	P.G.D.C.H.N	Post Graduate Diploma in Computer Hardware and Networking	1 Year(s)
327	P.G.D.E.M.A.	Post Graduate Diploma in Educational Administration	1 Year(s)
328	P.G.D.E.S.D.	Post Graduate Diploma in Sustainable development	1 Year(s)
329	P.G.D.E.T.	Post Graduate Diploma in Education Technology	1 Year(s)
330	P.G.D.F.D.	Post Graduate Diploma in Fashion Designing	2 Year(s)
331	P.G.D.F.M.R.M.	Post Graduate Diploma in Fashion merchandising in retail Management	2 Year(s)
332	P.G.D.F.T	Post Graduate Diploma in Food Science & Technology	1 Year(s)
333	P.G.D.F.T.	Post Graduate Diploma in Footware Technology	1 Year(s)
334	P.G.D.H.E.	Post Graduate Diploma in Higher Education	1 Year(s)
335	P.G.D.I.B.O.	Post Graduate Diploma in International Business Operations	1 Year(s)
336	P.G.D.I.P.R.	Post Graduate Diploma in Intellectual Property rights	1 Year(s)
337	P.G.D.I.Tech.	Post Graduate Diploma in Information Technology	1 Year(s)
338	P.G.D.J.	Post Graduate Diploma in Journalism	1 Year(s)
339	P.G.D.L.A.N.	Post Graduate Diploma in Library Automation and Networking	1 Year(s)
340	P.G.D.L.G.A.D.	Post Graduate Diploma in Lether Goods , Accessories Design	2 Year(s)
341	P.G.D.L.Tech.	P.G. Diploma in Language Technology	1 Year(s)
342	P.G.D.M.R.R.	Post Graduate Diploma in Participatory Management of Displacement Resettlement and Rehabilitation	1 Year(s)
343	P.G.D.R.D.	Post Graduate Diploma in Rural Development	1 Year(s)
344	P.G.D.S.W.T.	Post Graduate Diploma in Social Work among the Tribals	1 Year(s)
345	P.G.D.T.	Post Graduate Diploma in Translation	1 Year(s)

*S*

*M*

*L*

*Parvez*

**LIST OF APPROVED COURSES FOR SESSION 2015-16 UP STATE SCHOLASHIP & FEE REIMBURSEMENT SCHEME AS ON 15/1/2016**

SNo.	Course Name	Course Full Name	Duration
346	P.G.D.V.M.	Post Graduate Diploma in Visual merchandising	2 Year(s)
347	P.G.D.Y.	Post Graduate Diploma in Yoga	2 Year(s)
348	P.G.J.M.C.	Post Graduate Diploma in Journalism and Mass communication	1 Year(s)
349	PD-PMD with CAD/CAM	Post Diploma in Plastics Mould Design with CAD/CAM	2 Year(s)
350	PG Diploma(Accountancy)	Post Graduate Diploma in Accountancy	1 Year(s)
351	PG Diploma(Modern Arabic)	Post Graduate Diploma in Modern Arabic	1 Year(s)
352	Post Graduate Diploma in Art Education	Post Graduate Diploma in Art Education	1 Year(s)
353	T.D. & M.M.	Tool die and Mould Making	1 Year(s)
354	V. Pharma.	Veterinary pharmacist	4 Year(s)
355	Yunani Medical Nursing	Yunani Medical Nursing	4 Year(s)

**Group:- 3**

1	A.D. in French	Advance Diploma in French	1 Year(s)
2	A.D. in German	Advance Diploma in German	1 Year(s)
3	A.D. in Russian	Advance Diploma in Russian	1 Year(s)
4	A.M.T. Diploma	A.M.T. Diploma	2 Year(s)
5	A.N.M./HEALTH WORKER (FEMALE)	Auxiliary Nurse and Midwifery/Health Worker(Female)	2 Year(s)
6	Acharya	Acharya	2 Year(s)
7	B.A.	Bachelor of Arts	3 Year(s)
8	B.A. (M.S.)	Bachelor of Arts (Media Studies)	3 Year(s)
9	B.A. (Vocational)	Bachelor of Arts (Vocational)	3 Year(s)
10	B.A. Tourism	Bachelor of Arts (Tourism)	3 Year(s)
11	B.A.(Economics)	Bachelor of Arts (Economics)	3 Year(s)
12	B.A.(English)	Bachelor of Arts (English)	3 Year(s)
13	B.A.(Honours)	Bachelor of Arts (Honours)	3 Year(s)
14	B.A.Honors (Applied Psychology)	Bachelor of Arts Honours (Applied Psychology)	3 Year(s)
15	B.A.M.C.	Bachelor of Arts in Mass Communication	3 Year(s)
16	B.Com.	Bachelor of Commerce	3 Year(s)
17	B.Com.(Honours)	Bachelor of Commerce (Honours)	3 Year(s)
18	B.El.Ed.	Bachelor of Elementary Education	3 Year(s)
19	B.MUSIC	Bachelor of Music	4 Year(s)
20	B.P.A.	Bachelor of Performing Arts	3 Year(s)
21	B.P.E.	B.P.E.	3 Year(s)
22	B.S.W.	Bachelor of Social Work	3 Year(s)
23	B.Sc.	Bachelor of Science	3 Year(s)
24	B.Sc. (Bio)	Bachelor of Science (Biology)	3 Year(s)
25	B.Sc. (Geology)	Bachelor of Science (Geology)	3 Year(s)
26	B.Sc. (Home Sc.)	Bachelor of Science (Home Science)	3 Year(s)
27	B.Sc. (Maths)	Bachelor of Science (Maths)	3 Year(s)
28	B.Sc. (Vocational)	Bachelor of Science (Vocational)	3 Year(s)
29	B.Sc. BIOCHEMISTRY	Bachelor of Science Biochemistry	3 Year(s)
30	B.Sc. BIOMEDICAL SCIENCE	Bachelor of Science Biomedical Science	3 Year(s)
31	B.Sc. Honors	Bachelor of Science Honours	3 Year(s)
32	B.Sc. in Lab.Tech.	Bachelor of Science in Laboratory Technician	4 Year(s)
33	B.Sc. in Occupational therapy	Bachelor of Science in Occupational therapy	3 Year(s)
34	B.Sc. in Physiotherapy	Bachelor of Science in Physiotherapy	3 Year(s)
35	B.Sc. in X-Ray Technician	Bachelor of Science in X-Ray Technician	3 Year(s)
36	B.Sc.(Art ,Drwng ,Music)	Bachelor of Science (Art, Drawing and Painting, Music)	3 Year(s)
37	B.Sc.(E.M.)	Bachelor of Science (Electronic Media)	3 Year(s)
38	B.Sc.(Forensic Science)	Bachelor of Science (Forensic Science)	3 Year(s)
39	B.Sc.(Hotel Management)	Bachelor of Science (Hotel Management)	3 Year(s)
40	B.Sc.(I.T)	Bachelor of Science (Information Technology)	3 Year(s)
41	B.Sc.(Micro Biology)	Bachelor of Science (Microbiology)	3 Year(s)
42	B.Sc.C.S	Bachelor of Science (Computer Science)	3 Year(s)
43	B.Sc.Horticulture	Bachelor of Science (Horticulture)	4 Year(s)
44	B.T.C.	Basic Training certificate	4 Year(s)
45	B.V.A.	Bachelor of Visual Arts	2 Year(s)
46	BACHELOR OF INFORMATION SCIENCE	Bachelor of Information Science	4 Year(s)
47	C.A.F.I.	Computer Application in Fashion Industries	1 Year(s)

Q

A

B

Ramnath

**LIST OF APPROVED COURSES FOR SESSION 2015-16 UP STATE SCHOLASHIP & FEE REIMBURSEMENT SCHEME AS ON 15/1/2016**

SNo.	Course Name	Course Full Name	Duration
48	C.P.T.	Clothing production technology	1 Year(s)
49	C.V.A.	Certificate in Visual Art	3 Year(s)
50	Certificate In Art Appreciation	Certificate In Art Appreciation	1 Year(s)
51	Certificate in Clay Moulding	Certificate in Clay moulding	3 Year(s)
52	CERTIFICATE IN EMER. & TRAUMA CARE ASSIT.	Certificate in Emergency and Trauma Care Assistant	1 Year(s)
53	Chakravarti	Chakravarti	2 Year(s)
54	D. A.T. & CRS	Diploma in Airline Ticketing & CRS	1 Year(s)
55	D.A.F.E.	Diploma in HIV and Family Education	1 Year(s)
56	D.B.P.O.F.A.	Diploma in BPO Finance and accounting	1 Year(s)
57	D.C.A.	Diploma in Computer Application	1 Year(s)
58	D.C.E.	Diploma in Creative writing in English	1 Year(s)
59	D.E.C.	Diploma in Electronics Engineering	1 Year(s)
60	D.E.C.C.	Diploma in Early Childhood Care and Education	3 Year(s)
61	D.Ed. Special (N.R.)	D.Ed. Special (N.R.)	1 Year(s)
62	D.F.A	Diploma in Financial Accounting	2 Year(s)
63	D.F.B.S.	Diploma in & Beverage services	1 Year(s)
64	D.F.M.R.M	Diploma in Fashion Merchandising and Retail Management	1 Year(s)
65	D.F.T.	Diploma in Footware Technology	3 Year(s)
66	D.Fs.T.	Diploma in Fashion Technology	2 Year(s)
67	D.H.M.C.T.	Diploma in Hotel Management & Catering Technology	3 Year(s)
68	D.I.F.A.T.	Diploma in Industrial Fermentation & Alcohol Technology	1 Year(s)
69	D.I.P.P.	Diploma in Paralegal Practice	1 Year(s)
70	D.I.Photography	Diploma in Photography	1 Year(s)
71	D.L.G.A.D.	Diploma in Leather Goods and Accessories Design	1 Year(s)
72	D.N.H.E.	Diploma in Nutrition and Health Education	2 Year(s)
73	D.P.A.	Diploma in Public Administration	1 Year(s)
74	D.P.ED.	Diploma in Physical Education	1 Year(s)
75	D.P.J.V.C	Diploma in Photo Journalism and Visul Communication	1 Year(s)
76	D.P.L.A.D.	Diploma in Panchayat level administration and Development	1 Year(s)
77	D.S.	Defence Studies	1 Year(s)
78	D.T.D.	Diploma in Textile Design	2 Year(s)
79	D.T.S.	Diploma in Tourism Studies	3 Year(s)
80	D.T.T.	Diploma in Textile Technology	1 Year(s)
81	D.T.T.M.	Diploma in Tourism & Travel Management	3 Year(s)
82	D.V.A.P.F.V.	Diploma in Value Added Products from Fruits and Vegetables	2 Year(s)
83	D.W.E.D.	Diploma in Women's Empowerment and Development	1 Year(s)
84	DIP. in AUXILIARY NURSE & MIDWIFERY	Diploma in Auxilary Nurse & Midwifery	1 Year(s)
85	DIP. IN BLOOD TRANS. TECH.	Diploma in Blood Transfusion Technician	2 Year(s)
86	DIP. IN C.S.S.D. TECHNICIAN	Diploma in C.S.S.D. Technician	2 Year(s)
87	DIP. IN C.T. SCAN TECH.	Diploma in C.T. Scan Technician	1 Year(s)
88	DIP. IN CARD. TECH.	Diploma in Cardiology Technician	2 Year(s)
89	DIP. IN DIALYSIS TECH.	Diploma in Dialysis Technician	2 Year(s)
90	DIP. IN EMER. and TRAUMA CARE TECH.	Diploma in Emergency & Trauma care Technician	2 Year(s)
91	DIP. IN EMER. CARE TECH	Diploma in Emergency Care Technician	2 Year(s)
92	DIP. IN GENERAL NURSING & MIDWIFERY	Diploma in General Nursing & Midwifery	1 Year(s)
93	DIP. IN LAB TECH.	Diploma in Lab Technician	3 Year(s)
94	DIP. IN M.R.I. TECH.	Diploma in M.R.I. Technician	2 Year(s)
95	DIP. IN O. T. TECH.	Diploma in O.T. Technician	2 Year(s)
96	DIP. IN OCCU. THERAPY	Diploma in Occupational Therapy	2 Year(s)
97	DIP. IN OPTOMETRY	Diploma in Optometry	2 Year(s)
98	DIP. IN ORTHOPTICS	Diploma in Orthoptics	2 Year(s)
99	DIP. IN PARAMEDICAL	Diploma in Paramedical	2 Year(s)
100	DIP. IN PHARMACY	Diploma in Pharmacy	2 Year(s)
101	DIP. IN PHYSIO.	Diploma in Physlotherapy	2 Year(s)
102	DIP. IN SANIT.	Diploma in Sanitation	2 Year(s)
103	DIP. IN TECHNICIAN	Diploma in Technician	1 Year(s)
104	DIP. IN TRAUMA CARE ASSIT.	Diploma in Trauma Care Assistant	1 Year(s)

8

A

B

Praveen

**LIST OF APPROVED COURSES FOR SESSION 2015-16 UP STATE SCHOLASHIP & FEE REIMBURSEMENT SCHEME AS ON 15/1/2016**

SNo.	Course Name	Course Full Name	Duration
105	DIP. IN X-RAY TECH.	Diploma in X-RAY Technician	2 Year(s)
106	Dip. Prabudh Part 1&2	Diploma In Prabudh Part 1&2	2 Year(s)
107	Dip. Y.Ed.	Diploma in Yoga Education	1 Year(s)
108	Dip.(T.V.& V.P.)	Diploma in T.V. and Video Production	1 Year(s)
109	Dip.V.A.	Diploma In Visual Art	1 Year(s)
110	Diploma in Agriculture Engineering	Diploma in Agriculture Engineering	1 Year(s)
111	Diploma in Architectural Assistantship	Diploma in Architectural Assistantship	3 Year(s)
112	Diploma in Chemical	Diploma in Chemical	3 Year(s)
113	Diploma in Chemical Technology	Diploma In Chemical Technology	3 Year(s)
114	Diploma in Chemistry	Diploma in Chemistry	3 Year(s)
115	Diploma in Clay modelling (sculpture Art)	Diploma in Clay moulding (sculpture Art)	3 Year(s)
116	Diploma in Commercial Practice	Diploma in Commercial Practice	3 Year(s)
117	DIPLOMA IN COMPUTER ENGG.	Diploma in Computer Engineering	3 Year(s)
118	Diploma in Electronics and Comm. Engg	Diploma in Electronics and Comm. Engg	3 Year(s)
119	Diploma in Fashion Design and Garment Technology	Diploma in Fashion Design and Garment Technology	1 Year(s)
120	DIPLOMA IN FOOD PRODUCTION	Diploma in Food Production	2 Year(s)
121	Diploma in French	Diploma in French	1 Year(s)
122	Diploma in German	Diploma in German	1 Year(s)
123	Diploma in Health & Hygiene	Diploma in Health & Hygiene	1 Year(s)
124	Diploma in Health and Sanitary Inspector	Diploma in Health and Sanitary Inspector	1 Year(s)
125	DIPLOMA IN HEARING LANGUAGE SPEECH	Diploma in Hearing Language Speech	2 Year(s)
126	Diploma in Homeopathic Pharmacy	Diploma in Homeopathic Pharmacy	2 Year(s)
127	Diploma in Instrumentation & Control	Diploma in Instrumentation & Control	3 Year(s)
128	Diploma in Interior Design & Decoration	Diploma in Interior Design & Decoration	2 Year(s)
129	DIPLOMA IN LIB. AND INF. SCIENCE	Diploma in Liberary and Infomation Science	2 Year(s)
130	Diploma in Mass Communication	Diploma in Mass Communication	4 Year(s)
131	Diploma in Mechanical Auto	Diploma in Mechanical Engineering (Auto)	3 Year(s)
132	Diploma in Mechanical CAD	Diploma In Mechanical Engineering (Spl. In CAD))	1 Year(s)
133	Diploma in Mechanical Engg.	Diploma in Mechanical Engg.	3 Year(s)
134	Diploma in Modern Arabic	Diploma in Modern Arabic	1 Year(s)
135	Diploma in Modern Office Management and Sec. Practice	Diploma in Modern Office Management and Secretarial Practice	1 Year(s)
136	Diploma In Paint Technology	Diploma In Paint Technology	3 Year(s)
137	Diploma in Printing Technology	Diploma in Printing Technology	3 Year(s)
138	Diploma in Russian	Diploma in Russian	1 Year(s)
139	DIPLOMA IN SPECIAL EDUCATION	Diploma in Special Education	2 Year(s)
140	DIPLOMA IN SPECIAL EDUCATION (M.R)	Diploma in Special Education (Mental Retired)	2 Year(s)
141	Diploma in Urdu	Diploma in Urdu	1 Year(s)
142	F.A.H.D.	Fashion Accessories and Handicraft Development	1 Year(s)
143	F.M.A.T	Fashion Integration and Marketing Application for Textiles	1 Year(s)
144	Grenthalaya & Suchana Vigyan Shastri	Grenthalaya & Suchana Vigyan Shastri	1 Year(s)
145	INDIAN DAIRY DIPLOMA (DIARY TECHNOLOGY)	Indian Dairy Diploma (Diary Technology)	2 Year(s)
146	KAMIL	KAMIL	3 Year(s)
147	NTT	NTT	2 Year(s)
148	Shastri	Shastri	3 Year(s)
149	Shikshacharya	Shikshacharya	1 Year(s)
150	Shikshashastri	Shikshashastri	1 Year(s)
151	Vidyavachaspati	Vidyavachaspati	1 Year(s)
152	Vidyavaridhi	Vidyavaridhi	5 Year(s)

**Group:- 4**

1	ALIM	ALIM	2 Year(s)
2	Class-11	Class-11	1 Year(s)
3	Class-12	Class-12	1 Year(s)
4	COPA (ITI)	COPA (ITI)	1 Year(s)
5	D.Ed. Special (M.R.)	D.Ed. Special (M.R.)	1 Year(s)
6	D.Ed. Special (V.I.)	D.Ed. Special (V.I.)	2 Year(s)

15

A

1

B

Praveen

**LIST OF APPROVED COURSES FOR SESSION 2015-16 UP STATE SCHOLASHIP & FEE REIMBURSEMENT SCHEME AS ON 15/1/2016**

SNo.	Course Name	Course Full Name	Duration
7	D.P.M.T.	Diploma In Plastic Mould Technology	3 Year(s)
8	D.P.T.	Diploma In Plastic Technology	3 Year(s)
9	DIP. in Electrical	Diploma in Electrical	3 Year(s)
10	Dip. Parichaya	Diploma in Parichaya	2 Year(s)
11	Dip. Praveshika Part- 1&2	Diploma in Praveshika Part- 1&2	2 Year(s)
12	DIPLOMA I.T	Diploma in Information Technology	3 Year(s)
13	Diploma in Civil	Diploma in Civil Engineering	3 Year(s)
14	Diploma in Dietetics and Nutrition	Diploma in Dietetics and Nutrition	1 Year(s)
15	Diploma in Home Science	Diploma in Home Science	2 Year(s)
16	Diploma in Library Information Science	Diploma in Library Information Science	2 Year(s)
17	Diploma in LiveStock Management	Diploma in LiveStock Management	1 Year(s)
18	Diploma in Mechanical Prod.	Diploma in Mechanical Engineering (Prod)	3 Year(s)
19	Diploma In Modern Office Management and Sect. Practice	Diploma in Modern Office Management and Sect. Practice	2 Year(s)
20	Electrician (ITI)	Electrician (ITI)	2 Year(s)
21	Fitter (ITI)	Filter (ITI)	2 Year(s)
22	Introductory Part- 1&2	Introductory Part- 1&2	2 Year(s)
23	ITI Courses	Industrial Training Institute Courses	2 Year(s)
24	P.G.D. in Beauty and Health Care	P.G.D. in Beauty and Health Care	1 Year(s)
25	Polytechnic-Diploma (3 year)	Polytechnic-Diploma	3 Year(s)
26	Polytechnic-Post Graduate/Diploma/Others	Polytechnic-Post Graduate/Diploma/Others	2 Year(s)
27	Polytechnic-Post Graduate/Diploma/Others One Yr.	Polytechnic-Post Graduate/Diploma/Others One yr	1 Year(s)
28	Welder (ITI)	Welder (ITI)	1 Year(s)

B

A.

B

Praveen

### दशमोत्तर छात्रवृत्ति की दरें (मासिक)

क्र०सं०	पाठ्यक्रम समूह	डे स्कॉलर (दिवा छात्र)	हार्स्टलर (छात्रावासीय)
1	I	550	1200
2	II	530	820
3	III	300	570
4	IV	230	380

अन्य भत्ता (एक बार)

क्र०सं०	विवरण	दर
1	अध्ययन दौरा	1600
2	शोध कार्य के टंकण एवं मुद्रण	1600
3	पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु पुस्तक भत्ता	1200

### विकलांग छात्रों हेतु मासिक भत्ते

क्र०सं०	विवरण	दर
1	दृष्टिहीन छात्रों के लिए पाठ्य भत्ता	समूह-1 व 2-- 240 समूह-3-- 200 समूह-4-- 160
2	यदि छात्र उस हार्स्टल में नहीं रहता है जो शिक्षण संस्था के परिसर में स्थित हो निःशक्ति व्यक्ति(समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) आधिनियम 1995 के अनुसार विकलांगता की परिमाणा दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, कुचल रोग मुक्त, श्रवण विकलांगता, चलन संबंधी विकलांगता, मानसिक अवरुद्धता तथा मानसिक रुग्णता के रूप में की गयी है।	160
3	लो एक्सटिमिटी विकलांगता वाले अत्यधिक विकलांग दिवा छात्र के लिए आरक्षी भत्ता, किसी शिक्षण संस्था के छात्रावास में रहने वाले किसी अत्यधिक अस्थि विकलांग छात्र को, जिसे किसी सहायक की सहायता की आवश्यकता हो, सहायता प्रदान करने के इच्छुक उस छात्रावास के किसी कर्मचारी के लिए विशेष वेतन अनुश्रय होगा।	160
4	मानसिक अवरुद्ध और मानसिक रूप से रुग्ण छात्रों को अतिरिक्त कोविंग हेतु भत्ता	240

४

५

६

७

८

अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप

(शिक्षण संरक्षण में जमा करने हेतु)

रत्र 2016-17 (Fresh Student)

क्रमांक	विवरण	
1	जिला (जहाँ छात्र/छात्रा अध्ययनरत है)	
2	पाठ्यक्रम का नाम- पाठ्यक्रम का वर्ष/प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष/चतुर्थ वर्ष/पंचम वर्ष)- अवधि (1 वर्ष/2 वर्ष/3 वर्ष/4 वर्ष/5 वर्ष)-	पाठ्यक्रम की सेलेक्ट होगा सभी सेलेक्ट होंगे
3	शिक्षण संरक्षण का नाम	सेलेक्ट होगा
4	संजिस्टेशन संख्या	रवत् प्रदर्शित
5	छात्र / छात्रा का नाम(जैसा कि हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित है)	
6	पिता / पति का नाम	
7	माता का नाम	
8	जन्मतिथि(हाईस्कूल के अनुसार)	
9	तिथि (महिला/पुरुष/अन्य)	(dd/mm/yy) सेलेक्ट होगा
10	स्थाई आवासीय पता- ग्राम/मुहल्ला का नाम- मकान नम्बर पोस्ट ऑफिस विकास खण्ड/नगर क्षेत्र तहसील जनपद प्रदेश	
11	पत्र व्यवहार का पता-ग्राम/मुहल्ला का नाम- मकान नम्बर पोस्ट ऑफिस विकास खण्ड/नगर क्षेत्र तहसील	
12	गोबाइल / दूरभाष नंबर	
13	ई-मेल	
14	छात्र/छात्रा के पहचान पत्र की संख्या-	
क	पहचान पत्र का प्रकार	
ख	छात्र का आधार कार्ड संख्या	
15	वर्ष (हिन्दू/मुस्लिम/सिक्ख/इसाई/जैन/बौद्ध/मारसी)	सेलेक्ट होगा
क	जाति	(अन्य पिछड़ा वर्ग) सेलेक्ट होगी।
ख	उपजाति	अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों में से सेलेक्ट होगी।
ग	जाति प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या	
घ	जाति प्रमाण पत्र क्रमांक(तहसील से जारी)	
ड.	जाति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि	
16	छात्र / छात्रा के परिवार की सभी स्त्रीयों से अंजित वार्षिक आय रु० में (केवल वार्षिक आय का अंकन किया जाय)	(dd/mm/yy)
क	आय प्रमाण की आवेदन संख्या	
ख	आय प्रमाण पत्र क्रमांक(तहसील से जारी)	
ग	आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि	
17	हाई स्कूल बोर्ड (पू०पी०बोर्ड/सी०पी०एस०इ०बोर्ड/आई०एस०सी०बोर्ड/अन्य बोर्ड)	(dd/mm/yy) सेलेक्ट होगा
क	हाईस्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष	सेलेक्ट होगा
ख	हाईस्कूल अनुक्रमक	सेलेक्ट होगा
18	क्या वर्षमान पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकत्र/सेरिट के आधार पर हुआ है, यदि हों तो इण्टरमीडिएट का प्राप्तांक य पूर्णांक	(हीं/नहीं) सेलेक्ट होगा इण्टरमीडिएट पूर्णांक- इण्टरमीडिएट प्राप्त- (हीं/नहीं) सेलेक्ट होगा
क	क्या पाठ्यक्रम में प्रवेश लैटरल इन्सी द्वारा हुआ है ?	सेलेक्ट होगा
ख	पाठ्यक्रम का प्रकार (नियमित/स्थानिकांचित)	
ग	पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि	
19	इण्टरमीडिएट बोर्ड (पू०पी०बोर्ड/सी०पी०एस०इ०बोर्ड/आई०एस०सी०बोर्ड/अन्य बोर्ड)	(dd/mm/yy)
क	इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण करने का वर्ष	सेलेक्ट होगा
ख	इण्टरमीडिएट अनुक्रमक	सेलेक्ट होगा
20	छात्र / छात्रा, गत वर्ष जिस शिक्षण संरक्षण में अध्ययनरत था, का नाम व जनपद	
क	गत वर्ष में अध्ययन करने के पाठ्यक्रम का नाम	
ख	पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि	
ग	शिक्षण संरक्षण, जिस विश्वविद्यालय/बोर्ड से सम्बद्ध है, उस विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम	
घ	गत पाठ्यक्रम का परीक्षाफल	
च	गत पाठ्यक्रम का प्राप्तांक	(Pass/Fail) सेलेक्ट होगा
छ	गत पाठ्यक्रम का पूर्णांक	
21	आवासीय/दिवा छात्र (हामलर/डे स्कॉलर)	
22	पाठ्यक्रम हेतु जमा की गयी शुल्क की रसीद संख्या	सेलेक्ट होगा
क	अनुमोदित वार्षिक कानूनी रिफरेंडियल अनिवार्य शुल्क रु० में	
23	गत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि, जो भी प्राप्त हुई हो	मास्टर डाटा से सेलेक्ट होगा
24	गत वर्ष में प्राप्त शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि, जो भी प्राप्त हुई हो	

8

A.

B.

Praveen

25	यदि छात्र विकलांग हैं, तो विकलांगता का प्रकार..... विकलांगता का %..... विकलांगता भत्ता (₹० में).....	
26	छात्र / छात्रा का नाम जैसा कि बैंक में अंकित है	
27	छात्र का गैंग खाता संख्या	
28	बैंक का नाम, जिसमें छात्र द्वारा खाता खोला गया	सेलेक्ट होगा
29	बैंक की शाखा का नाम	सेलेक्ट होगा
30	बैंक की शाखा का आईपीएस० कोड	स्वतः प्रदर्शित

टोट - जो लागू न हो, रिक्त छोड़ दिया जाय।

#### घोषणा - पत्र

1- मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त प्रविष्टियों/सूचनाएँ सही हैं व मेरे द्वारा ही भरी गयी हैं। मुझे किसी अन्य ओत से दूसरी छात्रवृक्षित प्राप्त नहीं हो रही है तथा मैं कहीं भी सेवारत नहीं हूँ। यदि सेवारत हूँ तो मेरी एप में माता-पिता अध्ययन संबंधक की कुल वार्षिक आय ₹० दो लाख से कम है। मैंने इस संस्था के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं प्रवेश नहीं किया है। मैं संस्था के शैक्षिक निवेशों एवं निर्धारित उपरिवर्ती का समुचित अनुपालन करूँगा।

2- आवेदन पत्र में दी गयी कोई सूचना एवं संलग्न आद य जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य अनिलेज गतत चाहे जायें तो छात्रवृक्षित व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस कर दूरा/दूरी। यदि ऐसा करने में मैं असफल होता हूँ तो विषय मुझे दी गयी उक्त संशोधनी राजस्व देयों की भाँति वसूली करने हेतु खत्र छोड़ देंगा।

3- कोई अनियमितता चाहे जाने पर उत्तर प्रदेश अन्य निधान चार्ट(ल्पसंलेज प्रिफ़ेडे चार्ट) दशमोत्तर छात्रवृक्षित/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (चर्चुर संशोधन) नियमावली-2016 के प्राविधिकों के अन्तर्गत विभाग मेरे विलक्षण विधिक कार्यवाही हेतु खत्र छोड़ देंगा।

छात्र / छात्रा के हस्ताक्षर ..... दिनांक .....

माता / पिता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान .....

(माता / पिता की मृत्यु की दशा में अधिभावक) .....

टिप्पणी- पत्र अभावी द्वारा उपरोक्त प्रपत्र पर सूचनाएँ भरकर घोषणा पत्र य सभी संलग्नको सहित आवेदन पत्र निर्धारित अन्तिम तिथि तक शिक्षण संस्था में प्रस्तुत किया जायेगा। जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र पर प्रिवेशन संरक्षण द्वारा संवर्धित अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।

8

A

B

Pmss

अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप  
(शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु)

सत्र 2016-17 नवीनीकरण (Renewal Student) हेतु आवेदन पत्र

क्रमांक	विवरण	
1	जिला, (जहाँ छात्र/छात्रा अध्ययनरत है)	सेलेक्ट होगा
2	पाठ्यक्रम का नाम- पाठ्यक्रम का वर्ष(प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष/चतुर्थ वर्ष/पंचम वर्ष)- पाठ्यक्रम की अवधि (1 वर्ष/2 वर्ष/3 वर्ष/4 वर्ष/5 वर्ष)-	सभी सेलेक्ट होंगे
3	शिक्षण संस्थान का नाम	सेलेक्ट होगा
4	रजिस्ट्रेशन संख्या	स्वतः प्रदर्शित
5	छात्र / छात्रा का नाम(जैसा कि हाईस्कूल प्रमाण पत्र में आँकेत है)	
6	पिता / पति का नाम	
7	माता का नाम	
8	जन्मतिथि(हाईस्कूल के अनुसार)	(dd/mm/yy)
9	छात्र का आधार कार्ड संख्या	
10	लिंग (महिला/पुरुष/अन्य)	सेलेक्ट होगा
11	मोबाइल / दूरभाष नंबर	
12	ई-मेल	
13	धर्म (हिन्दू/मुस्लिम/सिक्ख/इसाई/जैन/बौद्ध/पारसी)	सेलेक्ट होगा
क	जाति	(अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों में से सेलेक्ट होगी।)
ख	उपजाति	
14	गत परीक्षा के विश्वविद्यालय/बोर्ड का पंजीयन(इनरोलमेण्ट नंबर) क्रमांक	
क	गत पाठ्यक्रम का परीक्षाफल	(Pass/Promoted/Fail) सेलेक्ट होगा
ख	गत पाठ्यक्रम का प्राप्तांक	
ग	गत पाठ्यक्रम का पूर्णांक	
घ	गत पाठ्यक्रम के शिक्षण संस्थान का नाम	
15	आवासीय/दिवा छात्र (हास्टलर/डे स्कॉलर)	सेलेक्ट होगा
16	पाठ्यक्रम हेतु जमा की गयी शुल्क की रसीद संख्या ..... दिनांक ..... धनराशि .....	
क	अनुमोदित वार्षिक नान रिफर्डेविल अनिवार्य शुल्क रु० में	मास्टर डाटा से सेलेक्ट होगा
ख	वर्तमान शिक्षण सत्र में प्रवेश की तिथि	
17	क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंको/मैरिट के आधार पर हुआ है, यदि हों तो इण्टरमीडिएट का प्राप्तांक व पूर्णांक	(हों/नहीं) सेलेक्ट होगा इण्टरमीडिएट पूर्णांक— इण्टरमीडिएट प्राप्तांक—
18	गत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि, जो भी प्राप्त हुई हो	
19	गत वर्ष में प्राप्त शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि, जो भी प्राप्त हुई हो	
20	छात्र/ छात्रा का नाम जैसा कि बैंक में आँकित है	
21	छात्र का बैंक खाता संख्या	
22	बैंक का नाम, जिसमें छात्र द्वारा खाता खोला गया	सेलेक्ट होगा
23	बैंक की शाखा का नाम	सेलेक्ट होगा
24	बैंक की शाखा का आईएफएस० कोड	स्वतः प्रदर्शित

नोट- जो लागू न हो, रिक्त छोड़ दिया जाय।

घोषणा - पत्र

1- मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त परिविहितयों/सूचनाएँ सही हैं व मेरे हाथ से दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है तथा मैं कहीं नैं संस्था के शंकित निर्देशों एवं निर्धारित उपरिख्यति का समुचित अनुपालन करूँगा।

2- आवेदन पत्र में दी गयी कोई सूचना एवं सलाना आय व जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य अभिलेख गलत या ये जायें तो छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि 18 प्रतिशत वार्षिक व्यापा सहित वापस कर दूँगा/दूँगी। यदि ऐसा करने में असफल होता हूँ तो विभाग मुझे दी गयी उव्वत धनराशि साजरा देयों की भाँति बसूली करने हेतु रक्तंत्र होगा।

8

A.

B.

Puneet

3-- कोई अनियमितता पाये जाने पर उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग(अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग) दर्शमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (घटुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत विभाग मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु खतंत्र होगा।

छात्र / छात्रा के हस्ताक्षर ..... दिनांक .....

माता / पिता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान .....

(माता / पिता की मृत्यु की दशा में अभिभावक) .....

टिप्पणी— घात्र अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त प्रपत्र पर सूचनाएं भरकर घोषणा पत्र व सारी संलग्नकों सहित आवेदन पत्र निर्धारित अन्तिम तिथि तक शिक्षण संस्था में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसकी पात्रता निर्धारित प्राप्त पर शिक्षण संस्थान द्वारा संबोधित अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।

8

M.

G.

Ramya

नये छात्रों द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के साथ संलग्न किये जाने वाले अनुलग्नकों का विवरण

1. दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति\_ऑनलाइन फीडेड आवेदन पत्र की प्रिन्ट कापी।
2. आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत)।
3. जाति प्रमाणपत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत)।
4. पिछली समस्त योग्यताओं (हाईस्कूल व उच्चतर) के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।
5. छात्र द्वारा बैंक (नियमावली में परिभाषित) में खोले गये खाते की पासबुक की छायाप्रति जिसपर छात्र का नाम व खाता संख्या एवं IFS कोड स्पष्ट अंकित हो।
6. छात्र द्वारा शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि की रसीद की सत्यापित प्रति।
7. यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तद आशय का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र।
8. यदि छात्र हॉस्टल में आवासित है तो हॉस्टल द्वारा प्रदान की गयी शुल्क की रसीद/प्रमाणपत्र की प्रति।
9. छात्र के माता-पिता अथवा अभिभावक का फेश आवेदन पत्र के साथ इस आशय का स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र कि छात्र के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी आय समस्त श्रोतों पर आंकलित है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई अन्य श्रोत नहीं है।
10. छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के नवीनीकरण हेतु विगत कक्षा में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्राप्ति रसीद, जो संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित हो, की प्रति।

नोट— आवेदन पत्र पर आवेदक के स्कैन फोटो को शिक्षण संस्थान स्तर से प्रमाणित किया जायेगा।

8

A

B

Promised

छात्रों द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के नवीनीकरण हेतु भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के साथ संलग्न किये जाने वाले अनुलग्नकों का विवरण

1. दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिन्ट कापी।
2. विगत परीक्षा के अंकपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
3. छात्र द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक में अपने नाम से खोले गये बचत बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति जिस पर खाताधारक का नाम, खाता संख्या व आई०एफ०एस० कोड स्पष्ट अंकित हो।
4. छात्र द्वारा शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि के रसीद की सत्यापित प्रति।
5. यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तद आशय का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र।
6. छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के नवीनीकरण हेतु विगत कक्षा में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख पर शिक्षण संस्था द्वारा सत्यापित।

**नोट—**आवेदक के आवेदन पत्र की हार्डकापी पर स्कैन्ड छात्र के फोटोग्राफ को शिक्षण संस्थान स्तर द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

8

A.

D.

Parmesh

परिशिष्ट—“घ”

विलोपित

४

५

६

७

क्रमांक.....

दशमोत्तर छात्रवृत्ति (दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद

श्री/ श्रीमती/ कु0..... पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री.....  
निवासी.....

दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शुल्क प्रतिपूर्ति) की सुविधा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेखों की मूल/ स्व-प्रमाणित प्रतियां प्राप्त किया।

(शैक्षणिक संस्था के कार्यालय द्वारा जांच कर टिक अंकित किया जाय)

1. दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति\_ऑनलाइन फीडेड आवेदन पत्र की प्रिन्ट कापी।
2. आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत)।
3. जाति प्रमाणपत्र की छायाप्रति (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत)।
4. पिछली समस्त योग्यताओं के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।
5. छात्र द्वारा बैंक में खोले गये खाते की पासबुक की छायाप्रति जिसपर छात्र का नाम व खाता संख्या एवं IFS कोड अंकित हो।
6. छात्र द्वारा संस्था में जमा की गयी शुल्क के प्रमाण स्वरूप रसीद की सत्यापित छायाप्रति।
7. यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तद् आशय का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र।
8. यदि छात्र हॉस्टल में आवासित है तो हॉस्टल द्वारा प्रदान की गयी शुल्क की रसीद की प्रति।
9. छात्र के माता—पिता अथवा अभिभावक का इस आशय का स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र कि छात्र के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी आय समस्त श्रोतों से है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई अन्य श्रोत नहीं है।
10. छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के नवीनीकरण हेतु विगत कक्षा में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्राप्ति रसीद पर संस्था के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित प्रति।
11. पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

1—.....

2—.....

(प्राप्त करने वाले शैक्षणिक संस्था के अधिकारी/ कर्मचारी के हस्ताक्षर)

नाम.....

पदनाम.....

दिनांक .....

₹

₹

₹

Rome

(शैक्षिक संस्था द्वारा दिया जाने वाला सत्यापन/संस्तुति प्रमाण पत्र)

- 1— (अ) पाठ्यक्रम के वर्ष की पहली सेमेस्टर/अद्वार्षिक परीक्षा की निर्धारित माह—  
 (ब) पाठ्यक्रम हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि (अंकों में) .....  
 ..... (शब्दों में) .....  
 (स) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की अवधि — .....
- 2— पाठ्यक्रम हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदित वार्षिक नान रिफण्डेबुल अनिवार्य शुल्क धनराशि (अंकों में) .....  
 ..... (शब्दों में) .....  
 (राज्य सरकार के संबंधित प्रशासकीय विभाग के शासनादेश की संख्या एवं तिथि अंकित किया जाये, जिसके माध्यम से उपरोक्त शुल्क निर्धारित किया गया है एवं प्रति संलग्न करें।)
- 3— संस्थान की मान्यता का विवरण: (संस्थान द्वारा भरा जाना)
- 4— पाठ्यक्रम की मान्यता का विवरण : (संस्थान द्वारा भरा जाना)
- 5— सम्बन्धित पाठ्यक्रम में कुल स्वीकृत सीटों की संख्या—
- 6— कुल स्वीकृत सीटों की संख्या के सापेक्ष प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्रों की संख्या—
- 7— सम्बन्धित पाठ्यक्रम में कुल स्वीकृत OBC की सीटों की संख्या—
- 8— OBC की स्वीकृत सीटों की संख्या के सापेक्ष प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्रों की संख्या—
- 9— छात्र द्वारा ऑनलाइन फीडेड आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के साथ जमा प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों के आधार पर उसके द्वारा ऑनलाइन की गयी प्रविष्टियों की शुद्धता का मिलान कर लिया गया है और पूर्णतया संतुष्ट होने के पश्चात् उसके ऑनलाइन डाटा का सत्यापन कर दिया गया है। आवेदन पत्र की सूची, सत्यापन आख्या व समिति की संस्तुति आख्या संलग्न है।
- 10— आवेदन पत्र की छाया प्रति के साथ छात्र द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी सूचनाओं का सत्यापन कर लिया गया है एवं उसका सत्यापन ऑनलाइन साफ्टवेयर पर कर दिया गया है। उक्त सूचनाओं की हार्ड कापी से शुद्धता का मिलान कर लिया गया है।
- 11— मेरे संस्थान में अनुमोदित शुल्क, संस्थान की मान्यता एवं संस्थान के पाठ्यक्रम के अनुमोदन की छाया प्रति सूची के साथ संलग्न है। सत्यापित डाटा में त्रुटि पाये जाने पर उसके लिए संस्था उत्तरदायी होगी।
- 12— संस्थान के प्रधानाचार्य की संस्तुति: .....

नोट:— संस्थाध्यक्ष द्वारा स्वयं उक्त आवेदन पत्र अग्रसारित किया जायेगा। किसी कार्यवाहक द्वारा अग्रसारित न किया जाय।

हस्ताक्षर संस्थाध्यक्ष  
नाम—  
मुहर—  
दिनांक—

परिशिष्ट—“ज”

विलोपित

४

५

६

Parvez

## GROUPWISE COURSE LIST FOR POSTMATRIC SCHOLARSHIP SCHEME

sl.no.	Course_Name	Course_FullName	Duration	Group
1	A.P.G.D.C.A.	Advance Post Graduate Diploma in Computer Application	2	1
2	B.E.	Bachelor of Engineering	4	1
3	B.Arch.	Bachelor of Architecture	5	1
4	B.A.M.S.	Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery	5	1
5	B.B.A.+ M.B.A –Integrated	Bachelor of Business Administration + Master in Business Administration –Integrated	5	1
6	B.D.S.	Bachelor of Dental Surgery	4	1
7	B.Des.	Bachelor of Design	4	1
8	B.F.A.D.	Bachelor of Fashion & Apparel Design	4	1
9	B.F.Tech.	Bachelor of Fashion Technology	4	1
10	B.H.M.S.	Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery	4	1
11	M.B.B.S	Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery	4	1
12	B.Planning	Bachelor of Planning	4	1
13	B.Tech.	Bachelor of Technology	4	1
14	B.Tech.Aeronautical Engineering	Bachelor of Technology (Aeronautical Engineering)	4	1
15	B.Tech.Aerospace Engineering	Bachelor of Technology (Aerospace Engineering)	4	1
16	B.Tech.(Agriculture)	Bachelor of Technology (Agricultural Engineering)	4	1
17	B.Tech.(Bio . Engg)	Bachelor of Technology (Bio Engineering )	4	1
18	B.Tech.Biological Science	Bachelor of Technology (Biological Science)	4	1
19	B.Tech.(Biomedical Engg)	Bachelor of Technology (Biomedical Engineering)	4	1
20	B.Tech.Chemical Engineering	Bachelor of Technology (Chemical Engineering)	4	1
21	B.Tech.(civil engg)	Bachelor of Technology (Civil Engineering)	4	1
22	B.Tech.(Com. Engg)	Bachelor of Technology (Computer Engineering)	4	1
23	B.Tech.Computer Science & Engineering	Bachelor of Technology (Computer Science & Engineering)	4	1
24	B.Tech.(Computer Science)	Bachelor of Technology (Computer Science)	4	1
25	B.Tech.(Elect. & Comm)	Bachelor of Technology (Electronics & Communication)	4	1
26	B.Tech. Electrical & Electronics	Bachelor of Technology (Electrical & Electronics)	3	1
27	B.Tech.(Elect. Engg)	Bachelor of Technology (Electrical Engineering )	4	1
28	B.Tech.(Electronics & Instrumentation)	Bachelor of Technology (Electronics & Instrumentation)	4	1
29	B.Tech.(Food Tech)	Bachelor of Technology (Food Technology)	4	1
30	B.Tech. I. T.	Bachelor of Technology (Information Technology)	4	1
31	B.Tech. (Inst.and control)	Bachelor of Technology (Instrumentation and Control Engineering)	3	1
32	B.Tech.Material & metallurgical Engineering	Bachelor of Technology (Material & metallurgical Engineering)	4	1
33	B.Tech.(Agriculture Mechanical Science)	Bachelor of Technology (Mechanical Engineering (Agri. equipment and machinery)	2	1
34	B.Tech.(Mech. Engg)	Bachelor of Technology (Mechanical Engineering)	4	1
35	B.Tech + M.B.A.(Integrated)	Bachelor of Technology + Master in Business Administration (Integrated)	5	1
36	B.Tech.+ M.SC. Integrated	Bachelor of Technology and Master of Science integrated	5	1
37	B.U.M.S.	Bachelor of Unani Medicine and surgery	4	1
38	B.V.S.	Bachelor of Veterinary Science	4	1
39	B.V.Sc. & A.H. (Veterinary)	Bachelor of Veterinary Science & Animal Hausbandary	5	1
40	C.A.	Chartered Accountant	3	1
41	C.S.	Company secretary	4	1
42	L.L.D	Doctor of Law	1	1
43	D.lit.	Doctor of Literature	5	1
44	M.D.	Doctor of Medicine	2	1
45	Ph.D./D.Phil.	Doctor of Philosophy	5	1
46	Ph.D.(Agriculture)	Doctor of Philosophy (Agriculture)	3	1
47	Ph.D. Fisheries Resource Management	Doctor of Philosophy (Fisherles Resource Management)	3	1
48	D.Sc.	Doctor of Science	5	1
49	D.M.	Doctorate in Medicine	2	1
50	I.C.W.A.	Integrated Cost & Work Accountancy Courses	5	1

*[Signature]*

51	M.C.A.	Master in Computer Applications	3	1
52	M.C.A. Corporate	Master in Computer Applications ( Corporate)	3	1
53	M.P.T.	Master in Physiotherapy	2	1
54	M.Planning	Master in Planning	2	1
55	M.D.S.	Master of Dental Surgery	2	1
56	M.Arch.	Master of Architecture	2	1
57	M.B.A.	Master of Business Administration	2	1
58	M.B.A.(Executive Mgmt.)	Master of Business Administration ( Executive Management)	2	1
59	M.B.A. Agribusiness	Master of Business Administration (Agribusiness)	2	1
60	M.B.A.(Fin. Mgmt)	Master of Business Administration (Financial Management)	2	1
61	M.B.A.(Hospital & Health)	Master of Business Administration (Hospital and Health care Managements)	2	1
62	M.B.A.(Human Resource Mgmt.)	Master of Business Administration (Human Resource Management)	2	1
63	M.B.A.(I.B)	Master of Business Administration (International Business)	2	1
64	M.B.A.( Marketing Mgmt.)	Master of Business Administration (Marketing Management )	2	1
65	M.B.A.( Media Business Mgmt.)	Master of Business Administration (Media Business Management)	2	1
66	M.B.A.(Tourism Mgmt.)	Master of Business Administration (Tourism Management)	2	1
67	M.B.A.(Tourism)	Master of Business Administration (Tourism)	2	1
68	M.B.A. in Agriculture	Master of Business Administration ( Agriculture)	2	1
69	M.B.A. in Corporate Communication	Master of Business Administration (Corporate Communication)	2	1
70	M.B.A. in Finance	Master of Business Administration (Finance)	2	1
71	M.B.A. in Human Resource	Master of Business Administration (Human Resource)	2	1
72	M.B.A. in International Business	Master of Business Administration (International Business)	2	1
73	M.B.A. in Management Science	Master of Business Administration (Management Science)	2	1
74	M.B.A. in Marketing	Master of Business Administration (Marketing)	2	1
75	M.B.A. Media Management	Master of Business Administration (Media Management)	2	1
76	M.B.A. in Retail Management	Master of Business Administration (Retail Management)	2	1
77	M.B.A. Rural Development	Master of Business Administration (Rural Development)	4	1
78	M.B.A. in Tourism Management	Master of Business Administration (Tourism Management)	2	1
79	M.C. A.	Master of Computer Application	3	1
80	M.Des.	Master of Design	2	1
81	M.F.Tech	Master of Fashion Technology	2	1
82	M.F.M.	Master of Financial Management	2	1
83	M.I.B.	Master of International Business	2	1
84	L.L.M.	Master of Laws	2	1
85	M. Pharma-Drug Regulatory affairs	Master of Pharmacy (Drug Regulatory affairs)	2	1
86	M.Phil (Jornalism & Mass Communication )	Master of Philosophy (Jornalism & Mass Communication )	1	1
87	M.Phil.(Law)	Master of Philosophy (Law)	1	1
88	M.Phil.(LIB. Sci.)	Master of Philosophy (Library Science)	1	1
89	M.Phil.(Management)	Master of Philosophy (Management)	1	1
90	M.Phil. (Physical Education)	Master of Philosophy (Physical Education)	1	1
91	M.Phil.(Tourism)	Master of Philosophy (Tourism)	1	1
92	M.S.	Master of Surgery	2	1
93	M.S. Medi. Che.	Master of Surgery (Medicinal Chemistry)	2	1
94	M.S. Pharma.	Master of Surgery (Pharmaceutical)	2	1
95	M.Tech.	Master of Technology	2	1
96	M.Tech (Nano Technology & Nano Science)	Master of Technology ( Nano Technology & Nano Science)	2	1
97	M.TECH.( Biotechnology)	Master of Technology (Biotechnology)	2	1
98	M.TECH.(Computer Science and Technology)	Master of Technology (Computer Science and Technology)	2	1
99	M.TECH.( Energy & Envi.)	Master of Technology (Energy & Environment )	2	1
100	M.TECH.(Mechanical Engineering)	Master of Technology (Mechanical Engineering)	2	1
101	M.TECH.(VLSI Design)	Master of Technology (VLSI DESIGN )	2	1

8

A

B

Pawar

102	Intigrated. M.Tech- Ph.D. (Tech)	Master of Technology +Doctor of philosophy (Technology)Intigrated.	6	1
103	M.TECH. (R.S & G.I.S)	Master of Technology In Remote Sensing & G.I.S.	2	1
104	P.G.C.M.	Post Graduate Certificate in Management	1	1
105	P. G. D.B. C.	Post Graduate Diploma In Business Communication	1	1
106	P.G D.(Clinical Pathology)	Post Graduate Diploma in Clinical Pathology	2	1
107	P.G.D.D.M	Post Graduate Diploma in Disaster Management	1	1
108	P.G.D.F.S.Q.M.	Post Graduate Diploma in Food Safety and Quality Management	1	1
109	P. G. D. in Forensic Science	Post Graduate Diploma in Forensic Science	1	1
110	P.G D.F.S.C.	Post Graduate Diploma in Forensic Science and Criminology	1	1
111	P.G. D. in Front Office Management	Post Graduate Diploma in Front Office Management	2	1
112	P. G. D. in Hospital & Health Care Administration	Post Graduate Diploma in Hospital and Health Care Administration	1	1
113	P. G. D. H.R.M	Post Graduate Diploma in Human Resources & management	1	1
114	P.G.D.M.	Post Graduate Diploma in Management	2	1
115	P. G. D. M.	Post Graduate Diploma in Management	4	1
116	P.G( Medical Diploma)	Post Graduate Diploma in Medical	2	1
117	PG Diploma(Microbiology)	Post Graduate Diploma in Microbiology	1	1
118	P.G. Diploma ( P. J.)	Post Graduate Diploma in Print Journalism (Hindi / English)	1	1
119	P.G. D.(Professional Biotechnology)	Post Graduate Diploma in Professional Biotechnology	1	1
120	P.G. D. in Quality Management	Post Graduate Diploma in Quality Management	1	1
121	P.G. D.(Rural Resource Management)	Post Graduate Diploma in Rural Resource Management	2	1
122	P.G.D.S.L.M.	Post Graduate Diploma in School leadership and Management	1	1
123	P.G.D.A.N.S.I. (SE)	Post Graduate Diploma course of Associate Ship of National Sugar Institute in Sugar Engineering	2	1
124	P.G.D. in Quality Management	Post Graduate Diploma in Quality Management	1	1
125	A.D.F.D.T	Advanc Diploma in Fashion Design & Technology	2	2
126	A.D.F.P.	Advanc Diploma in Food Processing	2	2
127	A.C.I.S.E,	Advance Certificate in Information Security	2	2
128	A.D. in Clinical Nutrition & Dietics	Advance Diploma in Clinical Nutrition & Dietics	2	2
129	Applied M.Ed./MA(Applied Education)	Applied Master of Education/Master of Arts	1	2
130	B.H.M.C.T.	Bachelor in Hotel Management and Catering Technology	2	2
131	B.Optometry	Bachelor in Optometry	4	2
132	B.P.T.	Bachelor of Physiotherapy	3	2
133	B.Sc. (BRDIT)	Bachelor of Radiology & Imaging Technology	4	2
134	B.F.Sc. Aquaculture	Bachelor of Aquaculture	3	2
135	B.A. & B.Ed	Bachelor of Arts & Bachelor of Education	4	2
136	B.A.&L.L.B.(Integrated)	Bachelor of Arts & Bachelor of Laws (Integrated)	4	2
137	B.A. (M.C. & J.)	Bachelor of Arts ( Mass Communication & Journalism)	5	2
138	B.A. (F.D.T.)	Bachelor of Arts (Fashion Design & Technology)	3	2
139	B.A.& L.L.B. (Hons.)	Bachelor of Arts and Bachelor of Laws (Honours)	3	2
140	B.Ayurvedic Farmacist	Bachelor of Ayurvedic Farmacist	5	2
141	B.B.A.	Bachelor of Ayurvedic Farmacist	2	2
142	B.B.A.& L.L.B. Integrated	Bachelor of Business Administration	3	2
143	B.B.A. & M.B.A. Integrated	Bachelor of Business Administration & L.L.B. Integrated	5	2
144	B.B.A. International Business	Bachelor of Business Administration & M.B.A. Integrated	5	2
145	B.B.A.Management Science	Bachelor of Business Administration International Business	3	2
146	B.B.A.Tourism	Bachelor of Business Administration Management Science	3	2
147	B.Com. & L.L.B. Integrated	Bachelor of Business Administration Tourism	3	2
148	B.Com.(Professional) Integrated CA & CS	Bachelor of Commerce & Bachelor of Laws Integrated	5	2
149	B.C.A.	Bachelor of Commerce (Professional) Integrated CA & CS	3	2
150	B.Ed.	Bachelor of Computer Applications	3	2
151	B.F.A.	Bachelor of Education	1	2
152	B.F.Sc. Fish Priocessing Technology	Bachelor of Fine Art	4	2
153	B.F.Sc.Fisheries Extension Education	Bachelor of Fish Processing Technology	4	2
		Bachelor of Fisheries Extension Education	4	2

8

B

C

Parvez

154	B.F.Sc.Nautical Science	Bachelor of Fisheries Science (Nautical Science)	4	2
155	B.F.Sc. Biology	Bachelor of Fishery Biology	4	2
156	B.F.Sc.Hydrography	Bachelor of Fishery Hydrography	4	2
157	B.HMCT	Bachelor of Hotel Management & Catering Technology	4	2
158	B.J.M.C.	Bachelor of Journalism and Mass Communication	3	2
159	L.L.B	Bachelor of Laws	3	2
160	L.L.B. Honours	Bachelor of Laws Honours	5	2
161	B.M.S.	Bachelor of Management Science	3	2
162	B.Pharma.	Bachelor of Pharmacy	4	2
163	B.P.Ed.	Bachelor of Physical Eduaction	4	2
164	B.P.T.	Bachelor of Physiotherapy	5	2
165	B.Sc. (Bio tech.)	Bachelor of Science (Bio technology)	3	2
166	B.Sc. (Food Sc. Tech)	Bachelor of Science (Food Science and Tech.)	3	2
167	B.Sc. (Hospitality & Administration)	Bachelor of Science (Hospitality & Adminstration)	3	2
168	B.Sc. (Hotel Management & Tourism Courses)	Bachelor of Science (Hotel Management & Tourism Courses)	3	2
169	B.Sc. (Human Nutrition)	Bachelor of Science (Human Nutrition)	3	2
170	B.Sc. (Medical Microbiology)	Bachelor of Science (Medical Microbiology)	3	2
171	B.Sc.(Nursing)	Bachelor of Science (Nursing)	4	2
172	B.VOC.	Bachelor of vocation	3	2
173	C.M.P.H.	Community Medicine & Public Health	2	2
174	C.M.C.A	Corporate Master of Computer Application	3	2
175	Dental Hygienist	Dental Hygienist	2	2
176	Dental Mechanics	Dental Mechanics	1	2
177	D.P.A. (PD)	Diploma in Public Administration (PD)	2	2
178	D.F.A (A.M.T)	Doctor of Fine Arts (A.M.T)	2	2
179	F.C.T	Fashion and Clothing Technology	1	2
180	FASHION DESIGN AND GARMENT TECH	Fashion Design and Garment Technology	3	2
181	H.C.Y.S.	Human Conscious & Yaugik Science	2	2
182	INST. AND CONTROL ENGG.	Instrumentation and Control Engineering	3	2
183	M.C.J.	Mass Communication & Journalism	2	2
184	M.A.(A.E.)	Master in adult Education Events Managements	2	2
185	M.B.E.	Master In Bussiness Economics	2	2
186	Master in Community Medicine and Public Health	Master in Community Medicine and Public Health	2	2
187	MASTERS (FILM AND THEATRE)	Master in Film and Theatre	2	2
188	Master in Hospital and Health Care Administration	Master in Hospital and Health Care Administration	2	2
189	Master in Mass Comm.	Master in Mass Communication	2	2
190	Master in Performing Arts (Classical Dance )- Kathak	Master in Performing Arts in Classical Dance and Kathak	2	2
191	Master in Performing Arts in instrumental Music	Master in Performing Arts in instrumental Music	2	2
192	M.A.(P.Ed.)	Master In Physical Education	2	2
193	M.A.(P.A.)	Master in Public Administration	2	2
194	M.P.H.	Master in Public Health	2	2
195	M.A(Rural Development & Management)	Master in Rural Development & Management	2	2
196	M.R.M.	Master in Rural Management	2	2
197	M.S.Eng.	Master in Social Engineering	2	2
198	M.T.A.	Master in Tourism Administration	5	2
199	M.V.A.	Master in Visual Art	2	2
200	M.V.M.	Master in Vocal Music	2	2
201	M.F.C.	Master of Finance & Control	2	2
202	M.A(Applied and Regional Economics)	Master of Applied and Regional Economics	2	2
203	M.A. (Applied Economics)	Master of Applied Economics	2	2
204	Masters of Applied Management	Master of Applied Management	2	2
205	M.A.(Fashion Technology )	Master of Art (Fashion Technology )	5	2
206	Master of Art(Social Management)integrated	Master of Art (Social Management)integrated	2	2
207	M. A. in AIH & Archaeology	Master of Arts in AIH & Archaeology	5	2
			2	2

\$

12

13

Done -

208	M. A. in AIH & Archaeology Group-B Culture	Master of Arts in AIH & Archaeology Group-B Culture	2	2
209	M. A. in Human Consciousness & Yogic Sciences	Master of Arts in Human Consciousness & Yogic Sciences	2	2
210	M. A. in Jyotir Vigyan	Master of Arts in Jyotir Vigyan	2	2
211	M.A.B.J.	Master of Arts (Broadcast Journalism)	2	2
212	M.A. (C.C.J.A)	Master of Arts (Criminology & Criminal Justice Administration)	2	2
213	M.A.FASHION TECH. & APREL DESIGNING	Master of Arts (Fashion Technology and Apres Designing)	2	2
214	M.A. FIN. ECONO.	Master of Arts (Financial Economics)	2	2
215	M.A. Tourism	Master of Arts (Tourism)	2	2
216	M.A. Hospital & Health Care Administration	Master of Arts Hospital & Health Care Administration	2	2
217	M.A.C.C.M.	Master of Arts in Corporate Communication Management	2	2
218	M.A. Disaster Management	Master of Arts in Disaster Management	2	2
219	M.B.E.F.	Master of Business Economics and Finance	1	2
220	M.B.T.	Master of Business & Technology	2	2
221	M.B.E.	Master of Business Economics	2	2
222	M.B.L.	Master of Business Law	2	2
223	M. C. M. & P. H.	Master of Community Medicine & Public Health	2	2
224	M.Ed.	Master of Education	2	2
225	M. E. M.	Master of Event Management	2	2
226	M.F.A.	Master of Fine Arts	2	2
227	M.F.Sc. Aquaculture	Master of Fisheries Science (Aquaculture)	2	2
228	M.F.Sc. Fishery Biology	Master of Fisheries Science (Fishery Biology)	2	2
229	M.H.A.	Master of Hospital Administration	2	2
230	M.J.	Master of Journalism	2	2
231	M.A.(J & M.C.)	Master of Journalism & Mass Communication	2	2
232	M.L.L.	Master of Labour Law	2	2
233	M. Lib. & Info.Sc.	Master of Library & Information Science	2	2
234	M.Lib.	Master of Library Science	2	2
235	M.A. P. A.	Master of Performing Art	2	2
236	M.P.M.I.R.	Master of Personnel Marketing & Industrial Relation	2	2
237	M.Pharma.	Master of Pharmacy	2	2
238	M.P. Ed.	Master of Physical Education	2	2
239	M.Sc.(Bio Tech./Bio Info./Nut./Jour.)	Master of Science (Bio Technology/Bio Information/Nutrition/Journalism)	2	2
240	M.Sc.(BIOMEDICAL SCIENCE)	Master of Science (Biomedical Science)	2	2
241	M.Sc.(Computer Science)	Master of Science (Computer Science)	2	2
242	M.Sc.(ELECTRONICS)	Master of Science (Electronics)	2	2
243	M.Sc. (Farmastical science)	Master of Science (Farmastical science)	2	2
244	M.Sc. (Fashion Technology )	Master of Science (Fashion Technology )	2	2
245	M.Sc. FASHION TECH. & APREL DESIGNING	Master of Science (Fashion Technology and Apres Designing)	2	2
246	M.Sc.(FOOD MICRO BIO. & Taxi)	Master of Science (Food Micro Biology and Toxicology)	2	2
247	M.Sc.(FOOD SCIENCE & TECH.)	Master of Science (Food Science and Technology)	2	2
248	M.Sc.(FORENSIC SCI. & CRIM.)	Master of Science (Forensic Science and Criminology)	2	2
249	M.Sc. IN HOSPITALITY ADMINISTRATION	Master of Science (Hospitality and Administration)	2	2
250	M.Sc.(HUMAN GEN.& PROTE.)	Master of Science (Human Genomics and Proteomics)	2	2
251	M.Sc.(Ind.Chem)	Master of Science (Industrial Chemistry)	2	2
252	M.Sc.( INDUST. MICRO BIO.)	Master of Science (Industrial Microbiology)	2	2
253	M.Sc.(IT. SEC.)	Master of Science (Information Security)	2	2
254	M.Sc. (IT)	Master of Science (Information Technology)	2	2
255	M.Sc. Mass Communication in Science & Technology	Master of Science (Mass Communication in Science & Technology)	2	2
256	M.Sc. (MASS COMMUNICATION)	Master of Science (Mass Communication)	2	2
257	M.Sc. (Medical Anatomy)	Master of Science (Medical Anatomy)	3	2
258	M.Sc. (Medical Biochemistry)	Master of Science (Medical Biochemistry)	4	2
259	M.Sc. (Medical Microbiology)	Master of Science (Medical Microbiology)	3	2
260	M.Sc. (Medical Pharmacology )	Master of Science (Medical Pharmacology )	3	2

95

B

D

Done

261	M.Sc. (Medical Physiology )	Master of Science (Medical Physiology )	3	2
2	M.Sc. Micro-biology	Master of Science (Micro-biology)	2	2
263	M.Sc.(NANO SCI. & NANO TECH.)	Master of Science (Nano Science and Nano Technology)	2	2
264	Master of Science (Nuclear Medicine)	Master of Science (Nuclear Medicine)	2	2
265	M.Sc.(Nursing)	Master of Science (Nursing)	2	2
266	M.Sc. (Nutrition and Health )	Master of Science (Nutrition and Health )	2	2
267	M.Sc.Pharmaceutical Chemistry	Master of Science (Pharmaceutical Chemistry)	2	2
268	M.Sc.(POST HARVEST TECH. & MGMT )	Master of Science (Post Harvest Technology and Management)	2	2
269	M.Sc.( R. B. & T.Eng. )	Master of Science (Resonate Biology and Tissue Engineering)	2	2
270	M.T.Q.M.	Master of Total Quality Management	2	2
271	M.T.A.	Master of Tourism Administration	2	2
272	M.V.Sc.	Master of Veterinary Science	2	2
273	M.V.A.	Master of Visual Arts	2	2
274	M.E.M.	Masters in Event Management	2	2
275	P.G. Diploma in Applied Analytical Chemistry	P.G. Diploma in Applied Analytical Chemistry	1	2
276	P.G. D. in Communication Skills (English)	P.G. Diploma in Communication Skills (English)	1	2
277	P.G. D. H. C.	P.G. Diploma in Health Communication	1	2
278	P.G. D.J.S.	P.G. Diploma in Japanese Studies	1	2
279	P.G.D.L.Tech.	P.G. Diploma in Language Technology	1	2
280	P.G.D. in Theatre Communication	P.G. Diploma In Theatre Communication	1	2
281	P.B. B.Sc. NURSING	Post Basic Bachelor of Science Nursing	1	2
282	P.G.A.F.V.T.	Post Graduate Associateship Course in Fruit & Vegetable Technology	2	2
283	P.G.C.C.L.	Post Graduate Certificate in Cyber Law	1	2
284	P.G. Diploma	Post Graduate Diploma	1	2
285	PG Diploma(Accountancy)	Post Graduate Diploma in Accountancy	1	2
286	P.G.D.A.E.	Post Graduate Diploma in Adult Education	1	2
287	P.G. Diploma ( Advertising)	Post Graduate Diploma in Advertising	1	2
288	P.G.D.A.P.P.	Post Graduate Diploma in Audio Program Production	1	2
289	P.G.D.C.A.F.D.	Post Graduate Diploma in Computer Aided Fashion Design	1	2
290	P.G.D.C.A	Post Graduate Diploma in Computer Application	2	2
291	P.G.D.C.H.N	Post Graduate Diploma in Computer Hardware and Networking	2	2
292	P.G. D.C. P.	Post Graduate Diploma in Computer Programming	1	2
293	P.G.D.C.E.	Post Graduate Diploma in Continuing Education	1	2
294	P.G.D.C.F.T.	Post Graduate Diploma in Counseling and Family Therapy	1	2
295	P.G. D. C. Psychology	Post Graduate Diploma in Counseling psychology	1	2
296	P. G. D. Disaster Relief and Rehabilitation	Post Graduate Diploma in Disaster Relief and Rehabilitation	1	2
297	P. G. D. In Economics	Post Graduate Diploma in Economics	1	2
298	P.G.D.E.T.	Post Graduate Diploma in Education Technology	1	2
299	P.G.D.E.M.A.	Post Graduate Diploma in Educational Administration	1	2
300	P.G. D.(Entrepreneurship Development)	Post Graduate Diploma in Entrepreneurship Development	2	2
301	P.G.D.F.D.	Post Graduate Diploma in Fashion Designing	2	2
302	P.G.D.F.M.R.M.	Post Graduate Diploma in Fashion merchandising in retail Management	2	2
303	P.G. D. In Finance	Post Graduate Diploma in Finance	1	2
304	P.G.D.F.T	Post Graduate Diploma in Food Science & Technology	1	2
305	P.G.D.F.T.	Post Graduate Diploma in Footware Technology	1	2
306	P.G.D.H.E.	Post Graduate Diploma in Higher Education	1	2
307	P.G. D. in Information security	Post Graduate Diploma in Information security	3	2
308	P.G.D.I.Tech.	Post Graduate Diploma in Information Technology	1	2
309	P.G.D.I.P.R.	Post Graduate Diploma in Intellectual Property rights	1	2
310	P.G.D.I.B.O.	Post Graduate Diploma in International Business Operations	1	2
311	P.G.D.J.	Post Graduate Diploma in Journalism	1	2

8

A

G

Done

312	P.G.J.M.C.	Post Graduate Diploma in Journalism and Mass communication	1	2
313	P.G.D.I.G.A.D.	Post Graduate Diploma in Lether Goods , Accessories Design	2	2
314	P.G.D.L.A.N.	Post Graduate Diploma in Library Automation and Networking	1	2
315	P. G. D. in Marketing	Post Graduate Diploma in Marketing	1	2
316	P.G. D.(Mass Communication Electronic Journalism)	Post Graduate Diploma in Mass Communication Electronic Journalism	1	2
317	PG Diploma(Modern Arabic)	Post Graduate Diploma in Modern Arabic	1	2
318	P.G.D.A.N.	Post Graduate Diploma in Nursing	1	2
319	P.G.D.M.R.R.	Post Graduate Diploma in Participatory Management of Displacement Resettlement and Rehabilitation	1	2
320	P.G.D.-P.P.T.	Post Graduate Diploma in Plastic Processing and Testing	2	2
321	P.G. D.P.D.	Post Graduate Diploma in Programme and Design	3	2
322	P.G.D.R.D.	Post Graduate Diploma in Rural Development	1	2
323	P.G.D.S.W.T.	Post Graduate Diploma in Social Work among the Tribals	1	2
324	P.G. D. in Strategy	Post Graduate Diploma in Strategy	3	2
325	P.G.D.E.S.D.	Post Graduate Diploma in Sustainable development	1	2
326	P.G.D.T.	Post Graduate Diploma in Translation	1	2
327	P.G.D.V.M.	Post Graduate Diploma in Visual merchandising	2	2
328	P.G. D.(Web Designing)	Post Graduate Diploma in Web Designing	2	2
329	P.G. D.(Women Empowerment and Development)	Post Graduate Diploma in Women Empowerment and Development	1	2
330	P.G.D.Y.	Post Graduate Diploma in Yoga	2	2
331	P.G.D.A.N.S.I. (ST)	Post Graduate Diploma course of Associate Ship of National Sugar Institute in Sugar Technology	3	2
332	P.G. D. in Archology & Museology	Post Graduate Diploma in Archology & Museology	2	2
333	P.G. D. in Counseling & Communication	Post Graduate Diploma in Counseling & Communication	1	2
334	P.G. D. in Electronic Media & Film Prod.	Post Graduate Diploma in Electronic Media & Film Prod.	1	2
335	P.G. D. in HIV Aids & Family Life Education	Post Graduate Diploma in HIV Aids & Family Life Education	1	2
336	P.G. D. in Hospital & Health Care Administration	Post Graduate Diploma in Hospital & Health Care Administration	1	2
337	P.G. D. in Human Resource Development	Post Graduate Diploma in Human Resource Development	1	2
338	P.G. D. in Human Resource Development & Organization Behaviour	Post Graduate Diploma in Human Resource Development & Organization Behaviour	1	2
339	P.G. D. in Management of NGOs	Post Graduate Diploma in Management of NGOs	1	2
340	P.G. D. in Media Writing	Post Graduate Diploma in Media Writing	1	2
341	P.G. D. in Naturopathic Science & Yoga	Post Graduate Diploma in Naturopathic Science & Yoga	1	2
342	P.G.D.(P.M.T.)	Post Graduate Diploma in Plastic Mould Technology	4	2
343	P.G.D.(P.T.)	Post Graduate Diploma in Plastic Technology	4	2
344	P.G. D. in Public Administration	Post Graduate Diploma in Public Administration	1	2
345	P.G. D. in Public Relations & Advertising	Post Graduate Diploma in Public Relations & Advertising	1	2
346	P. G. D. in Remote Sensing & GIS	Post Graduate Diploma in Remote Sensing & GIS	1	2
347	P.G. D. in Rural Management	Post Graduate Diploma in Rural Management	1	2
348	P.G. D. in Social Duties & Human Rights	Post Graduate Diploma in Social Duties & Human Rights	1	2
349	P.G. MA Diploma Transalation	Post Graduate MA Diploma Transalation	1	2
350	V. Pharma.	Vetrenary pharamacist	1	2
351	Yunani Medical Nursing	Yunani Medical Nursing	2	2
352	A.D. in French	Advance Diploma in French	4	2
353	A.D. In German	Advance Diploma in German	1	3
354	A.D. in Russian	Advance Diploma in Russian	1	3
355	A.N.M./HEALTH WORKER (FEMALE)	Auxiliary Nurse and Midwifery/Health Worker(Female)	1	3
356	B.A. (M.S)	Bachelor of Arts (Media Studies)	2	3
357	B.A. Tourism	Bachelor of Arts (Tourism)	3	3
358	B.A.Honors (Applied Psychology)	Bachelor of Arts Honours (Applied Psychology)	3	3
359	B.El.Ed.	Bachelor of Elementry Education	3	3
360	BACHELOR OF INFORMATION SCIENCE	Bachelor of Information Science	4	3
361	B.MUSIC	Bachelor of Music	1	3
			3	3

1

2

Parvez

362	B.Sc. in Lab.Tech.	Bachelor of Science in Laboratory Technician	3	3
363	B.Sc. in Occupational therapy	Bachelor of Science in Occupational therapy	3	3
364	B.Sc.C.S	Bachelor of Science (Computer Science)	4	3
365	B.Sc.(E.M.)	Bachelor of Science (Electronic Media)	3	3
366	B.Sc.(Forensic Science)	Bachelor of Science (Forensic Science)	3	3
367	B.Sc.(Hotel Management)	Bachelor of Science (Hotel Management)	3	3
368	B.Sc.(I.T)	Bachelor of Science (Information Technology)	3	3
369	B.Sc.(Micro Biology)	Bachelor of Science (Microbiology)	3	3
370	B.Sc. BIOCHEMISTRY	Bachelor of Science Biochemistry	3	3
371	B.Sc. BIOMEDICAL SCIENCE	Bachelor of Science Biomedical Science	3	3
372	B.Sc. in Physiotherapy	Bachelor of Science in Physiotherapy	3	3
373	B.Sc. in X-Ray Technician	Bachelor of Science in X-Ray Technician	3	3
374	B.V.A.	Bachelor of Visual Arts	3	3
375	B.T.C.	Basic Training certificate	3	3
376	Certificate in Clay Moulding	Certificate in Clay moulding	2	3
377	CERTIFICATE IN EMER. & TRAUMA CARE ASSIT.	Certificate in Emergency and Trauma Care Assistant	1	3
378	C.V.A.	Certificate in Visual Art	3	3
379	C.P.T.	Clothing production technology	1	3
380	C.A.F.I.	Computer Application in Fashion Industries	1	3
381	D.S.	Defence Studies	2	3
382	D.F.B.S.	Diploma in & Beverage services	1	3
383	Diploma in Agriculture Engineering	Diploma in Agriculture Engineering	3	3
384	D. A.T. & CRS	Diploma in Airline Ticketing & CRS	1	3
385	Diploma In Architectural Assistantship	Diploma in Architectural Assistantship	3	3
386	DIP. in AUXILIARY NURSE & MIDWIFERY	Diploma in Auxillary Nurse & Midwifery	1	3
387	DIP. IN BLOOD TRANS. TECH.	Diploma in Blood Transfusion Technician	2	3
388	D.B.P.O.F.A.	Diploma in BPO Finance and accounting	1	3
389	DIP. IN C.S.S.D. TECHNICIAN	Diploma in C.S.S.D. Technician	1	3
390	DIP. IN C.T. SCAN TECH.	Diploma in C.T. Scan Technician	2	3
391	DIP. IN CARD. TECH.	Diploma in Cardiology Technician	2	3
392	Diploma in Chemical	Diploma in Chemical	3	3
393	Diploma in Chemical Technology	Diploma in Chemical Technology	3	3
394	Diploma in Chemistry	Diploma in Chemistry	3	3
395	Diploma in Civil	Diploma in Civil Engineering	3	3
396	Diploma in Clay modelling (sculpture Art)	Diploma in Clay moulding (sculpture Art)	3	3
397	Diploma in Commercial Practice	Diploma in Commercial Practice	3	3
398	D.C.A.	Diploma in Computer Application	1	3
399	DIPLOMA IN COMPUTER ENGG.	Diploma in Computer Engineering	3	3
400	D.C.E.	Diploma in Creative writing in English	1	3
401	DIP. IN DIALYSIS TECH.	Diploma in Dialysis Technician	2	3
402	D.E.C.C.	Diploma in Early Childhood Care and Education	1	3
403	DIP. in Electrical	Diploma in Electrical	3	3
404	D.E.C.	Diploma in Electronics Engineering	3	3
405	DIP. IN EMER. and TRAUMA CARE TECH.	Diploma in Emergency & Trauma care Technician	2	3
406	DIP. IN EMER. CARE TECH	Diploma in Emergency Care Technician	1	3
407	Diploma In Fashion Design and Garment Technology	Diploma in Fashion Design and Garment Technology	1	3
408	D.F.M.R.M	Diploma in Fashion Merchandising and Retail Management	3	3
409	D.F.A	Diploma in Financial Accounting	1	3
410	DIPLOMA IN FOOD PRODUCTION	Diploma in Food Production	2	3
411	D.F.T.	Diploma in Footware Technology	2	3
412	Diploma in French	Diploma in French	1	3
413	DIP. IN GENERAL NURSING & MIDWIFERY	Diploma in General Nursing & Midwifery	4	3
414	Diploma in German	Diploma in German	1	3
415	Diploma in Health & Hygiene	Diploma in Health & Hygiene	1	3
416	DIPLOMA IN HEARING LANGUAGE SPEECH	Diploma in Hearing Language Speech	2	3
417	D.A.F.E.	Diploma in HIV and Family Education	1	3

A

B

Punjab

418	D.H.M.C.T.	Diploma in Hotel Management & Catering Technology	3	3		
419	D.I.F.A.T.	Diploma in Hotel Management & Catering Technology	3	3		
420	DIPLOMA I.T.	Diploma in Industrial Fermentation & Alcohol Technology	1	3		
421	DIPLOMA I.T.	Diploma in Instrumentation & Control	3	3		
422	DIPLOMA I.T.	Diploma in Interior Design & Decoration	3	3		
423	DIP. IN LAB TECH.	Diploma in Letter Goods and Accessories Design	2	3		
424	D.L.G.A.D.	Diploma in Lsb Technican	2	3		
425	DIPLOMA IN LIB. AND INF. SCIENCE	Diploma in Library and Information Science	2	3		
426	DIP. IN M.R.I. TECH.	Diploma in Mass Communication	2	3		
427	Diploma in Mechanical Auto	Diploma in Mechanical Engineering (Auto)	4	3		
428	Diploma in Mechanical Prod.	Diploma in Modern Office Management and Secretarial Practice	1	3		
429	Diploma in Modern Arabic	Diploma in Modern Arabic	1	3		
430	Diploma in Mechanical CAD	Diploma in Mechanical Engineering (Spl. in CAD)	3	3		
431	Diploma in Modern Office Management and Secretarial Practice	Diploma in Modern Office Management and Secretarial Practice	1	3		
432	Diploma in Paint Technology	Diploma in Paint Technology	2	3		
433	D.N.H.E.	Diploma in Nutrition and Health Education	1	3		
434	DIP. IN O.T. TECH.	Diploma in O.T. Technican	1	3		
435	DIP. IN OCCU. THERAPY	Diploma in Occupational Therapy	2	3		
436	DIP. IN OPTOMETRY	Diploma in Optometry	2	3		
437	DIP. IN ORTHOPEDICS	Diploma in Orthopedics	2	3		
438	D.P.L.A.D.	Diploma in Paint Technology	2	3		
439	D.P.L.A.D.	Diploma in Pancrayat level administration and Development	1	3		
440	D.L.P.P.	Diploma in Parallel Practice	1	3		
441	DIP. IN PARAMEDICAL	Diploma in Paramedical	2	3		
442	DIP. IN PHARMACY	Diploma in Pharmacy	2	3		
443	D.P.J.V.C	Diploma in Photo Journalism and Visual Communication	2	3		
444	D.P.J.V.C	Diploma in Phototherapy	1	3		
445	D.P.E.D.	Diploma in Physical Education	1	3		
446	DIP. IN PHYSIO.	Diploma in Physcial Education	1	3		
447	D.P.M.T.	Diploma in Physiotherapy	1	3		
448	D.P.T.	Diploma in Plastic Mold Technology	2	3		
449	Diploma in Printing Technology	Diploma in Plastic Technology	3	3		
450	D.P.A.	Diploma in Public Administration	3	3		
451	Diploma in Russian	Diploma in Russian	3	3		
452	DIP. IN SANIT.	Diploma in Sanitation	1	3		
453	DIPLOMA IN SPECIAL EDUCATION	Diploma in Special Education	1	3		
454	DIPLOMA IN SPECIAL EDUCATION (M.R.)	Diploma in Special Education (Mental Retarded)	2	3		
455	DIP.(T.V.& V.P.)	Diploma in Spacial Education	2	3		
456	DIP. IN TECHNICIAN	Diploma in Technical	1	3		
457	D.T.D.	Diploma in Textile Design	1	3		
458	D.T.T.M.	Diploma in Textile Technology	3	3		
459	D.T.T.M.	Diploma in Textile Design	1	3		
460	D.T.S.	Diploma in Tourism & Travel Management	3	3		
461	DIP. IN TRAUMA CARE ASSIT.	Diploma in Tourism Studies	2	3		
462	Diploma in Urdu	Diploma in Trauma Care Assistant	1	3		
463	D.V.A.P.V.	Diploma in Urdu	1	3		
464	Dip.V.A.	Diploma in Value Added Products from Fruits and Vegetables	1	3		
465	D.W.E.D.	Diploma in Visual Art	1	3		
466	DIP. IN X-RAY TECH.	Diploma in Women's Empowerment and Development	1	3		
467	DIP. Y.ED.	Diploma in X-Ray Technican	1	3		
468	F.A.H.D.	Diploma in Yoga Education	2	3		
469	F.M.A.T.	Fashion Accessories and Handicraft Development	1	3		
470	INDIAN DAIRY DIPLOMA (DIARY TECHNOLOGY)	Fashion Integration and Marketing Application for Textiles	1	3		
471	ITI Courses	Industrial Training Institute Courses	2	3		
472	Introductory Part - 1&2	Industrial Training Part - 1&2	2	4		
473	Polytechnic-Diploma (3 year)	Polytechnic Diploma	2	4		
474	Polytechnic-Post Graduate/Diploma/Others	Polytechnic-Post Graduate/Diploma/Others	2	4		

क्र०सं०	पाठ्यक्रम, जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण की गयी	उच्च पाठ्यक्रम, जिनके लिए वशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय होगी	अन्य विवरण
1	बी०ए०	एम०ए०, एम०बी०ए०, एल०एल० बी०, बी०एड०, बी०टी०सी०, बी०पी०एड०, सी०ए०	ऐसे छात्रों को छात्रवृत्तियों दी जायेगी, जिन्होंने कला / विज्ञान / वाणिज्य में स्नातक पूर्व / स्नातकोत्तर परीक्षा अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त व्यवसायिक या तकनीकी प्रमाण-पत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया हो, बशर्ते कि वह अन्यथा इसके पात्र हों। उसके बाद समूह-1 के पाठ्यक्रमों को छोड़कर अनुत्तीर्ण होने पर छूट नहीं दी जायेगी।
2	बी०एससी०	एम०एससी०, एम०ए०, एम०बी० ए०, एल०एल०बी०, बी०एड०, बी०टी०सी०, बी०पी०एड०, सी०ए०	
3	बी०कॉम०	एम०कॉम०, एम०ए०, एम०बी०ए०, एल०एल०बी०, बी०एड०, बी०टी०सी०, बी०पी०एड०, सी०ए०	
4	एम०ए० / एम०एस० सी० / एम०कॉम०	बी०एड०	
5	बी०टेक० / बी०आर्क०	एम०टेक० / एम०आर्क०, एम०बी०ए०	ऐसे छात्र, इसके पात्र नहीं होंगे, जो किसी एक व्यवसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद किसी दूसरे व्यवसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षित अर्हता प्राप्त करने के लिए अध्ययन करने लगें, जैसे— बी०टी०सी० / बी०एड० के बाद एल०एल०बी० करने लगें।
6	बी०सी०ए०	एम०सी०ए०,	
7	बी०बी०ए०	एम०बी०ए०	
8	बी०एड०	एम०एड०, एम०ए०	
9	एल०एल०बी०	एल०एल०एम०	
10	एम०बी०बी०एस०	एम०डी०, एम०एस०	
11	बी०यू०एम०एस०	एम०डी० (यूनानी), एम०एस०	
12	बी०ए०एम०एस०	एम०डी०, एम०एस०	
13	बी०एच०एम०एस०	एम०डी०	
14	बी०डी०एस०	एम०डी०एस०	
15	बी०फार्म०	एम०फार्म०	
16	बी०एस०डब्ल०	एम०एस०डब्ल०	
17	पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज	बी०टेक०द्वितीय वर्ष / बी०आर्क० द्वितीय वर्ष	

४

५

६

७  
Renuka